"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 22, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. 12938/डी. 234/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. स. 1 (2)/2010-संशोधन दिनांक 25-10-2010 के अनुसरण में केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 (शक)

दि इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2008; (2) दि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; (3) दि एयरपोर्ट्स इकोनोमिक्स रेगुलेटरी अर्थारिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट, 2008; (4) दि प्रेसिडेन्ट्स इमोलुमेंट्स एंड पेंशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; (5) दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; (6) दि लिमिटेड लाइबीलिटि पार्टनरशिप ऐक्ट, 2008; (7) दि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स् ऐक्ट, 2008; (8) दि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ऐक्ट 2008; (9) दि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऐक्ट, 2008; (10) दि इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2008; (11) दि सुप्रीम कोर्ट (नम्बर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट ऐक्ट 2008; (12) दि नेशनल जूट बोर्ड ऐक्ट, 2008; (13) दि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (14) दि

प्रिवेंशन आफ मनी-लॉड्रिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (15) दि सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्यूरिटि फोर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (16) दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशंस आफ सर्विस) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2009; (17) दि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देहली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) ऐक्ट, 2009; (18) दि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटिज ऐक्ट, 2009; (19) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2009; (20) दि प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल आफ इन्फेक्शियस एंड कन्टेजियस डिजीजेज इन ऐनिमल्स ऐक्ट, 2009; और (21) दि कैरिएज बाई एअर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, February 9, 2010/Magha 20, 1931 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :— The Indian Maritime University Act, 2008; (2) The Central Universities Laws (Amendment) Act, 2008; (3) The Airports Economics Regulatory Authority of India Act, 2008; (4) The President's Emoluments and Pension (Amendment) Act, 2008; (5) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008; (6) The Limited Liability Partnership Act, 2008; (7) The Collection of Statistics Act, 2008; (8) The South Asian University Act, 2008; (9) The Science and Engineering Research Board Act, 2008; (10) The Information Technology (Amendment) Act, 2008; (11) The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008; (12) The National Jute Board Act, 2008; (13) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Act, 2009; (14) The Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2009; (15) The Central Industrial Security Force (Amendment) Act, 2009; (16) The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2009; (17) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2009; (18) The Central Universities Act, 2009; (19) The Finance Act, 2009; (20) The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009; and (21) The Carriage by Air (Amendment) Act, 2009 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 22)

[11 नवम्बर, 2008]

सामुद्रिक अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उनका संवर्धन करने और समुद्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, समुद्री पर्यावरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापन तथा संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से कर्मचारिवृंद के ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) "सहबद्धता और मान्यता बोर्ड" से विश्वविद्यालय का सहबद्धता और मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "कैंपस" से शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई अभिप्रेत है;

1958 का 44

(च) "सक्षमता प्रमाणपत्र" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमश: विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं;

(ज) "महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो सामुद्रिक अध्ययनों में या उनसे सहयुक्त विधाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है या विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त है;

(झ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ञ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र भी है;

1958 का 44

(ट) "महानिदेशक" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ठ) ''दूर शिक्षा पद्धति'' से संचार के किसी माध्यम जैसे कि प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रमों, ई-लर्निंग अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है;

(ड) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रतिनियुक्त व्यक्तियों सहित शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(ढ) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(त) किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में ''शासी निकाय'' से ऐसा शासी निकाय या कोई अन्य निकाय चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिस पर, यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यों के प्रबंध का भार है और जो विश्वविद्यालय द्वारा उसी रूप में मान्यताप्राप्त हो;

(थ) ''छात्र निवास'' से विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(द) ''संस्था'' से सामुद्रिक अध्ययनों या उसकी सहयुक्त विधा में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त संस्था, विद्यापीठ, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;

(ध) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(न) ''अपतट कैंपस'' से विश्वविद्यालय की ऐसी संस्था, महाविद्यालय केन्द्र, विद्यापीठ या कैंपस अभिप्रेत है जो देश के बाहर स्थापित किया जा सकेगा;

(प) ''योजना बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;

(फ) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है;

(ब) ''मान्यताप्राप्त संस्था'' से सामुद्रिक अध्ययनों या उनकी सहयुक्त विधाओं में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(भ) ''मान्यताप्राप्त शिक्षक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त हैं;

(म) ''विद्यापीठ'' से विश्वविद्यालय में अध्यापन विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(य) ''परिनियमों'', ''अध्यादेशों'' और ''विनियमों'' से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(यक) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(यख) ''विश्वविद्यालय के शिक्षक'' से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, ज्येष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं; और

(यग) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है।

1956 का 3

विश्वविद्यालय।

3. (1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इसके मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, विशाखापट्टनम और उसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर जो वह ठीक समझे कैंपसों सहित चैन्नई में होगा।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति सभा के प्रथम सदस्य, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, योजना बोर्ड और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, विश्वविद्यालय का गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय दोनों ही होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(i) समुद्र विज्ञान, सामुद्रिक इतिहास, समुद्री विधि, समुद्री सुरक्षा, तलाश और बचाव, खतरनाक स्थोरा का परिवहन, पर्यावरणीय अध्ययनों और अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे अध्ययनों के नए-नए क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सामुद्रिक अध्ययनों, प्रशिक्षण अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुकर बनाना और संवर्धन करना और इन क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों में उत्कृष्टता भी प्राप्त करना;

(ii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, संस्थागत और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान की अभिवृद्धि करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख और सीमांत क्षेत्रों में और विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में संबद्ध विधाओं में समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(iii) अध्यापन-विद्या की प्रक्रिया, अंतरविषयक अध्ययन और अनुसंधान में उत्तरोत्तर नवीनता लाने के लिए समुचित उपाय करना; और भारत के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन तथा कल्याण पर विशेष ध्यान देना;

(iv) भारत के संविधान में यथा उल्लेखित स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय का संवर्धन करना और राष्ट्रीय विकास के लिए आधारिक दृष्टिकोणों और मर्म के मूल्यों का संवर्धन करके सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना; और

(v) स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के विषयों से विश्वविद्यालय को संबद्ध करके व्यष्टियों और समाज के विकास के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदे का विस्तार करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

5. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) विशेष अध्ययनों की जिम्मेदारी के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं का उपबंध करना;

(iii) अनुसंधान, प्रशिक्षण और विशेषीकृत अध्ययन के कैंपस, महाविद्यालय, संस्थाएं, विभाग, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, केन्द्र स्थापित करना और उनको चलाना;

(iv) छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र और सभा भवन, खेल के मैदान, व्यायामशाला, तैरने के तालाब, प्रशिक्षण पोत जैसी अन्य संबंधित प्रसुविधाएं स्थापित करना और उनको चलाना;

(v) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के किसी समूह की सेवा करने के लिए कैंपसों की स्थापना करने का उपबंध करना और ऐसे कैंपसों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर केन्द्रों तथा उसी तरह के अध्ययन केन्द्रों के रूप में सामान्य संसाधन केन्द्रों के लिए उपबंध करना और उनको चलाना;

(vi) ऐसी शर्तों के अधीन जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, समुद्री यात्राओं की सक्षमताओं के प्रमाणपत्रों से भिन्न ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए डिप्लोमा प्रदान करना, जो केन्द्रीय सरकार के अन्यथा विनिश्चित किए जाने तक पोत परिवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते रहेंगे और

परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को वापस लेना;

(vii) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना;

(viii) निवेश बाह्य अध्ययनों, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उनका भार अपने ऊपर लेना;

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(x) निम्नलिखित की सेवा के निबन्धन और शर्तों का उपबंध करना—

(i) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निदेशकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य;

(ii) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्य; और

(iii) मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या संस्था का कोई अन्य कर्मचारी, चाहे वह विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो या ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(xii) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xiii) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xiv) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xv) विश्वविद्यालय में शिक्षण, गैर-शिक्षण, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xvi) भारत या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xvii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन करना और ऐसे अनुमोदन को वापस लेना;

(xviii) मान्यताप्राप्त संस्थाओं का उक्त प्रयोजन के लिए स्थापित समुचित मशीनरी के माध्यम से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानकों का पालन किया जा रहा है और उसके लिए यथायोग्य पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कर्मशाला और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(xix) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों और संस्थाओं के छात्रों पर उद्गृहीत किए जाने वाली फीस और अन्य प्रभार विहित करना;

(xx) एक ही और समान क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्य का समन्वय करना;

(xxi) कम्प्यूटर केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, सहायता केन्द्र, पुस्तकालय, अनुरूपक जैसी केन्द्रीय प्रसुविधाओं की स्थापना करना;

(xxii) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्रों की स्थापना करना;

(xxiii) ऐसे महाविद्यालयों और संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं; विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना; उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों को ऐसी शर्तों के अनुसार, जो परिनियमों द्वारा, विहित की जाएं, वापस लेना;

(xxiv) ऐसे छात्र निवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं और छात्रों के लिए अन्य वास सुविधाओं को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;

(xxv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xxvi) महाविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस विहित करना;

(xxvii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है;

(xxviii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृति, अध्ययनवृत्ति, सहायक वृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xxix) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxxi) महिला छात्रों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xxxii) विश्वविद्यालय के तथा महाविद्यालयों और संस्थाओं के छात्रों के आचरण को विनियमित करना;

(xxxiii) विभागों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विद्यापीठों और अध्ययन केन्द्रों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश का नियन्त्रण और विनियमन करना;

(xxxiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करना;

(xxxv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन को विनियमित करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(xxxvi) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्रबन्ध-मंडलों के लिए आचार संहिता विहित करना;

(xxxvii) विश्वविद्यालय के और उन महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(xxxviii) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और ऐसे कुर्सियों, संस्थाओं, भवनों, तथा इसी प्रकार के स्थानों पर उनका नामांकन करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, विश्वविद्यालय को उनके दान या संदान की राशि वह होगी जैसा विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;

(xxxix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xl) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xli) विषयों, विशेषज्ञता के क्षेत्रों, तकनीकी जनशक्ति की शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तरों के निबंधनों के अनुसार छात्रों की आवश्यकताओं का अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधारों पर निर्धारण करना और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरंभ करना;

(xlii) पूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उद्योग का सहयोग प्राप्त करने के उपाय प्रारम्भ करना;

(xliii) "दूर शिक्षण" और "मुक्त विचारधारा" के माध्यम से शिक्षण का अनौपचारिक मुक्त शिक्षण धारा से औपचारिक धारा में और विपर्ययेन में बनाने के लिए उपबंध करना;

(xliv) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे कैंपस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xlv) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को, परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xlvi) उद्योग और संस्थाओं के कर्मचारियों के सामुद्रिक मानक को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे प्रशिक्षण के लिए फीस उद्गृहीत करना जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए;

(xlvii) विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों की उन्नति के लिए जब कभी आवश्यक समझे, देश के बाहर किसी स्थान पर अपतट कैंपस की स्थापना करना;

(xlviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;

अधिकारिता।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उन पर अधिरोपित करे:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को, महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

विश्वविद्यालय की निधि।

8. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के परिकरण द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ग) पोत-परिवहन कंपनियों, अपतट सन्निर्माण कंपनियों और निमज्जन-कंपनियों से मिला कोई अंशदान;

(घ) किसी प्राइवेट व्यष्टि या संस्था द्वारा की गई कोई वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय को प्राप्त आय;

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशियां।

(2) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जाएगी जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

कुलाध्यक्ष।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा संचालित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उसके विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय, संस्था या कैंपस का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना,—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है; या

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध-मंडल को देगा, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है,

और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंध-मंडल को, कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे।

(5) कुलाध्यक्ष, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंध-मंडल द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई गई है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंध-मंडल एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में वैयक्तिक रूप में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति, तुरंत कार्य परिषद् को निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचार तथा ऐसी सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो।

(8) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में, उस पर अपने विचार और ऐसी

सलाह जो वह उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में देना चाहे कुलपति के माध्यम से संबंधित प्रबंध-मंडल को संबोधित कर सकेगा।

(9) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(10) जहां कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, कुलाध्यक्ष कुलसचिव से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसा निदेश दे सकेगा जो परिस्थितियों के आधार पर उचित हो।

(13) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रतिकुलपति;

(4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(5) निदेशक;

(6) कुलसचिव;

(7) वित्त अधिकारी; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा:

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश करे, किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी संस्था, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जा रही हो, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और महाविद्यालय और संस्था द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं, अध्यापन और किए जा रहे अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा और महाविद्यालय या संस्थाओं के प्रशासन और वित्त से संबद्ध किसी विषय के संबंध में, उसी रीति में कोई जांच करवा सकेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

13. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। प्रतिकुलपति।

14. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

15. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। निदेशक।

16. (1) प्रत्येक कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। कुलसचिव।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) प्रत्येक कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

17. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। वित्त अधिकारी।

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। अन्य अधिकारी।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

(1) सभा;

(2) कार्य परिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) योजना बोर्ड;

(5) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड;

(6) विद्यापीठों का बोर्ड;

(7) वित्त समिति; और

(8) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

20. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और सकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

21. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विद्या परिषद्।

22. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखेगी और उनको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद् को सभी शैक्षिक विषयों पर कार्यकारी परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

(3) विद्या परिषद् का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

सहबद्ध और मान्यता बोर्ड।

23. (1) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमा द्वारा विहित किए जाएं।

योजना बोर्ड।

24. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के विकास को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विद्यापीठों का बोर्ड।

25. (1) विद्यापीठों के उतने बोर्ड होंगे जितने विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) विद्यापीठों के बोर्डों का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

26. वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। वित्त समिति।

27. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।

28. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:— परिनियम बनाने की शक्ति।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हों;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उपलब्धियां;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबंध भी है, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(ठ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ढ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(ण) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, सहायक वृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(थ) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(द) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे।

29. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उसके विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात्वर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उन्हें संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

30. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, सहायक वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) उन कर्मचारियों से भिन्न जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किए गए हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) भारत में या विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई हैं;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(त) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और प्रबंध;

(थ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(द) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं या किए जाने हैं।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम।

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत है।

वार्षिक रिपोर्ट।

32. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

33. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, सभा और कुलाध्यक्ष को, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

34. (1) विश्वविद्यालय, नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के साथ लिखित में सेवा की संविदा करेगा, लिखित संविदा और संविदा के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत नहीं होंगी।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रहेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जाएगी।

माध्यस्थम् अधिकरण।

35. (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

36. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, कुलपति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद् यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 35 के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

37. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

38. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

39. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन।

40. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समितियां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो मिलकर बनेगी जैसा प्रत्येक मामले में, प्राधिकारी उचित समझे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों में (पदेन सदस्यों से भिन्न) सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही कवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

43. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1872 का 1

44. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, या विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेजों, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाती है, तो उसे उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी। विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

46. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,— संक्रमणकालीन उपबंध।

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलपति की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) (i) प्रथम योजना बोर्ड में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलपति द्वारा प्रस्तुत किए गए पैनल से, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(ii) प्रथम योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त, जब तक इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं होता है तब तक विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करेगा और योजना बोर्ड ऐसी शक्तियों के प्रयोग में ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा जिनका वह विनिश्चय करे:

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

47. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम का भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

विश्वविद्यालय के सहबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करना।

48. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी किसी महाविद्यालय या संस्था के ऐसे छात्र को जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त ऐसे महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश से ठीक पहले, किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हेतु उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था या विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्र के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

आस्तियों का अंतरण और कर्मचारियों का विकल्प।

49. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रशिक्षण पोत चाणक्य, मुंबई, सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान, मुंबई, सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, लाल बहादुर शास्त्री उन्नत सामुद्रिक अध्ययन महाविद्यालय, मुंबई, राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चेन्नई, भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम का भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय में विलयन के परिणामस्वरूप सभी आस्तियां और कर्मचारी विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और ऐसे कर्मचारियों के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:—

(i) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान के अधीन चारों प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के पास जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे, केन्द्रीय सरकार में प्रवृत्त निबंधनों और शर्तों पर भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय में सम प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का और सरकारी निवास स्थान को जारी रखने या बारी पर आबंटित किए जाने का तथा अपनी सेवानिवृत्ति तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रसुविधाओं के उपभोग का भी विकल्प होगा;

(ii) राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चैन्नई, भारतीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता और राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम के कर्मचारियों के पास अपनी सेनानिवृत्ति तक अपने-अपने संस्थानों के निबंधनों और शर्तों पर बने रहने का विकल्प होगा; और

(iii) सभी कर्मचारियों के पास विश्वविद्यालय की सेवा-शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने का अधिकार होगा।

केन्द्रीय सरकार और पोत परिवहन महानिदेशक की भूमिका।

50. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसको लिखित में दे।

(2) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, अंतिम होगा।

अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा देश के शैक्षणिक, सामुद्रिक, लोक प्रशासन के क्षेत्र में या सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन व्यक्तियों में से की जाएगी: कुलाधिपति।

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा।

(2) कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी कुलाधिपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पदग्रहण नहीं कर लेता।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन, सामुद्रिक, लोक प्रशासन, समुद्री या पत्तन प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी: कुलपति।

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह नए पैनल की मांग कर सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें से कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या विद्या परिषद् का कर्मचारी या सभा कार्य परिषद्, योजना बोर्ड का सदस्य या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्था से संबंधित व्यक्ति नहीं होगा और तीन व्यक्तियों में से, एक व्यक्ति कार्य परिषद् द्वारा, एक व्यक्ति सभा द्वारा और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पदग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और, यथास्थिति, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि जिस कुलपति की पदावधि समाप्त हो गई है वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ते से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान किरायामुक्त सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारी परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे या उससे संबद्ध महाविद्यालय ग संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वावद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उससे संबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा।

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। इस अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा। जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा:

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पदग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड सहबद्ध और मान्यताप्राप्त बोर्ड और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कामकाज पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभाव में लाएगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(6) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति का अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

(7) कुलपति को विश्वविद्यालय के कृत्यों को करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें वह आवश्यक समझे, छह मास की अवधि के लिए, कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से अल्पकालीन नियुक्तियां करने की शक्ति होगी।

प्रतिकुलपति।

4. (1) प्रत्येक प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी:

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो:

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति हर दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति नया कुलपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता:

परंतु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो गया है और कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कोई प्रतिकुलपति नहीं है तब कार्यकारी परिषद् प्रतिकुलपति को नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिकुलपति, जैसे ही कुलपति की नियुक्ति हो जाती है और वह पद धारण कर लेता है, उस पद पर नहीं रहेगा।

(3) (क) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(ख) प्रतिकुलपति का वेतन कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(ग) प्रतिकुलपति अपनी पदावधि के दौरान किरायामुक्त, सुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के रखरखाव के संबंध में प्रतिकुलपति को व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं देना होगा।

(घ) प्रतिकुलपति, उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, ऐसी छुट्टी, फायदों और अन्य भत्तों का हकदार होगा, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय हों।

(ङ) प्रतिकुलपति ऐसे सेवांत फायदों का हकदार होगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं।

(च) प्रतिकुलपति अपनी पदावधि की समाप्ति तक विश्वविद्यालय की अंशदायी भविष्य-निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा:

परंतु जब विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का या किसी अन्य विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या उससे सहबद्ध संस्था का कोई कर्मचारी, प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन ऐसे व्यक्ति के वेतन पर विचार करने के पश्चात् नियत किया जाएगा।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं।

कुलसचिव।

5. (1) प्रत्येक कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा:

परंतु चयन समिति में सभा के नामनिर्देशिती को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परंतु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुशासनिक कार्रवाई करने की तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परन्तु किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कार्यपरिषद् किसी कुलसचिव को निम्नलिखित एक या अधिक हैसियत में पदेन कार्य करने के लिए पदाभिहित करेगी, अर्थात्:—

(i) सभा का सचिव;

(ii) कार्य परिषद् का सचिव;

(iii) विद्या परिषद् का सचिव;

(iv) सहबद्ध और मान्यताप्राप्त बोर्ड का सचिव;

(v) योजना बोर्ड का सचिव।

(7) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कुलसचिव का संबंधित प्राधिकारी के संबंध में यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) उस प्राधिकारी और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) उस प्राधिकारी और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् योजना बोर्ड और सहबद्धता और मान्यता बोर्ड के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) अध्यादेशों द्वारा विहित की गई रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध और अधीक्षण करे;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दें;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षा की जाए।

6. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं:

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं:

परंतु वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, एक लाख रुपए से अधिक का कोई व्यय या कोई विनिधान नहीं करेगा।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारित करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती औ अनावर्ती व्यय की नियत की गई सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको, वित्त समिति द्वारा उन पर विचार किए जाने के पश्चात् कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी द्वारा या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में दी गई किसी रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

7. (1) विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा:

परंतु यह और कि यदि किसी समय किसी विद्यापीठ में आचार्य नहीं है तो कुलपति या कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किंतु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष।

8. (1) ऐसे विभागों के मामले में, जिनमें एक से अधिक आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आचार्यों में से चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसे विभागों के मामले में, जहां केवल एक आचार्य है, कार्य परिषद् के पास, कुलपति की सिफारिश पर, या तो आचार्य को या किसी उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा:

परंतु आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(5) विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलानुशासक।

9. (1) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(2) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुन:नियुक्ति का पात्र होगा।

पुस्तकालय अध्यक्ष।

10. (1) पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

कार्य परिषद् की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति और अवधि।

11. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रतिकुलपति, पदेन;

(ग) सचिव, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो;

(घ) महानिदेशक,पोत परिवहन या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो;

(ङ) अध्यक्ष, भारतीय पत्तन संगम, नई दिल्ली;

(च) वित्त सलाहकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो;

(छ) कुलपति की सिफारिश पर, कम से कम ऐसे दस व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे पांच सदस्य, जो सामुद्रिक शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और/या व्यावहारिक अनुभव रखते हों;

(ज) केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला ऐसा एक सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो;

(झ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट विद्यापीठ का एक संकायाध्यक्ष ;

(ञ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट दो निदेशक ;

(ट) कार्य परिषद् द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट संबद्ध महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के तीन प्राचार्य;

(ठ) किसी तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्तमान या पूर्व कुलपति;

(ड) उस राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है।

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(3) कार्य परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी।

(4) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(5) कार्य परिषद् के एक वर्ष में, चार से कम अधिवेशन नहीं होंगे और किसी अधिवेशन में कामकाज का संचालन करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के नियम तथा अधिवेशन के संबंध में ऐसे अन्य विषय, जो आवश्यक हों, ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना:

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जितने आवश्यक हों, तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(v) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ता नियुक्त करना, जितने वह ठीक समझे;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(viii) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिधान करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिधान करना, जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उन्हें परिवर्तित करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiii) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियों और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xv) छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक विशेष इंतजाम करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जैसा वह उचित समझे, अपनी किसी शक्ति का प्रत्यायोजन करना;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, सहायकवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

13. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय, जब किसी वर्ष के संबंध में सभा ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा। सभा के अधिवेशन।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के बारह सदस्यों से होगी।

(5) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(6) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

पदेन सदस्य:

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(iv) अध्यापन विभागों के प्रधान जो संकायाध्यक्ष नहीं हैं;

(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(vi) कुलसचिव;

(vii) पुस्तकालय अध्यक्ष;

(viii) कुलानुशासक;

(ix) वित्त अधिकारी;

अध्यापकों के प्रतिनिधि:

(x) ऐसे सभी आचार्य जो अध्यापन विभागों के प्रधान नहीं हैं;

(xi) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे दो उपाचार्य जो अध्यापन विभागों के प्रधान नहीं हैं;

(xii) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले दो प्राध्यापक;

अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द के प्रतिनिधि:

(xiii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, एक समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द में से और अन्य शेष में से होगा;

विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि:

(xiv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, संबद्ध संस्थाओं से एक ऐसा प्रतिनिधि जो संस्था का प्रधान होगा;

संसद् के प्रतिनिधि:

(xv) संसद् के पांच प्रतिनिधि, जिनमें से तीन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा और दो, राज्य सभा के सभापति द्वारा, उनके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। तथापि, संसद् के किसी सदस्य के मंत्री या लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा का उपसभापति बन जाने के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय की सभा में उसका नामनिर्देशन या निर्वाचन समाप्त हुआ समझा जाएगा।

उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति:

(xvi) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सामुद्रिक उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्यारह व्यक्ति, जिनमें इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन, मेरीटाइम एसोसिएशन ऑफ शिप ओनर्स एंड शिप मैनेजर्स एसोसिएशन, फारेन ओनर्स रिप्रिजेन्टेटिव्स एंड शिप मैनेजर्स एसोसिएशन, पोत निर्माण उद्योग, झमाई उद्योग, अपतट उद्योग, नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ, भारत के बहुरूपात्मक परिवहन प्रचालकों के संगम, इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग, मेजर एण्ड माइनर पोर्ट्स प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति होगा;

(xvii) सामुद्रिक राज्यों के दस प्रतिनिधि, जिनमें से एक-एक प्रतिनिधि राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अन्य सदस्य:

(xviii) कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य जो सभा के प्राधिकृत सदस्य नहीं हैं।

(7) सभा के पदेन सदस्यों से भिन्न, सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परंतु संसद् सदस्य तीन वर्ष के लिए या जब तक उस सदन का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सदस्य बना रहता है, इनमें से जो भी कम हो, पद धारण करेगा।

विद्या परिषद् की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति और अवधि।

14. (1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रतिकुलपति;

(ग) मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), का पोत परिवहन महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती;

(घ) नौ सलाहकार, भारत सरकार के, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग) का पोत परिवहन महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती;

(ङ) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कैंपसों के सभी निदेशक;

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के सभी प्रधान;

(ज) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग से एक आचार्य;

(झ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, सामुद्रिक विद्याओं और संबंधित विषयों के क्षेत्र में तीन विख्यात विशेषज्ञ; और

(ञ) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के दो प्राचार्य।

(2) कुलसचिव, विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

(4) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(5) विद्या परिषद् एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन करेगी।

विद्या परिषद् की शक्तियां।

15. अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का सहकार करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना, विद्यापीठों के बीच ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों, सहायतावृत्ति, अनुसंधान सहायतावृत्ति और छात्रवृत्तियों, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों;

(ङ) कार्य परिषद् को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हता और उपलब्धि की सिफारिश करना;

(च) कार्य परिषद् को परीक्षकों और अनुसीमकों की सिफारिश करना;

(छ) कार्य परिषद् को सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना; और

(ज) कार्य परिषद् को पदों के गठन के लिए सिफारिश करना।

योजना बोर्ड की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति और अवधि।

16. (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रतिकुलपति;

(ग) सचिव, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(घ) सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ङ) पोत परिवहन महानिदेशक, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार;

(च) वित्त सलाहकार, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(छ) कुलपति की सिफारिश पर कम से कम छह व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे दो सदस्य, जो सामुद्रिक शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और/या व्यावहारिक अनुभव रखते हों;

(ज) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्यापीठ का एक संकायाध्यक्ष;

(झ) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय कैंपस का निदेशक;

(ञ) चक्रानुक्रम में कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट संबद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य; और

(ट) किसी तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्तमान या पूर्ववर्ती एक कुलपति:

परंतु उपरोक्त उपखंड (ङ) से उपखण्ड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, यथासाध्य, भिन्न संकायों से लिए जाएंगे।

(2) कुलसचिव, योजना बोर्ड का पदेन सचिव होगा।

(3) योजना बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(4) योजना बोर्ड के, पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

योजना बोर्ड।

17. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख योजना निकाय होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षा की संरचना स्थापित करना ताकि व्यक्तित्व के विकास और समाज में उपयोगी कार्य कुशलता के लिए समुचित विषयों के विभिन्न संयोजनों का प्रस्ताव करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान कराए जा सकें;

(ग) मूल्योन्मुखी शिक्षा के लिए सहायक वातावरण और पर्यावरण का सृजन करना;

(घ) नई अध्यापन-विद्या प्रक्रियाओं का विकास करना जो व्याख्याओं, शैक्षकीय, विचार गोष्ठियों, प्रदर्शनों, स्वत:अध्ययनों और सामूहिक व्यावहारिक परियोजनाओं को जोड़ेगी।

(2) योजना बोर्ड को विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सलाह देने की और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ताकि यह अभिनिश्चित हो सके कि वे उसके द्वारा सिफारिश किए गए मार्ग पर है अथवा नहीं और उससे संबंधित किसी विषय पर कार्य परिषद् और विद्या परिषद् को सलाह देने की भी शक्ति होगी।

(3) विद्या परिषद् और कार्य परिषद् योजना बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आबद्ध होगी और उसके द्वारा स्वीकृति की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन करेंगे।

(4) योजना बोर्ड की सिफारिशें, जो खंड (3) के अधीन कार्य परिषद् या विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं, कुलपति द्वारा कार्य परिषद् या विद्या परिषद् की सिफारिशों के साथ कुलाध्यक्ष को सलाह के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और कुलाध्यक्ष की सलाह, यथास्थिति, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।

(5) योजना बोर्ड ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको मानीटर करने के लिए आवश्यक हों।

विद्यापीठ और विभाग।

18. (1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं।

(ख) कोई विभाग, परिनियमों के सिवाय, स्थापित या समाप्त नहीं किया जाएगा:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जा सकेंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ग) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

अध्ययन बोर्ड।

19. (1) प्रत्येक विभाग में एक स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड और एक पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड की ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना होंगे—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक अध्ययन बोर्ड का गठन और कृत्य और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।

वित्त समिति।

20. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति; और

(v) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कम से कम एक व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के, पदेन सदस्यों से भिन्न, सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समितियां।

21. (1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

1	2
आचार्य	(i) संबद्ध विभाग का अध्यक्ष यदि वह आचार्य है। (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
उपाचार्य/प्राध्यापक	(i) संबद्ध विभाग का अध्यक्ष। (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव, वित्त अधिकारी	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालय अध्यक्ष	(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण:

1. जहां नियुक्ति अंतर-अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

2. नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और खंड (2) के अधीन कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तभी विधिमान्य होंगी, जब—

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग लें; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग लें।

(4) चयन समिति का अधिवेशन, कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति द्वारा बुलाया जाएगा।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(6) यदि, कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह उसके कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा;

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

22. (1) परिनियम 21 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

23. कार्य परिषद् परिनियम 21 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

मान्यताप्राप्त शिक्षक।

24. (1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाए।

(3) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए अधिकथित रीति से गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना किसी शिक्षक को शिक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(4) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक की मान्यता वापस ले सकेगी:

परंतु जब तक इस आशय की लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए, उस संबद्ध व्यक्ति को, उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए न दे दी जाए और जब तक विद्या परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा।

(6) खंड (5) के अधीन मान्यता वापस लेने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा जो उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे।

समितियां।

25. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी, विशेष समितियां या खोज समिति स्थापित कर सकेगा, जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

26. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का प्रत्येक सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

27. विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

ज्येष्ठता सूची।

28. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना।

29. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खण्ड (3) के अधीन तभी हटाया जाएगा जब उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा; और

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

सम्मानिक उपाधि।

30. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपात स्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से भी ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधियों, आदि को वापस लिया जाना।

31. कार्य परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना दे दी गई है कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार कर लिया गया हो।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

32. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति अपनी सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयाग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति, प्राचार्यों और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

महाविद्यालयों, आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

33. ऐसे महाविद्यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती है, अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य में निहित होंगी।

महाविद्यालयों आदि को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना।

34. (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे निम्नलिखित शर्तों पर दिए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का नियमित रूप से गठित एक शासी निकाय होगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति होंगे तथा जिनमें, अन्य व्यक्तियों सहित कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और अध्यापन कर्मचारिवृंद के तीन प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य होगा। शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध पर प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के लिए प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं की दशा में उक्त शर्त लागू नहीं होगी, तथापि, उनकी एक सलाहकार समिति होगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति होंगे तथा जिनमें अन्य व्यक्तियों सहित तीन शिक्षक होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे;

(ii) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था निम्नलिखित मामलों में कार्य परिषद् का समाधान करेगी, अर्थात्:—

(क) उसकी वास-सुविधा की तथा अध्यापन के लिए उपस्कर की उपयुक्तता और पर्याप्तता;

(ख) अध्यापन कर्मचारिवृंद की अर्हताएं तथा उनकी पर्याप्तता और उनकी सेवा की शर्तें;

(ग) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण के लिए प्रबंध;

(घ) महाविद्यालय या संस्था को निरंतर चलाने के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्तता; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक हों;

(iii) विद्या परिषद् की सिफारिश के बिना किसी भी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे जो विद्या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी;

(iv) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करने के इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना इस प्रकार दें ताकि वह उस वर्ष से जिससे आवेदित अनुज्ञा प्रभावी होनी है, पूर्ववर्ती पन्द्रह अगस्त तक कुल सचिव के पास पहुंच जाए;

(v) महाविद्यालय या संस्था, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी विषय पाठ्यक्रम में शिक्षण देना स्थगित नहीं करेगी, जिसका अध्यापन करने के लिए वह प्राधिकृत है और जिसका वह अध्यापन करती है।

(2) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्यापन कर्मचारिवृंद और प्राचार्यों की नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से की जाएगी:

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था के प्रशासनिक तथा अन्य अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं:

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

(4) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण विद्या परिषद् द्वारा नियुक्त समिति प्रत्येक दो शैक्षणिक वर्षों में कम से कम एक बार करेगी और इस समिति की रिपोर्ट विद्या परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे अपनी ऐसी सिफारिशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, कार्य परिषद् को भेजेगी।

(5) रिपोर्ट तथा विद्या परिषद् की सिफारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, रिपोर्ट की एक प्रति महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को यथोचित कार्रवाई के लिए भेजेगी।

(6) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् किसी महाविद्यालय या संस्था को दिए गए किन्हीं विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी यदि किसी भी समय उसका यह विचार है कि महाविद्यालय या संस्था उन शर्तों में से किन्हीं को पूरा नहीं कर रही है जिनके आधार पर महाविद्यालय या संस्था को ऐसे विशेषाधिकार दिए गए थे:

परंतु किन्हीं विशेषाधिकारों को इस प्रकार वापस लेने के पहले संबंधित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को कार्य परिषद् के समक्ष यह अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(7) खंड (1) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा,—

(i) ऐसी अन्य शर्तें, जो आवश्यक समझी जाएं;

(ii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को देने और इन विशेषाधिकारों को वापस लेने से संबंधित प्रक्रिया,

विहित की जा सकेंगी।

(8) संबद्ध तथा मान्यता बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

दीक्षांत समारोह।

35. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

36. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है, वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र।

37. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हताएं।

38. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; और

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

39. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता।

40. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने के नाते विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है ऐसा पद या सदस्यता तब तक धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है।

पूर्व छात्र संगम।

41. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य मतदान करने या निर्वाचन में खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख के पहले कम से कम एक वर्ष तक संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष तक की डिग्री का धारक है:

परंतु पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता पूरी होने संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।

42. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे— छात्र परिषद्।

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो कि छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ii) वे सभी छात्र, जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन, ललित कला, खेलकूद और विस्तार कार्य में पुरस्कार जीते हैं;

(iii) दस ऐसे छात्र, जो अध्ययन, खेलकूद और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर छात्र परिषद् में नामनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय को यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए, छात्र परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा और उसे किसी भी अधिवेशन में चर्चा में भाग लेने का उस समय अधिकार होगा जब उस विषय के बारे में विचार किया जाए।

(2) छात्र परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह अध्ययन, छात्र कल्याण कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के साधारण कार्यकरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी को सुझाव दे और ऐसे सुझाव सर्वसम्मति के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) छात्र परिषद् शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार अधिमानत: उस वर्ष के प्रारम्भ में अपना अधिवेशन करेगी।

43. (1) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे। अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

(2) धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में प्रगणित मामलों से भिन्न उस धारा में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तभी बनाया जाएगा जब ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में, जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है, प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश देने की शक्ति होगी और वह कार्य परिषद् को, यथाशीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा। कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

44. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:— विनियम।

(i) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

45. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

समतुल्यता कमेटी।

46. (1) सामुद्रिक विद्या में अर्हता की उत्कृष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, चार सरकारी सामुद्रिक संस्थानों (सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता और मुंबई, लाल बहादुर शास्त्री उच्च सामुद्रिक अध्ययन और अनुसंधान महाविद्यालय, मुंबई, प्रशिक्षण पीत चाणक्य, नवी मुंबई), जो वर्तमान में भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान के अधीन है, में विद्यमान अध्यापन पदों की प्रस्तावित विश्वविद्यालय में समतुल्य पदों सहित सापेक्षता पर विचार करने की दृष्टि से एक "समतुल्यता समिति" का गठन किया था। समिति की सिफारिश नीचे सारणी में दी गई है:—

अनुसूची

(1)	(2)
राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार वर्तमान पदों का नाम और वेतनमान और भर्ती नियम	विश्वविद्यालय में पद की मान्यता के लिए 'समतुल्यता समिति' द्वारा सिफारिश।
कैप्टन अधीक्षक/प्राचार्य/निदेशक (रु॰ 18400-500-22400)	आचार्य
उप प्राचार्य/उप/मुख्य अधिकारी/ ज्येष्ठ इंजीनियर अधिकारी/ज्येष्ठ नौ-अधिकारी (रु॰ 14300-400-18300)	सह आचार्य
इंजीनियर अधिकारी/नौ-अधिकारी (रु॰ 12000-375-16500)	सहायक आचार्य
ज्येष्ठ प्राध्यापक (रु॰ 12000-375-16500)	सहायक आचार्य
ज्येष्ठ प्राध्यापक (एम॰ई॰आर॰आई॰) (रु॰ 10000-375-15000)	ज्येष्ठ प्राध्यापक
प्राध्यापक (रु॰ 8000-275-13500)	प्राध्यापक।

(2) सामुद्रिक विद्या में स्नातकोत्तर और डाक्टरेट अध्ययनों की अनुपस्थिति में संस्थानों में विद्यमान पदों को विश्वविद्यालय के समुचित वेतमान पदों के समतुल्य समझे जाएंगे।

(3) आगामी सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं विश्वविद्यालय द्वारा विरचित किए जाने वाले पृथक् अध्यादेशों द्वारा शासित होंगी।

फीस का पुनर्विलोकन।

47. फीस का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 25)

[5 दिसंबर, 2008]

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम।

अध्याय 2

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 का संशोधन

1915 का 16

2. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम कहा गया है) धारा 13 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 13 का संशोधन।

"(3) लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

3. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 13क का अंत:स्थापन।

"13क. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को उस तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट।

(2) सभा उस पर अपनी टीका-टिप्पणी कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

अध्याय 3

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 का संशोधन

1922 का 8

4. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम कहा गया है) धारा 38 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस धारा 38 का संशोधन।

प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

धारा 39 का संशोधन।

5. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

अध्याय 4

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 का संशोधन

धारा 19 का संशोधन।

6. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम कहा गया है) धारा 19 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1966 का 53

"(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

धारा 20 का संशोधन।

7. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) लेखाओं की एक प्रति, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

अध्याय 5

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

धारा 28 का संशोधन।

8. पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम कहा गया है) धारा 28 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1973 का 24

"(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

धारा 29 का संशोधन।

9. पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

अध्याय 6

हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 का संशोधन

धारा 28 का संशोधन।

10. हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1974 का 39

"(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो, उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।"।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 27)

[5 दिसम्बर, 2008]

विमानपत्तनों पर दी जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य प्रभारों को विनियमित करने और विमानपत्तनों के कार्यपालन मानकों को मानीटर करने के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और विवादों का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान करने के लिए अपील अधिकरण की भी स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह—

(क) संघ के सशस्त्र बलों या परासैनिक बलों के या उनके नियंत्रण के अध्यधीन विमानपत्तनों और हवाई मैदानों से भिन्न सभी विमानपत्तनों, जिन पर वायु परिवहन सेवाएं प्रचालित की जाती हैं या प्रचालित की जाने के लिए आशयित हैं;

(ख) सभी प्राइवेट विमानपत्तनों और पट्टाधृत विमानपत्तनों;

(ग) सभी सिविल अंत:क्षेत्रों;

(घ) सभी मुख्य विमानपत्तनों,

को लागू होता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "वैमानिक सेवा" से निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराई गई सेवा अभिप्रेत है,—

(i) वायु यातायात प्रबंध के लिए विमान संचालन निगरानी और सहायक [illegible]ार;

(ii) विमान के उतरने, ठहरने या पार्क करने अथवा किसी विमानपत्तन पर विमान प्रचालनों के संबंध में प्रस्थापित कोई अन्य जमीनी सुविधा;

(iii) विमानपत्तन पर जमीनी सुरक्षा सेवा;

(iv) विमानपत्तन पर विमान यात्रियों एवं स्थोरा से संबंधित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं;

(v) विमानपत्तन पर स्थोरा सुविधा;

(vi) विमानपत्तन पर विमान के लिए ईंधन की आपूर्ति; और

(viii) विमानपत्तन पर स्टेक हौल्डर के लिए है, जिसके लिए प्रभार, लेखबद्ध किए गए कारणों से केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जा सकेगा।

(ख) ''विमानपत्तन'' से विमानों के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर प्रायः रनवे और वायुयान अनुरक्षण तथा यात्री सुविधाएं होती हैं और इसके अंतर्गत वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित विमान क्षेत्र भी है; 1934 का 22

(ग) ''विमानपत्तन उपयोक्ता'' से किसी विमानपत्तन पर यात्री या स्थोरा सुविधाओं का उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) ''अपील अधिकरण'' से धारा 17 के अधीन स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) ''प्राधिकरण'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''सिविल अंत:क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र, यदि कोई हो, अभिप्रेत है जो ऐसे विमानपत्तन से किन्हीं वायु परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए या ऐसी सेवा द्वारा यात्री सामान अथवा स्थोरा की उठाई-धराई के लिए संघ के किसी सशस्त्र बल के किसी विमानपत्तन में आबंटित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र पर किसी भवन और संरचना की भूमि भी है;

(छ) ''अध्यक्ष'' से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ''पट्टे पर विमानपत्तन'' से ऐसा विमानपत्तन अभिप्रेत है, जिसकी बाबत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 12क के अधीन पट्टा दिया गया है; 1994 का 55

(झ) ''महा विमानपत्तन'' से ऐसा विमानपत्तन, जिसकी क्षमता वार्षिक 15 लाख से अधिक यात्रियों की है या उतने के लिए अभिहित किया गया है या कोई ऐसा अन्य विमानपत्तन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार उस रूप में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(ञ) ''सदस्य'' से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) ''प्राइवेट विमानपत्तन'' का वही अर्थ है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (ढढ) में है; 1994 का 55

(ड) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''सेवा प्रदाता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो वैमानिक सेवाएं प्रदान करता है और किसी विमानपत्तन पर आरोहण करने वाले यात्रियों से उपयोक्ता विकास फीस उद्‌गृहीत और प्रभारित करने के लिए पात्र है तथा जिसके अंतर्गत वह प्राधिकरण भी है, जो विमानपत्तन का प्रबंध करता है;

(ण) ''पणधारी'' के अंतर्गत किसी विमानपत्तन का अनुज्ञप्तिधारी, वहां प्रचालनरत एयरलाइन, ऐसा व्यक्ति जो वैमानिकी सेवाएं प्रदान करता है, और व्यष्टियों का कोई संगम जो, प्राधिकरण की राय में, यात्री या स्थोरा सुविधा उपयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, भी है;

1994 का 55

(त) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में परिभाषित हैं; वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के नाम से ज्ञात, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला, एक निगमित निकाय होगा जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

प्राधिकरण की संरचना।

4. (1) प्राधिकरण, अध्यक्ष और दो ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु जब भी प्राधिकरण किसी रक्षा वायुक्षेत्र में सिविल अंत:क्षेत्र से संबंधित विषय का विनिश्चय कर रहा हो तो उसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला भारत सरकार के अपर सचिव से अन्यून की पंक्ति का एक अतिरिक्त सदस्य उसमें होगा।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा विमानन, अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य या उपभोक्ता मामलों में पर्याप्त ज्ञान और वृत्तिक अनुभव रखने वाले योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या रहा है, सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद तीन वर्ष से अन्यून की कुल अवधि के लिए धारण किया हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे।

(5) अध्यक्ष, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।

(6) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे।

सदस्यों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) मंत्रिमंडल सचिव — अध्यक्ष;

(ख) सचिव, सिविल विमानन मंत्रालय — सदस्य;

(ग) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय — सदस्य;

(घ) सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य;

(ङ) सिविल विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ — सदस्य।

(2) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से एक मास के भीतर और अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता से या पदावधि के अंत से छह मास पूर्व, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निर्देश करेगी।

(3) चयन समिति, उस तारीख से जिसको उसे निर्देश किया जाता है, एक मास के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(4) चयन समिति, उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए, दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) चयन समिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, आदि।

6. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा किंतु पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस रूप में अपना पद,—

(क) अध्यक्ष की दशा में पैंसठ वर्ष; और

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में बासठ वर्ष,

की आयु प्राप्त करने के पश्चात् धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी सदस्य को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष रह चुका है, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और उनकी सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(5) अध्यक्ष या किसी सदस्य के इस प्रकार पद पर न रह जाने पर,—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अपने पद पर न रह जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी और नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) उस तारीख से, जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है दो वर्ष की अवधि तक कोई वाणिज्यिक नियोजन जिसके अंतर्गत प्राइवेट नियोजन भी है, स्वीकार नहीं करेगा; या

(ग) किसी अन्य रीति में प्राधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन नियोजन भी है;

(ख) "वाणिज्यिक नियोजन" से किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत में या उसके अभिकरण में नियोजन अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत किसी कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी है तथा इसके अंतर्गत स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या परामर्शी के रूप में व्यवसाय स्थापित करना भी है।

अध्यक्ष की शक्ति।

7. अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्ति होगी और वह प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।

सदस्यों का हटाया जाना और निलंबन।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या अन्य सदस्य को पद से आदेश द्वारा हटा सकेगी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(च) अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य नियोजन में लगा रहा है।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, उसके पद से, केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेश के सिवाय, जब उसके साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के

अनुसार की गई किसी जांच के पश्चात् केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सदस्य को किसी ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की जा रही हो या लंबित हो तब तक निलंबित कर सकेगी जब तक केन्द्रीय सरकार ने जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित न किया हो।

प्राधिकरण के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, एक सचिव को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) प्राधिकरण के सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतनी संख्या में सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को, जिनके पास अर्थशास्त्र, विधि कारबार या विमानन से संबंधित ऐसी अन्य विद्या शाखाओं में विशेष ज्ञान और अनुभव है जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, नियुक्त कर सकेगा।

अधिवेशन।

10. (1) प्राधिकरण ऐसे स्थानों और समय पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष किसी कारण से प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष को अथवा पीठासीन सदस्य को दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(4) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

अधिप्रमाणन।

11. प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

12. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य।

13. (1) प्राधिकरण, महाविमानपत्तनों के संबंध में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ अवधारित करना,—

(i) विमानपत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए उपगत पूंजी व्यय और समय से किया गया विनिधान;

(ii) प्रदान की गई सेवा, उसकी क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातें;

(iii) दक्षता में सुधार लाने के लिए लागत;

(iv) महा विमानपत्तन का मित्तव्ययी और व्यवहार्य प्रचालन;

(v) वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाओं से प्राप्त राजस्व;

(vi) किसी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित रियायत;

(vii) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हो:

परन्तु उपखंड (i) से उपखंड (vii) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त सभी या किसी बात को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न विमानपत्तनों के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ संरचनाएं नियत की जा सकेंगी;

(ख) महा विमानपत्तनों के संबंध में विकास फीस की रकम अवधारित करना;

1934 का 22

(ग) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के अधीन उद्‌गृहीत यात्री सेवा फीस की रकम अवधारित करना;

(घ) सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे उपवर्णित कार्यपालन मानकों को जो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानीटर करना;

(ङ) ऐसी सूचना मांगना जो खंड (क) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आवश्यक हो;

(च) टैरिफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) प्राधिकरण, पांच वर्ष में एक बार टैरिफ का अवधारण करेगा और यदि ऐसा करना समुचित और लोकहित में समझा जाए और इस प्रकार अवधारित टैरिफ का उक्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान, समय-समय पर, संशोधन कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय भारत की प्रभुता और अखंडता के हित राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय—

(क) विमानपत्तन के सभी पणधारियों से सम्यक् परामर्श करके;

(ख) सभी पणधारियों को अपने निवेदन प्राधिकरण को करने के लिए अनुज्ञात करके;

(ग) प्राधिकरण के सभी विनिश्चयों का पूर्णरूप से दस्तावेजीकरण और स्पष्ट करके,

पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

जानकारी मांगने, अन्वेषण करने आदि की प्राधिकरण की शक्तियां।

14. (1) जहां प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझता है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी सेवा प्रदाता से किसी भी समय लिखित में उसके कृत्यों से संबंधित ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा जिनकी प्राधिकरण, सेवा प्रदाता के संपादन का निर्धारण करने के लिए अपेक्षा करे; या

(ख) किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलाप से संबंधित कोई जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और

(ग) किसी सेवा प्रदाता की लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को निदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलाप के संबंध में कोई जांच की गई है, वहां—

(क) यदि ऐसा सेवा प्रदाता सरकार का कोई विभाग है तो सरकारी विभाग का प्रत्येक कार्यालय;

(ख) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(ग) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई फर्म है तो प्रत्येक भागीदार प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(घ) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसका खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ कारबार के अनुक्रम में संबंध रहा था,

जांच करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की ऐसी सभी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज जो, ऐसी जांच की विषय-वस्तु से संबंधित है, पेश करने के लिए और प्राधिकरण को यथास्थिति, उससे संबंधित ऐसा विवरण या जानकारी भी, जिसकी उससे अपेक्षा की जाए, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज रखेगा जो विहित किए जाएं।

(4) प्राधिकरण को, सेवा प्रदाताओं के कार्य को मानीटर करने के लिए ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो वह सेवा प्रदाताओं द्वारा समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

कतिपय निदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति।

15. प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर, ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

अभिग्रहण की शक्ति।

16. प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज मिल सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक वे लागू हों, अभिगृहीत कर सकेगा या उसके उद्धरण या उसकी प्रतियां ले सकेगा।

1974 का 2.

अध्याय 4

अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना।

17. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी जो—

(क) (i) दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच;

(ii) सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच, किसी विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा:

परन्तु यदि अपील अधिकरण उचित समझे तो ऐसे विवाद से संबंधित किसी विषय पर प्राधिकरण की राय अभिप्राप्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस खंड की कोई बात निम्नलिखित से संबंधित विषयों की बाबत लागू नहीं होगी—

(i) एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अधिकारिता के अध्यधीन है;

1969 का 54

(ii) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ या उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के समक्ष चलाने योग्य किसी व्यष्टिक उपभोक्ता का परिवाद;

1986 का 68

2003 का 12

(iii) जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं;

1994 का 55

(iv) बेदखली आदेश जो भारतीय विमानपत्तन अधिनियम, 1994 की धारा 28ट के अधीन अपीलीय है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निपटारा करेगा।

विवाद के निपटारे के लिए आवेदन और अपील अधिकरण को अपील।

18. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई व्यक्ति धारा 17 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण के किसी निदेश, विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेश या किए गए आदेश या विनिश्चय की प्रति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी और यह ऐसे प्ररूप में होगी, ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु अपील अधिकरण उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसके फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन आवेदन या उपधारा (2) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, विवाद या अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) अपील अधिकरण, यथास्थिति विवाद या अपील के पक्षकारों और प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन या उपधारा (2) के अधीन की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा, यथास्थिति, आवेदन या अपील की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर आवेदन या अपील का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा:

परन्तु जहां ऐसे आवेदन या अपील का निपटारा उक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, वहां अपील अधिकरण उक्त अवधि के भीतर आवेदन या अपील के निपटारा नहीं किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(7) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन में किसी विवाद या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के किसी निदेश या आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध की गई अपील की वैधता या औचित्य या सत्यता की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसे आवेदन या अपील के निपटारे से सुसंगत अभिलेखों को मंगा सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

अपील अधिकरण की संरचना।

19. (1) अपील अधिकरण अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण में उस रूप में पद धारण करने वाले अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उस अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

20. अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा, जब—

(क) वह अध्यक्ष की दशा में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

(ख) सदस्य की दशा में, उसने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में विमानन या अर्थशास्त्र या विधि के क्षेत्र में व्यौहार करने वाले मंत्रालयों या विभागों में कोई समतुल्य पद, दो वर्ष से अन्यून की कुल अवधि के लिए धारण किया है या ऐसा व्यक्ति जो विमानन या अर्थशास्त्र या विधि के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता है।

पदावधि।

21. अपील अधिकरण का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद-भार ग्रहण करता है, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा:

परन्तु कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य,—

(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु;

(ख) सदस्य की दशा में पैंसठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

सेवा के निबंधन और शर्तें।

22. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं:

परन्तु अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

रिक्तियां।

23. यदि अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति हो जाती है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगी और कार्यवाहियां, उस प्रक्रम से जिस पर रिक्ति भरी जाती है, अपील अधिकरण के समक्ष चालू रखी जा सकेंगी।

पद से हटाया जाना और त्यागपत्र।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग कियां है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जांच किए जाने पर यह रिपोर्ट दे दी हो कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

(3) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, तभी निलंबित कर सकेगी जब केन्द्रीय सरकार ने ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई आदेश पारित कर दिया हो।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे। — अपील अधिकरण के कर्मचारिवृन्द।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

26. यदि, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की किसी विषय पर राय में मतभेद है, तो ऐसे विषय को बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा। — बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाना।

27. अपील अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। — सदस्यों आदि का लोक सेवक होना। (1860 का 45)

28. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय के संबंध में, वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनका अवधारण करने के लिए अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा। — सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना।

29. (1) अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। — अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां। (1908 का 5)

(2) अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— (1908 का 5)

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; (1872 का 1)

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किए गए किसी आदेश को अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(3) अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (1860 का 45; 1974 का 2)

विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार।

30. आवेदक या अपीलार्थी, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं हाजिर हो सकेगा, या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने अधिकारियों में से किसी को प्राधिकृत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1949 का 38

(ख) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित ऐसा कंपनी सचिव अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1980 का 56

(ग) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित ऐसा लागत लेखापाल अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1959 का 23

(घ) "विधि व्यवसायी" से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

31. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अन्तर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील, उच्चतम न्यायालय को उस संहिता की धारा 100 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर होगी। 1908 का 5

(2) अपील अधिकरण द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस विनिश्चय या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परन्तु उच्चतम न्यायालय यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील करने में पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था तो नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश का डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना।

32. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश, अपील अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अपील अधिकरण, उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को संप्रेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट।

33. प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करते हुए तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को सूचना के लिए अग्रेषित करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

34. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय या उनके संबंध में वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी हैं, संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।

लेखाओं का वार्षिक विवरण।

35. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखे से संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

विवरणियों आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना।

36. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जो विहित की जाएं या जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण तथा ऐसी विशिष्टियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किए जाएं तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

अपील अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में जानबूझकर असफल रहने के लिए शास्ति।

37. यदि कोई व्यक्ति, अपील अधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के अधीन आदेशों और निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

38. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

प्राधिकरण या अपील अधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए दंड।

39. यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण या अपील अधिकरण के अध्याय 4 के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और लगातार असफलता की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

40. (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) ''निदेशक'' से कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक और फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

41. (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उसके किसी उपक्रमों द्वारा किया गया है, वहां विभाग या उसके उपक्रमों के अध्यक्ष उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे जब तक कि वे यह साबित नहीं कर देते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उसके उपक्रमों द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, विभाग या उसके उपक्रमों के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी जिन्हें वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे।

(2) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कृत्यों का पालन करने में, नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित में दे:

परन्तु प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का एक यथासाध्य अवसर दिया जाएगा।

(3) कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

1860 का 45

43. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

44. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकरण सशक्त है।

अधिकारिता का वर्जन।

45. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1957 का 27
1961 का 43

46. धन-कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961 या धन, आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, अपने धन, व्युत्पन्न आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में धन-कर, आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

धन और आय पर कर से छूट।

47. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण के या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान।

48. प्राधिकरण, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (विवादों का निपटारा करने की शक्ति और विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

49. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि—

केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, या किसी विमानपत्तन, हेलीपत्तन, सिविल अंत:क्षेत्र, वैमानिक संचार स्टेशन के प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास तक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी:

परंतु खंड (ख) में वर्णित कारणों से इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकेगा, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा।

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार,—

(क) अधिक्रमण की अवधि को ऐसी छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे सदस्य जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, चाहे उपधारा (1) के अधीन मूलत: विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन विस्तारित की गई हो, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कराएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना।

50. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

51. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसके समक्ष धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ग) धारा 7 के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(घ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी जांच के संचालन के लिए प्रक्रिया;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(च) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन मानीटर की जाने वाली सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादक मानक;

(छ) वे लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज जो धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन सेवा-प्रदाता द्वारा रखे जाने अपेक्षित हैं;

(ज) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप का सत्यापन किया जाएगा और प्ररूप के साथ दी जाने वाली फीस;

(झ) धारा 22 के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) वे विषय जिनकी बाबत प्राधिकरण को धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(ठ) धारा 33 के अधीन वह प्ररूप जिसमें प्राधिकरण अपना बजट ऐसे समय पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार करेगा और वह समय जिस पर ऐसा बजट धारा 33 के अधीन तैयार किया जाएगा;

(ड) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाएंगे तथा प्राधिकरण द्वारा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(ढ) वह प्ररूप, रीति और समय जिसमें धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विवरणियां और विवरण दिए जाएंगे;

(ण) वह प्ररूप और समय जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(त) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत उपबंध किया जाना है या किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

52. (1) प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन विशेषज्ञ और वृत्तिक लगाए जा सकेंगे;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों का स्थान और समय तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है);

(ग) कोई अन्य विषय, जिसको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

53. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम अथवा विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

54. इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएंगी और ऐसे संशोधन प्राधिकरण के स्थापन की तारीख से प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

55. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

(धारा 54 देखिए)

वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन

धारा 5, उपधारा (2), खंड (कख) में, ''वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालकों के टैरिफ का अनुमोदन, अननुमोदन या पुनरीक्षण है;'' शब्दों के स्थान पर, ''वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालकों के टैरिफ का [भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ से भिन्न] अनुमोदन, अननुमोदन या पुनरीक्षण है;'' शब्द रखें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 55) का संशोधन

1. धारा 22क, ''प्राधिकरण'' शब्द से प्रारंभ होने वाले और ''उपयोजित की जाएगी:–'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें:—

''प्राधिकरण,—

(i) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट महा विमानपत्तनों से भिन्न किसी विमानपत्तन से यानारोहण करने वाले यात्रियों से ऐसी दर से, जो विहित की जाए, विकास फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत कर सकेगा;

(ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट महा विमानपत्तन से यानारोहण करने वाले यात्रियों से ऐसी दर से, जो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अवधारित की जाए, विकास फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत कर सकेगा,

तथा ऐसी फीस प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी और निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विहित रीति से विनियमित और उपयोजित की जाएगी:—''।

2. धारा 41, उपधारा (2) के खंड (ड्ड) में, ''विकास फीस की दर और'' शब्दों के स्थान पर ''महा विमानपत्तनों से भिन्न विमानपत्तनों के संबंध में विकास फीस की दर और'' शब्द रखें।

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 28)

[30 दिसम्बर, 2008]

राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) धारा 2 और धारा 3 के खंड (i) के उपबंध 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे।

1951 का 30

धारा 1क का संशोधन।

2. राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1क में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में, "तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रपति की उपलब्धियों का पचास प्रतिशत की दर से प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) किराए के संदाय के बिना सुसज्जित निवास का (जिसके अंतर्गत उसका रखरखाव भी है), दो टेलीफोन (जिनमें से एक इंटरनेट और ब्राडबैंड संयोजन के लिए), राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ एक मोबाइल फोन और एक मोटरकार का मुफ्त उपयोग करने का या ऐसे कार भत्ते का, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) सचिवीय कर्मचारिवृंद का, जिसमें एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक निजी सहायक, दो चपरासी होंगे तथा साठ हजार रुपए प्रतिवर्ष तक के कार्यालय व्ययों का;"।

धारा 3क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3क के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने या अपने पद का त्याग करने से पद पर न रह जाने के पश्चात्,

मृत्यु हो जाती है, पत्नी या पति निम्नलिखित के लिए हकदार होगा,—

(i) अनुज्ञप्ति फीस का संदाय किए बिना सुसज्जित निवास का (जिसके अंतर्गत उसका रखरखाव भी है) उपयोग;

(ii) सचिवीय कर्मचारिवृंद का, जिसमें एक निजी सचिव और एक चपरासी भी होगा, तथा वास्तविक कार्यालय व्यय का जिन पर कुल व्यय बारह हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा;

(iii) अपने शेष जीवनकाल में मुफ्त एक टेलीफोन और एक मोटरकार या ऐसे कार भत्ते का, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(iv) एक कलैंडर वर्ष में वायुयान, रेल या स्टीमर द्वारा, उच्चतम दर्जे में किसी सहयोगी या किसी नातेदार के साथ, भारत में कहीं भी, बारह एकल यात्राओं का।"।

नई धारा 6 का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

"6. (1) यदि राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए, कोई बात कर सकेगी:

परंतु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा;"।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 5)

[7 जनवरी, 2009]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

1974 का 2

धारा 2 का संशोधन।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(बक) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और ''पीड़ित'' पद के अन्तर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है;'।

धारा 24 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को, अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसन्द का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 26 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 26 के खंड (क) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1860 का 45

''परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से धारा 376घ के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा; जिसमें महिला पीठासीन हो।''।

धारा 41 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(i) उपधारा (1) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है;

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से

कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:—

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तिला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी:—

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए; या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती,

आवश्यक है, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा;

(खक) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तिला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;";

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वांरट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"।

नई धारा 41क, धारा 41ख, धारा 41ग और धारा 41घ का अंत:स्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना।

"41क. (1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी कर सकेगा।

(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य।

41ख. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय,—

(क) अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके,

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो—

(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है;

(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा; और

(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए।

जिले में नियंत्रण कक्ष।

41ग. (1) राज्य सरकार—

(क) प्रत्येक जिले में; और

(ख) राज्य स्तर पर,

पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी, जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं।

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष, समय-समय पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, के बारे में ब्यौरे संगृहीत करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटा बेस रखेगा।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार।

41घ. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किन्तु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।''।

धारा 46 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इत्तिला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएंगा।"।

धारा 54 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा।

"54. (1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरन्त पश्चात् उसकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी:

परन्तु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी।

(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।"।

नई धारा 55क का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा।

"55क. अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।"।

नई धारा 60क का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना।

"60क. कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी।"।

धारा 157 का संशोधन।

11. मूल अधिनिगम की धारा 157 की उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा।"।

धारा 161 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख जाएंगे, अर्थात्:—

धारा 164 का संशोधन।

"परन्तु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) में,—

धारा 167 का संशोधन।

(क) परन्तुक में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा।";

(ii) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 2—यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जैसा कि पैरा (ख) के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है।";

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया जाएगा।"।

15. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 172 का संशोधन।

"(1क) धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अन्त: स्थापित किए जाएंगे।

(1ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट डायरी जिल्द रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक् रूप से संख्यांकित होंगे।"।

16. मूल अधिनियम की धारा 173 में,—

धारा 173 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।";

(ख) उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1860 का 45

"(ज) जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।"।

नई धारा 195क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 195 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया।

"195क. कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 195क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा।"। 1860 का 45

धारा 198 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (6) में, "पन्द्रह वर्ष से कम आयु की" शब्दों के स्थान पर "अठारह वर्ष से कम आयु की" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 242 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 242 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अग्रिम रूप से प्रदाय करेगा।"।

धारा 275 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 275 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलखित किया जा सकेगा।"।

धारा 309 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 309 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता, की धारा 376 से धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबद्ध है, तब जांच या विचारण यथासंभव साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"; 1860 का 45

(ख) उपधारा (2) में तीसरे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि—

(क) कोई भी स्थगन किसी पक्षकार के अनुरोध पर तभी मंजूर किया जाएगा, जब परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हों;

(ख) यह तथ्य कि पक्षकार का प्लीडर किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन के लिए आधार नहीं होगा;

(ग) जहां साक्षी न्यायालय में हाजिर है किन्तु पक्षकार या उसका प्लीडर हाजिर नहीं है या पक्षकार या उसका प्लीडर न्यायालय में हाजिर तो है, किन्तु साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है वहां यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो, यथास्थिति, साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा से छूट देने के लिए ठीक समझे।"।

धारा 313 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 313 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसेल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।"।

धारा 320 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 320 में,—

(i) उपधारा (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

"सारणी

अपराध	भारतीय दंड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है
1	2	3
किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, आदि।	298	वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना आशयित है।
स्वेच्छया उपहति कारित करना।	323	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना।	334	यथोक्त।
गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	335	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध।	341, 342	वह व्यक्ति जो अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है।
किसी व्यक्ति का तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।	343	परिरुद्ध व्यक्ति।
किसी व्यक्ति का दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।	344	यथोक्त।
किसी व्यक्ति का गुप्त स्थान में सदोष परिरोध।	346	यथोक्त।
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	352, 355, 358	वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है।
चोरी।	379	चुराई हुई संपत्ति का स्वामी।
संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।	403	दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी।
वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग।	407	उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया है।
चुराई हुई संपत्ति को, उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना।	411	चुराई हुई संपत्ति का स्वामी।
चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना।	414	यथोक्त।
छल।	417	वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है।
प्रतिरूपण द्वारा छल।	419	यथोक्त।
लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति आदि का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।	421	उससे प्रभावित लेनदार।

1	2	3
अपराधी का अपने को शोध्य ऋण या मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना कपटपूर्वक निवारित करना।	422	उससे प्रभावित लेनदार।
अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन।	423	उससे प्रभावित व्यक्ति।
संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।	424	यथोक्त।
रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है।	426, 427	वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान हुआ है।
जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि।	428	जीवजन्तु का स्वामी।
ढोर आदि का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि।	429	ढोर या जीवजन्तु का स्वामी।
सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने के द्वारा रिष्टि, जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है।	430	वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान हुआ है।
आपराधिक अतिचार।	447	वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है।
गृह-अतिचार।	448	यथोक्त।
कारावास से दंडनीय अपराध को (चोरी से भिन्न) करने के लिए गृह-अतिचार।	451	वह व्यक्ति जिसका उस गृह पर कब्जा है जिस पर अतिचार किया गया है।
मिथ्या व्यापार या संपत्ति चिह्न का उपयोग।	482	वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है।
अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए व्यापार या संपत्ति चिह्न का कूटकरण।	483	यथोक्त।
कूटकृत संपत्ति चिह्न से चिह्नित माल को जानते हुए विक्रय या अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कब्जे में रखना।	486	यथोक्त।
सेवा संविदा का आपराधिक भंग।	491	वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है।
जारकर्म।	497	स्त्री का पति।
विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले जाना या निरुद्ध रखना।	498	स्त्री का पति और स्त्री।
मानहानि, सिवाय ऐसे मामलों के जो उपधारा (2) के नीचे की सारणी के	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।

1	2	3
स्तंभ 1 में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 500 के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं।		
मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना।	501	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।
मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है।	502	यथोक्त।
लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान।	504	अपमानित व्यक्ति।
आपराधिक अभित्रास।	506	अभित्रस्त व्यक्ति।
किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।	508	वह व्यक्ति जिसे उत्प्रेरित किया गया।'';

(ii) उपधारा (2) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

''सारणी

अपराध	भारतीय दंड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है
1	2	3
गर्भपात कारित करना।	312	वह स्त्री जिसका गर्भपात किया गया है।
स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	325	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
ऐसे उतावलेपन और उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए।	337	
ऐसे उतावलेपन और उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए।	338	यथोक्त।
किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	357	वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल का प्रयोग किया गया था।

1	2	3
लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी।	381	चुराई हुई संपत्ति का स्वामी।
आपराधिक न्यासभंग।	406	उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है।
लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग।	408	उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है।
ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था।	418	वह व्यक्ति, जिससे छल किया गया है।
छल करना या संपत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना।	420	वह व्यक्ति, जिससे छल किया गया है।
पति या पत्नी के जीवनकाल में पुन:विवाह करना।	494	ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक, या किसी मंत्री के विरुद्ध, उसके लोक कृत्यों के संबंध में मानहानि, जब मामला लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर संस्थित है।	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।
स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियां करना या अंगविक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या किसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करना।	509	वह स्त्री जिसका अनादर करना आशयित था या जिसकी एकान्तता का अतिक्रमण किया गया था।";

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जब कोई अपराध इस धारा के अधीन शमनीय है तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का, अथवा ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का (जब ऐसा प्रयत्न स्वयं अपराध हो) अथवा जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या धारा 149 के अधीन दायी हो, शमन उसी प्रकार से किया जा सकता है।"। 1860 का 45

धारा 327 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 327 में,—

(क) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि बन्द कमरे में विचारण यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु बलात्संग के अपराध के संबंध में विचारण की कार्यवाहियों के मुद्रण या प्रकाशन

पर पाबंदी, पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने के अध्यधीन हटाई जा सकेगी।''।

धारा 328 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 328 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्वानुमान के लिए मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी को निर्दिष्ट करेगा और, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्तविकृति या मानसिक मन्दता से ग्रस्त है अथवा नहीं:

परन्तु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, अपील कर सकेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, —

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक प्रमुख; और

(ख) निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का सदस्य।'';

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त का व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे यह अवधारित करेगा कि क्या चित्त विकृति अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में असमर्थ बनाती है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् किंतु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह जांच को मुल्तवी करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा:

परंतु यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है जिसके संबंध में विकृत चित्त होने का निष्कर्ष निकाला गया है तो वह कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए मुल्तवी कर देगा जो मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है और यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रूप में कार्यवाही की जाए।

(4) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे इस बारे में अवधारित करेगा कि मानसिक मन्दता के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जांच बंद करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा।''।

धारा 329 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 329 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय विचारण के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी को निर्देशित करेगा और, यथास्थिति, मन:चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृति से ग्रस्त है या नही:

परन्तु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मन:चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, —

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक प्रमुख; और

(ख) निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का सदस्य।'';

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचना दी जाती है कि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त का व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आगे अवधारित करेगा कि चित्त विकृति के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् किन्तु अभियुक्त से प्रश्न पूछे बिना, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है, तो वह विचारण को स्थगित करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा:

परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है जिसके संबंध में विकृतचित्त होने का निष्कर्ष निकाला गया है तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए मुल्तवी कर देगा जो मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है।

(3) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और वह मानसिक मन्दता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण नहीं करेगा और यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अनुसार कार्यवाही की जाए।''।

धारा 330 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

27. मूल अधिनियम की धारा 330 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना।

''330. (1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त विकृति या मानसिक मन्दता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसा न हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा:

परन्तु अभियुक्त ऐसी चित्त विकृति या मानसिक मन्दता से ग्रस्त है जो अंतरंग रोगी उपचार के लिए समादेशित नहीं करती हो और कोई मित्र या नातेदार किसी निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य रोगी मन:श्चिकित्सा उपचार कराने और उसे अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखने का वचन देता है।

(2) यदि मामला ऐसा है जिसमें, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में, जमानत नहीं दी जा सकती या यदि कोई समुचित वचनबंध नहीं दिया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा, जहां नियमित मनश्चिकित्सा उपचार कराया जा सकता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा:

परंतु पागलखाने में अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने के लिए कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

1987 का 14

(3) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त विकृति या मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारित किए गए कार्य की प्रकृति और चित्त विकृति या मानसिक मन्दता की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह अवधारित करेगा कि क्या अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है:

परन्तु—

(क) यदि चिकित्सा राय या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 328 या धारा 329 के अधीन उपबंधित रीति में अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश करने का विनिश्चय करता है तो ऐसे छोड़े जाने का आदेश किया जा सकेगा, यदि पर्याप्त

प्रतिभूति दी जाती है कि अभियुक्त को अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित किया जाएगा;

(ख) यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है तो अभियुक्त को चित्त विकृति या मानसिक मन्दता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में अन्तरित करने का आदेश दिया जा सकता है जहां अभियुक्त की देखभाल की जा सके और समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सके।''।

नई धारा 357 क का अंत:स्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 357 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पीड़ित प्रतिकर स्कीम।

''357क. (1) प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी।

(2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा।

(3) यदि विचारण न्यायालय का, विचारण की समाप्ति पर, यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे।

(5) उपधारा (4) के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्यक् जांच करने के पश्चात्, दो मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा।

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने, जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे, के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा।''।

धारा 372 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 372 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है।''।

धारा 416 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 416 में ''दंडादेश का निष्पादन मुल्तवी किए जाने के लिए आदेश देगा और, यदि ठीक समझे'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 437क का अंत:स्थापन।

31. मूल अधिनियम की धारा 437 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत।

''437क. (1) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति सहित जमानतपत्र निष्पादित करे और ऐसे बंधपत्र छह मास तक प्रभावी रहेंगे।

(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंधपत्र समपहृत हो जाएगा और धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।''।

प्ररूप 45 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के प्ररूप संख्या 45 में, ''437'', अंक के पश्चात् ''437क'' अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 6)

[7 जनवरी, 2009]

सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "पते" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) यदि व्यष्टि है तो उसके प्रायिक निवास स्थान का पता; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता;

1961 का 25

(ख) "अधिवक्ता" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित अधिवक्ता अभिप्रेत है;

1956 का 1

(ग) "अपील अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

1956 का 1

(घ) "निगम निकाय" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी;

(ii) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी; और

(iii) भारत के बाहर निगमित कंपनी,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) एकल निगम;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी; और

(iii) कोई अन्य निगम निकाय (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या इस अधिनियम में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है), जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; 1956 का 1

(ङ) "कारबार" में प्रत्येक व्यापार, वृत्ति, सेवा और उपजीविका सम्मिलित हैं;

(च) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1949 का 38

(छ) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1980 का 56

(ज) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1959 का 23

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में "न्यायालय" से धारा 77 के उपबंधों के अनुसार अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अभिप्रेत है;

(ञ) "अभिहित भागीदार" से धारा 7 के अनुसरण में भागीदार के रूप में अभिहित कोई भागीदार अभिप्रेत है;

(ट) "अस्तित्व" से कोई निगम निकाय अभिप्रेत है और धारा 18, धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 52 और धारा 53 के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन स्थापित फर्म भी है; 1932 का 9

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "वित्तीय वर्ष" से वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है:

परन्तु वर्ष की 30 सितंबर के पश्चात् निगमित सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, वित्तीय वर्ष, उस वर्ष के आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो सकेगा;

(ड) "विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी" से भारत के बाहर विरचित, निगमित या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और जो भारत के भीतर कारबार का कोई स्थान स्थापित करती है;

(ढ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से इस अधिनियम के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है;

(ण) "सीमित दायित्व भागीदारी करार" से सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच कोई लिखित करार अभिप्रेत है, जो भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा उस सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण करता है;

(त) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "नाम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) यदि व्यष्टि है तो उसका मुख्य नाम, मध्य नाम और उपनाम; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसका रजिस्ट्रीकृत नाम;

(थ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "भागीदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार बनता है;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1956 का 1

(ध) "रजिस्ट्रार" से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने के कर्तव्य वाला रजिस्ट्रार, या अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

1956 का 1

(प) "अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है।

1956 का 1

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

सीमित दायित्व भागीदारी की प्रकृति

सीमित दायित्व भागीदारी का निगम निकाय होना।

3. (1) सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा निगम निकाय है, जिसे इस अधिनियम के अधीन विरचित और निगमित किया गया है तथा जिसका इसके भागीदारों से पृथक् विधिक अस्तित्व है।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का शाश्वत उत्तराधिकार होगा।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में किसी परिवर्तन से सीमित दायित्व भागीदारी की विद्यमानता, अधिकार या दायित्व प्रभावित नहीं होंगे।

1932 का 9

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का लागू न होना।

4. जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे।

भागीदार।

5. कोई व्यष्टि या निगम निकाय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार हो सकेगा:

परन्तु व्यष्टि सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के लिए समर्थ नहीं होगा, यदि,—

(क) वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया है और निष्कर्ष प्रवर्तन में है;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है।

भागीदारों की न्यूनतम संख्या।

6. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम दो भागीदार होंगे।

(2) यदि किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम हो जाती है और सीमित दायित्व भागीदारी इस प्रकार संख्या के कम होने के दौरान छह मास से अधिक के लिए कारबार जारी रखती है, तो वह व्यक्ति, जो उस समय के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का एकमात्र भागीदार है जब वह उन छह मास के पश्चात् इस प्रकार कारबार करता रहा है और उसे उस तथ्य की जानकारी है कि

वह अकेला ही उसका कारबार चला रहा है, तो वह उस अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी को उपगत बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

अभिहित भागीदार।

7. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के कम से कम दो अभिहित भागीदार होंगे, जो व्यष्टि हों और उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा:

परन्तु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसमें सभी भागीदार निगम निकाय हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यष्टि और निगम निकाय हैं, कम से कम दो व्यष्टि जो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं या ऐसे निगम निकायों के नामनिर्देशिती हैं, अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भारत में निवासी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अन्यून की अवधि के लिए भारत में ठहरा है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(i) यदि निगमन दस्तावेज,—

(क) यह विनिर्दिष्ट करता है कि अभिहित भागीदार कौन होंगे तो ऐसे व्यक्ति निगमन पर अभिहित भागीदार होंगे; या

(ख) यह कथन करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार समय-समय पर अभिहित भागीदार होगा तो प्रत्येक ऐसा भागीदार अभिहित भागीदार होगा;

(ii) कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार अभिहित भागीदार बन सकेगा और कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार अभिहित भागीदार नहीं रहेगा।

(3) कोई व्यष्टि किसी सीमित दायित्व भागीदारी में तभी अभिहित भागीदार होगा जब उसने सीमित दायित्व भागीदारी में उस रूप में कार्य करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पूर्व सहमति दे दी हो।

(4) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पूर्व सहमति अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे दी है, विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा।

(5) अभिहित भागीदार होने के लिए पात्र व्यष्टि ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को जो विहित की जाएं, पूरा करेगा।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार केन्द्रीय सरकार से अभिहित भागीदार पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266क से धारा 266छ (जिसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

1956 का 1

अभिहित भागीदारों के दायित्व।

8. जब तक कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अभिहित भागीदार—

(क) ऐसे सभी कार्यों, विषयों और बातों को करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की बाबत की जानी अपेक्षित हैं, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे किसी दस्तावेज, विवरणी, विवरण और इसी प्रकार की रिपोर्ट को जो सीमित दायित्व भागीदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करना भी है; और

(ख) उन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी पर अधिरोपित सभी शास्तियों के लिए दायी होगा।

9. सीमित दायित्व भागीदारी किसी कारण से हुई रिक्ति के तीस दिन के भीतर अभिहित भागीदार को नियुक्त कर सकेगी और धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे नए अभिहित भागीदार के संबंध में लागू होंगे:

अभिहित भागीदारों में परिवर्तन।

परंतु यदि कोई अभिहित भागीदार नियुक्त नहीं किया जाता है या यदि किसी समय केवल एक अभिहित भागीदार है तो प्रत्येक भागीदार अभिहित भागीदार समझा जाएगा।

10. (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 7, धारा 8 और धारा 9 के उल्लंघन के लिए दंड।

(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अध्याय 3

सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन और उसके आनुषंगिक विषय

11. (1) निगमित की जाने वाली सीमित दायित्व भागीदारी के लिए,—

निगमन दस्तावेज।

(क) लाभ की दृष्टि से किसी विधि युक्त कारबार को चलाने के लिए सहयोजित दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे;

(ख) निगमन दस्तावेज ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है; और

(ग) निगम दस्तावेज के साथ विहित प्ररूप में या तो किसी अधिवक्ता या कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना में लगा हुआ है और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया है, किया गया यह कथन फाइल किया जाएगा कि नियमन और उससे पूर्व के और उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

(2) निगमन दस्तावेज,—

(क) ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का कथन होगा;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित कारबार का कथन होगा;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का कथन होगा;

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा;

(च) ऐसे व्यक्तियों के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा;

(छ) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित ऐसी अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी, जो विहित की जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसा कथन करता है जिसके बारे में वह—

(क) यह जानता है कि वह मिथ्या है; या

(ख) यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमन।

12. (1) जब धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा अधिरोपित अपेक्षाओं का अनुपालन हो गया है तब रजिस्ट्रार निगमन दस्तावेज को रखेगा और जब तक उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वह चौदह दिन की अवधि के भीतर—

(क) निगमन दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा; और

(ख) यह प्रमाणपत्र नहीं देगा कि सीमित दायित्व भागीदारी निगमन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिदत्त विवरण को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकेगा कि उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी कार्यालय मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(4) प्रमाणपत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि सीमित दायित्व भागीदारी उसमें विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है।

सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसमें परिवर्तन।

13. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा जिसको सभी संसूचनाएं और सूचनाएं संबोधित की जा सकेंगी और जहां वे प्राप्त की जाएंगी।

(2) किसी दस्तावेज की तामील सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार पर डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और ऐसे किसी अन्य पते पर, जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, भेजकर की जा सकेगी।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन कर सकेगी, ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन इस प्रकार सूचना फाइल करने पर ही प्रभावी होगा।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।

14. रजिस्ट्रीकरण पर, सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम से—

(क) वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने;

(ख) संपत्ति का, चाहे स्थावर हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त, अर्जन करने, स्वामित्व रखने, धारण करने, विकास या व्ययन करने;

(ग) यदि उसने एक मुद्रा रखने का विनिश्चय किया है तो सामान्य मुद्रा रखने; और

(घ) ऐसे अन्य कार्यों और बातों को करने और कराने, जिन्हें निगम निकाय विधिमान्य रूप से कर या करा सकता है,

के लिए समर्थ होगी।

नाम।

15. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में या तो "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द या "सी॰ दा॰ भा॰" संक्षेपाक्षर, उसके नाम के अंतिम अक्षरों के रूप में होंगे।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार की राय में—

(क) अवांछनीय है; या

(ख) किसी अन्य भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या ऐसे किसी व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की विषय वस्तु है।

1999 का 47

नाम का आरक्षण।

16. (1) कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं,—

(क) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के रूप में; या

(ख) उस नाम के रूप में जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम का परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है,

आवेदन में उपवर्णित नाम के आरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार, इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम वह नाम नहीं है जिसे धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर खारिज किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकेगा।

सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का परिवर्तन।

17. (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की गई है (चाहे अनवधानता से या अन्यथा और चाहे मूल रूप से या नाम में परिवर्तन द्वारा) जो—

(क) धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नाम है; या

(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या अन्य नाम के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी उक्त निदेश का, निदेश की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पालन करेगी।

(2) कोई ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जो, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कतिपय परिस्थितियों में नाम के परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन।

18. (1) कोई अस्तित्व जिसका नाम पहले से ही किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसे बाद में निगमित किया गया है, नाम के समरूप है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 17 में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई निदेश देने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर तभी विचार करेगा जब रजिस्ट्रार को उस नाम से सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौबीस मास के भीतर आवेदन प्राप्त हुआ हो।

रजिस्ट्रीकृत नाम का परिवर्तन।

19. कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत अपने नाम में ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, उसके पास फाइल करके परिवर्तन कर सकेगी।

"सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी०दा०भा०" शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए शास्ति।

20. यदि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नाम या अभिनाम के अधीन कारबार चलाया जाता है जिसके अंत में "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी०दा०भा०" शब्द या उनका कोई संक्षिप्त रूप या नकल शब्द हैं तो वह व्यक्ति या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जब तक सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में सम्यक् रूप से निगमित नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नाम और सीमित दायित्व का प्रकाशन।

21. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके बीजकों, शासकीय पत्राचार और प्रकाशनों पर निम्नलिखित अंकित हो, अर्थात्:—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या; और

(ख) यह कथन कि यह सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत है।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

अध्याय 4
भागीदार और उनके संबंध

भागीदार बनने के लिए पात्रता।

22. सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन पर, वे व्यक्ति जिन्होंने निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित किए हैं, उसके भागीदार होंगे और कोई अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार बन सकेगा।

भागीदारों के संबंध।

23. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य तथा सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा शासित होंगे।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए किन्ही परिवर्तनों को यदि कोई हों, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा।

(3) उन व्यक्तियों के बीच, जो निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित करते हैं, सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन से पूर्व लिखित में किया गया कोई करार सीमित दायित्व भागीदारी पर बाध्यताएं अधिरोपित कर सकेगा, परंतु यह तब जब ऐसे करार का सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया हो।

(4) किसी विषय से संबंधित करार के अभाव में, भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को उस विषय से संबंधित उपबंधों के द्वारा जो पहली अनुसूची में उपवर्णित हैं, अवधारित किया जाएगा।

भागीदारी हित का समाप्त हो जाना।

24. (1) कोई व्यक्ति, भागीदार न रहने के संबंध में अन्य भागीदारों के साथ किसी करार के अनुसार या अन्य भागीदारों के साथ करार के अभाव में, भागीदारी त्यागने के अपने आशय की अन्य भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की लिखित में सूचना देकर सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रह सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) अपनी मृत्यु या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन पर; या

(ख) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित कर दिया गया है; या

(ग) यदि उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन किया है या उसे दिवालिया के रूप में घोषित किए जाने पर,

किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहेगा।

(3) जहां, कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पूर्व भागीदार" कहा गया है) वहां पूर्व भागीदार को, (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में) सीमित दायित्व भागीदार का तब तक भागीदार माना जाएगा, जब तक—

(क) उस व्यक्ति को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है; या

(ख) रजिस्ट्रार को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी में किसी भागीदार के न रहने से ही भागीदार की, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भागीदार के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बाध्यता, जो उसके भागीदार रहने के दौरान उपगत हुई हो, निर्मोचित नहीं होती है।

(5) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार, भागीदार नहीं रहता है, वहां जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा उपबंधित न हो, पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से का हकदार कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी से, पूर्व भागीदार के भागीदार न रहने की तारीख को अवधारित सीमित दायित्व भागीदारी को संचित हानियों की कटौती करने के पश्चात् निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी में पूर्व भागीदार के वास्तव में किए गए पूंजी अभिदाय के बराबर रकम;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के संचित लाभों में हिस्सा लेने का उसका अधिकार।

(6) पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से के हकदार किसी व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

भागीदारों के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण।

25. (1) प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम या पते में परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर देगा।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी,—

(क) जहां कोई व्यक्ति भागीदार बनता है या भागीदार नहीं रहता है, वहां उसके भागीदार बनने या न रहने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी; और

(ख) जहां भागीदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन है, वहां ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई सूचना—

(क) ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की जाएगी जो विहित की जाए; और

(ग) यदि वह आने वाले भागीदार के संबंध में है तो उसमें उस भागीदार द्वारा यह कथन होगा कि वह भागीदार बनने की सहमति देता है, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित होगा।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(5) यदि कोई भागीदार उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, ऐसा भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना रजिस्ट्रार के पास स्वयं फाइल कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल नहीं कर सकेगी और भागीदार द्वारा फाइल की गई किसी सूचना की दशा में रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी ने भी ऐसी सूचना फाइल नहीं कर दी हो:

परन्तु जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर कोई पुष्टि नहीं की गई है वहां रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन भागीदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को रजिस्टर करेगा।

अध्याय 5

सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के दायित्वों का विस्तार और परिसीमा

अभिकर्ता के रूप में भागीदार।

26. किसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के प्रयोजन के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी का अभिकर्ता है न कि अन्य भागीदारों का।

सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व की सीमा।

27. (1) सीमित दायित्व भागीदारी, किसी भागीदार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करने में की गई किसी बात के लिए आबद्ध नहीं है यदि—

(क) भागीदार को वास्तव में सीमित दायित्व भागीदारी के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने का कोई प्राधिकार नहीं है; और

(ख) वह व्यक्ति यह जानता है कि उसको कोई प्राधिकार नहीं है या वह यह नहीं जानता है या उसे यह विश्वास है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार है।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी दायी है, यदि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के दौरान उसकी ओर से या उसके प्राधिकार से किसी सदोष कार्य या लोप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति दायी है।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी की कोई बाध्यता, चाहे वह संविदा से उद्भूत हुई हो या अन्यथा, मुख्य रूप से सीमित दायित्व भागीदारी की बाध्यता होगी।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्वों की पूर्ति सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति से की जाएगी।

भागीदार के दायित्व की सीमा।

28. (1) कोई भागीदार धारा 27 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बाध्यता के लिए केवल सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है।

(2) धारा 27 की उपधारा (3) और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंध किसी भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए उसके व्यक्तिगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेंगे, किन्तु कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अन्य भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

व्यपदेशन।

29. (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने किसी ऐसे व्यपदेशन के भरोसे उस सीमित दायित्व भागीदारी को उधार दिया है चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या जिसके भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे उधार देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है:

परंतु जहां कोई उधार किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने ऐसे व्यपदेशन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है वहां सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसने इस प्रकार भागीदार होने के बारे में स्वयं व्यपदेशन किया है या जिसका व्यपदेशन किया था उसके द्वारा प्राप्त उधार की सीमा तक या उस पर व्युत्पन्न किसी वित्तीय फायदे की सीमा तक दायी होगा।

(2) जहां भागीदार की मृत्यु के पश्चात् कारबार उसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से चालू रखा जाता है वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का भागरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयं में उस भागीदार के विधिक प्रतिनिधि को या उसकी संपदा को सीमित दायित्व, भागीदारी के किसी कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं बनाएगा।

कपट की दशा में असीमित दायित्व।

30. (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किए गए किसी कार्य की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी और उन भागीदारों का दायित्व, जिन्होंने लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए कार्य किया है, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी या किन्हीं ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए असीमित होंगे:

परन्तु यदि ऐसा कोई कार्य किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो सीमित दायित्व भागीदारी तब तक उसी सीमा तक दायी होगी जिस तक भागीदार दायी है जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा कार्य सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी या प्राधिकार के बिना किया गया था।

(2) जहां कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उपधारा (1) में उल्लिखित है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वोक्त रीति में कारबार करने के लिए जानबूझकर पक्षकार था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य कपटपूर्ण रीति से किए हैं, वहां ऐसी किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत हों, सीमित दायित्व भागीदारी और ऐसा कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी किसी व्यक्ति को, जिसको ऐसे आचरण के कारण कोई हानि या नुकसानी हुई है, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी तब दायी नहीं होगी, यदि ऐसे किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी के बिना कपटपूर्वक कार्य किया है।

निर्णायक कार्य।

31. (1) न्यायालय या अधिकरण, किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी के विरुद्ध उद्ग्रहणीय किसी शास्ति को कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार या कर्मचारी ने ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के अन्वेषण के दौरान उपयोगी सूचना उपलब्ध कराई है; या

(ख) जब किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर (चाहे अन्वेषण के दौरान हो या नहीं) सीमित दायित्व भागीदारी, या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी को इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या किसी कर्मचारी को केवल इस कारण सेवोन्मुक्त, पदावनत, निलंबित, धमकाया, उत्पीड़ित न किया जाए या उसके साथ उसकी सीमित दायित्व भागीदारी या नियोजन के निबंधनों और शर्तों के विरुद्ध किसी अन्य रीति में विभेद न किया जाए कि उसने उपधारा (1) के अनुसरण में सूचना प्रदान की है या सूचना उपलब्ध कराई है।

अध्याय 6
अभिदाय

अभिदाय का स्वरूप।

32. (1) किसी भागीदार के अभिदाय में मूर्त, जंगम या स्थावर या अमूर्त संपत्ति या सीमित दायित्व भागीदारी में अन्य फायदे सम्मिलित हो सकेंगे, जिसके अंतर्गत धनराशि, वचनपत्र, नकद या संपत्ति के अभिदाय के लिए अन्य करार और की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदाएं भी हैं।

(2) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय के अधीन धनीय मूल्य का लेखा रखा जाएगा और सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकट किया जाएगा।

अभिदाय करने की बाध्यता।

33. (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में धन या अन्य संपत्ति या अन्य फायदे का अभिदाय करने या उसके लिए कोई सेवा करने की किसी भागीदार की बाध्यता सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार होगी।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार, जो उस करार में वर्णित किसी बाध्यता के आधार पर भागीदारों के बीच किसी समझौते की सूचना के बिना ऋण देता है या अन्यथा कार्य करता है, ऐसे भागीदार के विरुद्ध मूल बाध्यता को प्रवृत्त कर सकेगा।

अध्याय 7

वित्तीय प्रकटन

लेखा बहियों, अन्य अभिलेखों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा, आदि।

34. (1) सीमित दायित्व भागीदारी, अपनी विद्यमानता के प्रत्येक वर्ष के कामकाज के संबंध में, नकदी आधार पर या प्रोद्भवन आधार पर ऐसी समुचित लेखा बहियां, जो विहित की जाएं, और लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखेगी और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी।

(2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक का उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए तैयार करेगी और ऐसा विवरण सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के अनुसरण में तैयार किए गए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रत्येक वर्ष विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, की जाएगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्ग या वर्गों को इस उपधारा की अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेगी।

(5) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

वार्षिक विवरणी।

35. (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, अपने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी।

(2) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण।

36. प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल किए गए निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, लेखा और शोधन क्षमता विवरण तथा वार्षिक विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

मिथ्या कथन के लिए शास्ति।

37. यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित या उसके प्रयोजनों के लिए किसी विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज में कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है,—

(क) जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या है और उसे उसके मिथ्या होने का ज्ञान है; या

(ख) जो किसी सारवान् तथ्य का सारवान् होने की जानकारी होते हुए लोप करता है,

तो वह, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

सूचना प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति।

38. (1) ऐसी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, रजिस्ट्रार सीमित दायित्व भागीदारी के वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी सहित किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त अवधि के भीतर किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई घोषणा करने या कोई ब्यौरे या विशिष्टियां प्रदाय करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मांगे गए ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या ऐसी घोषणा नहीं करता है या ऐसे ब्यौरों या विशिष्टियों का युक्तियुक्त समय या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रदाय नहीं करता है, या जब रजिस्ट्रार का ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर या घोषणा या उपलब्ध कराए गए ब्यौरे या विशिष्टियों से समाधान नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को उस व्यक्ति को उसके समक्ष या किसी निरीक्षक या किसी अन्य लोक अधिकारी के समक्ष, जिसे रजिस्ट्रार अभिहित करे, यथास्थिति, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या घोषणा करने या ऐसे ब्यौरों का प्रदाय करने के लिए उपस्थित होने के लिए समन करने की शक्ति होगी।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी विधिमान्य कारण के बिना, इस धारा के अधीन किसी समन या रजिस्ट्रार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है; जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अपराधों का शमन।

39. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है, ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगी।

पुराने अभिलेखों का नष्ट किया जाना।

40. रजिस्ट्रार, भौतिक रूप में या इलेक्ट्रानिक रूप में उसके पास फाइल किए गए या रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अनुसार नष्ट कर सकेगा।

विवरणी आदि देने के कर्तव्य का प्रवर्तन।

41. (1) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी,—

(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का, जो किसी रीति में रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करने या किसी विषय की उसको सूचना देने की अपेक्षा करता है, अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है; या

(ख) किसी दस्तावेज को संशोधित करने या पूरा करने और पुन: प्रस्तुत करने या नए सिरे से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के रजिस्ट्रार के किसी अनुरोध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है,

और सीमित दायित्व भागीदारी पर उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर व्यतिक्रम को दूर करने में असफल रहती है, तो अधिकरण, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पर, उस सीमित दायित्व भागीदारी या उसके अभिहित भागीदारों या उसके भागीदारों को यह निदेश करते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, व्यतिक्रम को दूर करें।

(2) ऐसे किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी खर्चे और उसके आनुषंगिक व्यय उस सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) इस धारा की कोई बात, इस धारा में निर्दिष्ट किसी व्यतिक्रम के संबंध में उस सीमित दायित्व भागीदार पर शास्ति अधिरोपित करने वाले इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के प्रवर्तन को सीमित नहीं करेगी।

अध्याय 8
भागीदारी अधिकारों का समनुदेशन और अंतरण

भागीदार का अंतरणीय हित।

42. (1) सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के लाभ और हानियों में हिस्सा बटाने और वितरण प्राप्त करने के भागीदार के अधिकार पूर्णत: या भागत: अंतरणीय हैं।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में किसी भागीदार द्वारा किसी अधिकार के अंतरण से ही सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार का असहयोजन या विघटन और परिसमापन नहीं हो जाता है।

(3) इस धारा के अनुसरण में अधिकारों के अंतरण से ही अंतरिती या समनुदेशिती को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग लेने या उसके क्रियाकलापों को संचालित करने का या सीमित दायित्व भागीदारी के संव्यवहारों से संबंधित सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का हकदार नहीं बन जाता है।

अध्याय 9
अन्वेषण

सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण।

43. (1) केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में, जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, यदि—

(क) अधिकरण, या तो स्व:प्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदारों से प्राप्त किसी आवेदन पर, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए; या

(ख) कोई न्यायालय, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी समिति दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए, निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित दशा [illegible] की जा सकेगी,—

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के [illegible]क बटा पांच से अन्यून भागीदार समर्थक साक्ष्य और ऐसी प्रतिभूति रकम के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करते हैं; या

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा आवेदन करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए; या

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, यह सुझाव देने वाली परिस्थितियां हैं कि—

(i) सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार उसके लेनदारों, भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति को कपट वंचित करने के आशय से या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या उसके किन्हीं या किसी भागीदार के प्रतिकूल किसी अन्यायपूर्ण या अनुचित रीति में किया जा रहा है या किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी; या

(ii) सीमित दायि[illegible] भागीदारी के कामकाज इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं; या

(iii) रजिस्ट्रार या किसी अन्य अन्वेषण या विनियामक अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण हैं कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए।

अन्वेषण के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन।

44. धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा आवेदन के समर्थन में ऐसा साक्ष्य दिया जाएगा जो अधिकरण यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे कि आवेदकों के पास अन्वेषण की अपेक्षा करने के लिए ठोस कारण है, और केन्द्रीय सरकार, निरीक्षक को नियुक्त करने से पूर्व, आवेदकों से अन्वेषण के खर्चों के संदाय के लिए ऐसी राशि की, जो विहित की जाए, प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी।

फर्म, निगम निकाय या संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाना।

45. किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

संबंधित अस्तित्वों आदि के कामकाज का अन्वेषण करने की निरीक्षकों की शक्ति।

46. (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे अस्तित्व के कामकाज का अन्वेषण करना भी आवश्यक समझता है, जो सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार से पूर्व में सहयोजित रहा है या वर्तमान में सहयोजित है तो निरीक्षक को ऐसा करने की शक्ति होगी और अन्य अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार के कामकाज की, जहां तक वह यह समझता है कि उसके अन्वेषण के परिणाम सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज के अन्वेषण से सुसंगत हैं, रिपोर्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार की दशा में, निरीक्षक, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार, अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसा अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर देगी।

दस्तावेजों और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना।

47. (1) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार और भागीदारों का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) वे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के या उससे संबंधित सभी बहियों और कागजपत्रों को, जो उनकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन हैं, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें; और

(ख) अन्वेषण के संबंध में ऐसी सभी सहायता निरीक्षक को दें, जिसे देने में वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं।

(2) निरीक्षक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न किसी अस्तित्व से, उस सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या उसके समक्ष ऐसी बहियों और कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना देना या ऐसी बहियों या कागजपत्रों को प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है।

(3) निरीक्षक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को तीस दिन के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और तत्पश्चात् उन्हें सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व या व्यष्टि को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बहियां और कागजपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लौटा देगा:

परंतु निरीक्षक बहियों और कागजपत्रों को, यदि उनकी पुन: आवश्यकता पड़े, मंगा सकेगा:

परंतु यह और कि यदि उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत बहियों और कागजपत्रों की अधिप्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं, तो वह संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को बहियां और कागजपत्र लौटा देगा।

(4) कोई निरीक्षक शपथ पर निम्नलिखित की जांच कर सकेगा—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व के कामकाज से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति; और

(ग) तद्नुसार शपथ दिला सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना—

(क) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसी बही या कागजपत्र प्रस्तुत करने में, जिसे प्रस्तुत करना उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है; या

(ख) ऐसी कोई जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है;

(ग) निरीक्षक के समक्ष तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में, जब उपधारा (4) के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या किसी प्रश्न का उत्तर देने में, जो उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछा जाए; या

(घ) किसी जांच के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

असफल रहता है या उससे इंकार करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात्, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी जांच के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिसकी शपथ पर परीक्षा की गई थी और ऐसे टिप्पणों की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी इस प्रकार शपथ पर परीक्षा की गई है तथा उसके पश्चात् उसे निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का अभिग्रहण।

48. (1) जहां, अन्वेषण के दौरान, निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या अभिहित भागीदार की या उससे संबंधित बहियों और कागजपत्रों को नष्ट, विरूपित, उनमें फेरफार, मिथ्याकृत किया जा सकता है या उन्हें छिपाया जा सकता है, तो निरीक्षक, यथास्थिति, उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता है, ऐसी बहियों और कागजपत्रों को अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और निरीक्षक की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो; आदेश द्वारा निरीक्षक को—

(क) उस स्थान या स्थानों में, जहां ऐसी बहियां और कागजपत्र रखे गए हैं, ऐसी सहायता सहित, जो अपेक्षित हो, प्रवेश करने;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी लेने;

(ग) उन बहियों और कागजपत्रों का, जिन्हें निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अभिग्रहण करने,

के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) निरीक्षक, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों और कागजपत्रों को अन्वेषण के निष्कर्ष के अपश्चात् की ऐसी अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् उन्हें संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से वे अभिगृहीत किए गए थे, लौटा देगा और ऐसे लौटाए जाने की सूचना मजिस्ट्रेट को देगा:

परंतु बहियां और कागजपत्र छह मास से अधिक की लगातार अवधि के लिए अभिगृहीत नहीं रखे जाएंगे:

परंतु यह और कि निरीक्षक, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों और कागजपत्रों को लौटाने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा।

1974 का 2

(4) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की गई तलाशियों या अभिग्रहणों से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

निरीक्षक की रिपोर्ट।

49. (1) निरीक्षक, और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट देंगे और अन्वेषण के निष्कर्ष पर केन्द्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट देंगे और ऐसी रिपोर्ट लिखित में या मुद्रित रूप में होगी, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

(2) केन्द्रीय सरकार,—

(क) निरीक्षकों द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट से भिन्न) की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और रिपोर्ट में कार्रवाई किए गए या उससे संबंधित किसी अन्य अस्तित्व या व्यक्ति को भी भेजेगी;

(ख) यदि, वह ठीक समझे, तो उसकी एक प्रति रिपोर्ट से संबंधित या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति या अस्तित्व को, अनुरोध पर और विहित फीस के संदाय पर दे सकेगी।

अभियोजन।

50. यदि, धारा 49 के अधीन रिपोर्ट से, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में या किसी अन्य अस्तित्व के संबंध में, जिसके कामकाज का अन्वेषण किया गया है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी रहा है, जिसके लिए वह दायी है, तो केन्द्रीय सरकार, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का अभियोजन कर सकेगी; और, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के सभी भागीदारों, अभिहित भागीदारों और, अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के अभियोजन के संबंध में, केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी सहायता देने का कर्तव्य होगा, जिसे देने के लिए वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं।

सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवेदन।

51. यदि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसमापन किए जाने के लिए दायी है और धारा 49 के अधीन किसी ऐसी रिपोर्ट से केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण जो धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, ऐसा करना समीचीन है, तो केन्द्रीय सरकार जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा पहले से परिसमापन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इस आधार पर कि इसका परिसमापन किया जाना न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण है, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कराएगी।

नुकसानी या सम्पत्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियां।

52. यदि धारा 49 के अधीन किसी रिपोर्ट से केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व द्वारा, जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है,—

(क) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व के संवर्धन या विरचना या प्रबन्ध के संबंध में कोई कपट, अपकरण या अन्य कदाचार की बाबत नुकसानियों की वसूली के लिए; या

(ख) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व की किसी सम्पत्ति की, जिसका दुरुपयोजन किया गया है या जिसे सदोष प्रतिधारित किया गया है, वसूली के लिए,

कार्यवाहियां की जानी चाहिएं, तो केन्द्रीय सरकार, उस प्रयोजन के लिए स्वयं कार्यवाही कर सकेगी।

अन्वेषण के खर्चे।

53. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा अन्वेषण के और उसके आनुषंगिक खर्चों को प्रथम बार केन्द्रीय सरकार द्वारा चुकाया जाएगा; किन्तु निम्नलिखित व्यक्ति नीचे वर्णित सीमा तक केन्द्रीय सरकार को ऐसे खर्चों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अभियोजन पर सिद्धदोष ठहराया गया है या जिसे धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों में किसी सम्पत्ति की नुकसानी के लिए संदाय करने या बहाली का आदेश दिया गया है उन्हीं कार्यवाहियों में, उस सीमा तक उक्त खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाले या ऐसी नुकसानियों का संदाय करने का आदेश करने वाले या ऐसी सम्पत्ति की बहाली करने वाले न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) कोई अस्तित्व जिसके नाम में यथापूर्वोक्त कार्यवाहियां की जाती हैं, कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वसूल की गई किसी धनराशि या सम्पत्ति की रकम या मूल्य की सीमा तक दायी होगा;

(ग) जब तक अन्वेषण के परिणामस्वरूप धारा 50 के अनुसरण में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाता तब तक,—

(i) निरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित कोई अस्तित्व, भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने का तब तक और उस सीमा तक दायी होगा जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे; और

(ii) जहां धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, वहां अन्वेषण के लिए आवेदक, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, दायी होंगे।

(2) ऐसी कोई रकम, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर दायी है, उस खंड में वर्णित धनराशियों या संपत्ति पर पहला प्रभार होगी।

(3) उन व्ययों की रकम, जिनकी बाबत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व, कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपगत या धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपगत कोई लागत या व्यय, कार्यवाहियों को चलाने के लिए अन्वेषण के व्यय समझे जाएंगे।

निरीक्षक की रिपोर्ट का साक्ष्य होना।

54. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक या किन्हीं निरीक्षकों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित प्रति, रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किसी विषय के संबंध में साक्ष्य के रूप में किसी विधिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी।

अध्याय 10

सीमित दायित्व भागीदारी का संपरिवर्तन

फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन।

55. कोई फर्म, इस अध्याय और दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन।

56. कोई प्राइवेट कंपनी इस अध्याय और तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन।

57. कोई असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी इस अध्याय और चौथी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण और संपरिवर्तन का प्रभाव।

58. (1) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि, यथास्थिति, किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी ने दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन किया है, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी अनुसूची के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और यह कथन करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

1932 का 9
1956 का 1

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह, यथास्थिति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, सीमित दायित्व भागीदारी के संपरिवर्तन और उसकी विशिष्टियों के बारे में ऐसी रीति और प्ररूप में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार, यथास्थिति, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के शेयरधारक वह सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी संपरिवर्तित की गई है और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे जो उन्हें लागू हों।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से ही संपरिवर्तन के प्रभाव ऐसे होंगे, जो, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही,—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी;

(ख) यथास्थिति, फर्म या कंपनी में निहित सभी मूर्त (जंगम या स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, यथास्थिति, फर्म या कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और, यथास्थिति, फर्म या कंपनी के संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कार्रवाई या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे; और

(ग) यथास्थिति, फर्म या कंपनी विघटित हुई और, यथास्थिति, फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेख से हटा दी गई समझी जाएगी।

अध्याय 11
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

1956 का 1

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी।

59. केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों को ऐसे उपांतरणों सहित, जो समुचित प्रतीत हों, या ऐसी संरचना वाले ऐसे विनियामक तंत्र को, जो विहित किया जाए, लागू या सम्मिलित करके भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कारबार के स्थान की स्थापना करने और उनमें अपने कारबार करने के संबंध में उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी।

अध्याय 12
सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव या पुनर्निर्माण

सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता या ठहराव।

60. (1) जहां,—

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों के बीच; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच,

समझौता या ठहराव का प्रस्ताव है, वहां अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार या भागीदार के या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या अधिकरण निदेश दे, यथास्थिति,

लेनदारों या भागीदारों का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित और संचालित किए जाने का आदेश कर सकेगा।

(2) यदि अधिवेशन में, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाता है तो समझौता या ठहराव, यदि अधिकरण द्वारा मंजूर किया गया हो, आदेश द्वारा, यथास्थिति, सभी लेनदारों या भागीदारों पर और सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिदायकर्ताओं पर भी आबद्धकर होगा:

परंतु अधिकरण द्वारा किसी समझौते या ठहराव को मंजूरी देने वाला कोई आदेश तभी किया जाएगा जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, शपथपत्र द्वारा या अन्यथा अधिकरण को सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सभी तात्त्विक तथ्यों को, जिनके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी की नवीनतम वित्तीय स्थिति और सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में लंबित कोई अन्वेषण कार्यवाहियां भी हैं, प्रकट कर दिया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा और वह इस प्रकार फाइल किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(4) यदि उपधारा (3) का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(5) अधिकरण, इस धारा के अधीन उसे आवेदन किए जाने के पश्चात्, किसी समय, सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने को, ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे, आवेदन को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक रोक सकेगा।

समझौता या ठहराव लागू करने की अधिकरण की शक्ति।

61. (1) जहां अधिकरण, धारा 60 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत समझौता या ठहराव को मंजूर करने वाला कोई आदेश करता है, वहां,—

(क) उसे समझौते या ठहराव के क्रियान्वयन का अधीक्षण करने की शक्ति होगी; और

(ख) वह ऐसा आदेश किए जाने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किसी विषय के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या ठहराव में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह समझौते या ठहराव के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 60 के अधीन मंजूर किया गया कोई समझौता या ठहराव उपांतरणों सहित या उसके बिना समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तो वह, स्वप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा।

सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण या समामेलन को सुकर बनाने के लिए उपबंध।

62. (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो उस धारा में वर्णित हैं, प्रस्तावित समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए धारा 60 के अधीन कोई आवेदन अधिकरण को किया जाता है और अधिकरण को यह दर्शित किया जाता है कि—

(क) समझौता या ठहराव किसी सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों के पुनर्निर्माण या किन्हीं दो या अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के समामेलन की स्कीम के प्रयोजनों या उसके संबंध में प्रस्तावित किया गया है; और

(ख) स्कीम के अधीन संबंधित किसी सीमित दायित्व भागीदारी का (जिसे इस धारा में "अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्व या उसका कोई भाग किसी दूसरी सीमित दायित्व भागीदारी में (जिसे इस धारा में "अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) अंतरित किया जाना है,

वहां अधिकरण, समझौते या ठहराव की मंजूरी देने वाले आदेश द्वारा या पश्चात्‌वर्ती आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्वों या उसके किसी भाग का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण;

(ii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाना;

(iii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन के बिना विघटन;

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में किए जाने वाले उपबंध, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, समझौते या ठहराव से विसम्मति रखता है; और

(v) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि पुनर्निर्माण या समामेलन पूर्णतः और प्रभावी रूप से किया जाएगा:

परंतु किसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों से समामेलन की किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में प्रस्तावित किसी समझोते या ठहराव को अधिकरण द्वारा तभी मंजूरी दी जाएगी, जब अधिकरण को रजिस्ट्रार से यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो:

परंतु यह और कि खंड (iii) के अधीन किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का कोई आदेश अधिकरण द्वारा तभी किया जाएगा जब शासकीय समापक ने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागजपत्रों की संवीक्षा करने पर अधिकरण को यह रिपोर्ट दे दी हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी संपत्ति या दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध करता है वहां उस आदेश के आधार पर वह संपत्ति अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित होगी और उसमें निहित हो जाएगी और ऐसे दायित्व उसमें अंतरित होंगे और उसके दायित्व बन जाएंगे; तथा किसी संपत्ति की दशा में, यदि आदेश ऐसा निदेश करे, ऐसे किसी प्रभार से मुक्त होगी, जो समझौते या ठहराव के कारण, प्रभाव में नहीं रहा है।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगी।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं; और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं।

अध्याय 13
परिसमापन और विघटन

63. सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वेच्छा से या अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा और इस प्रकार परिसमापित सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो सकेगी। परिसमापन और विघटन।

वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा।

64. सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा—

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी यह विनिश्चय करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए;

(ख) यदि छह मास से अधिक की अवधि के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम रहती है;

(ग) यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है;

(घ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध कार्य किया है;

(ङ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने लगातार किन्हीं पांच वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखा और शोधन-क्षमता का विवरण या वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है; या

(च) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाए।

परिसमापन और विघटन के लिए नियम।

65. केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और विघटन से संबंधित उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी।

अध्याय 14
प्रकीर्ण

सीमित दायित्व भागीदारी के साथ भागीदार के कारबार संव्यवहार।

66. कोई भागीदारी सीमित भागीदारी को धन उधार दे सकेगा और उसके साथ अन्य कारबार कर सकेगा और ऋण या अन्य संव्यवहारों के संबंध में उसके वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो ऐसे व्यक्ति के हैं, जो भागीदार नहीं है।

कंपनी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना।

67. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 का कोई उपबंध,— (1956 का 1)

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदार को लागू होगा; या

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह उस उपान्तरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हों।

दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना।

68. (1) इस अधिनियम के अधीन फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उससे कोई उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय या जारी किया जाता है और जिसे ऐसे दस्तावेज की सत्यप्रति या उद्धरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार अंकीय चिह्नक के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में मूल दस्तावेज के समान विधिमान्यता के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा। (2000 का 21)

(3) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय की गई कोई सूचना जो रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज के सत्य उद्धरण के रूप में अंकीय चिह्नक के माध्यम से रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगी और यह उपधारणा की जाएगी कि वह जब तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज से सत्य उद्धरण है।

अतिरिक्त फीस का संदाय।

69. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित समय में फाइल या रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है तो उस समय के पश्चात् उस तारीख से, जिस तक उसे फाइल किया जाना चाहिए, तीन सौ दिन की अवधि तक, ऐसी किसी फीस के अतिरिक्त, जो ऐसे दस्तावेज या विवरणी को फाइल करने के लिए संदेय हों, ऐसे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर फाइल या रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी:

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में विनिर्दिष्ट फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर तीन सौ दिन की ऐसी अवधि के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी।

वर्धित दंड।

70. यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार कोई अपराध करता है तो सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या अभिहित भागीदार दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए यथाउपबंधित कारावास से दंडनीय होगा, किंतु ऐसे अपराधों की दशा में, जिसके लिए कारावास के साथ या उसे छोड़कर जुर्माना विहित किया गया है, जुर्माने से, जो ऐसे अपराध के लिए जुर्माने की रकम का दुगुना होगा, दंडनीय होगा।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

71. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ... के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

अधिकरण और अपील अधिकरण की अधिकारिता।

72. (1) अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं।

1956 का 1

(2) अधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चथ, धारा 10चयक, धारा 10छ, धारा 10छच, धारा 10छङ और धारा 10छच के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे।

अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अननुपालन के संबंध में शास्ति।

73. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

साधारण शास्तियां।

74. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, जुर्माने का जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किंतु जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा दायी होगा और अतिरिक्त जुर्माने का, जो उस प्रथम दिन के, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

रजिस्ट्रार की निष्क्रिय सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने की रजिस्ट्रार की शक्ति।

75. जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारबार नहीं चला रही है या अपना प्रचालन नहीं कर रही है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने से पूर्व ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपराध।

76. जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध,—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया; या

(ख) उस सीमित भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ,

साबित होता है, वहां यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदार का भागीदार या उसके भागीदार या उसका अभिहित भागीदार या उसके अभिहित भागीदार और वह सीमित दायित्व भागीदार उस अपराध के दोषी होंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे।

न्यायालय की अधिकारिता।

77. तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होगी और उक्त अपराध की बाबत दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

अनुसूचियों में परिवर्तन करने की शक्ति।

78. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी उपबंध को परिवर्तित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई परिवर्तन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और वह, जब तक अधिसूचना में अन्यथा निदेश न हो, अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिवर्तन के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

79. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होने वाले प्रत्येक व्यष्टि की विशिष्टियों का प्ररूप और रीति;

(ग) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अभिहित भागीदार बनने के लिए किसी व्यष्टि की पात्रता से संबंधित शर्तें और अपेक्षाएं;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगमन दस्तावेज फाइल करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस का संदाय;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी का प्ररूप;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निगमन दस्तावेज का प्ररूप;

(छ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित निगमन दस्तावेज में अन्तर्विष्ट की जाने वाली जानकारी;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी या किसी भागीदार या अभिहित भागीदार पर दस्तावेजों की तामील करने की रीति और वह प्ररूप और रीति, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कोई अन्य पता घोषित किया जा सकेगा;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचना देने का प्ररूप और रीति और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के संबंध में शर्तें;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति और संदेय फीस की रकम;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नाम आरक्षित किए जाएंगे;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अस्तित्व द्वारा आवेदन किया जा सकेगा;

(ड) धारा 19 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के नाम-परिवर्तन की सूचना का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए परिवर्तन का प्ररूप और रीति और संदेय फीस की रकम;

(ण) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन सूचना का प्ररूप, संदेय फीस की रकम और विवरण के अधिप्रमाणन की रीति;

(त) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी भागीदार के अभिदाय के धनीय मूल्य का लेखा रखने और प्रकटन की रीति;

(थ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन लेखा बहियां और उनके रखे जाने की अवधि;

(द) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता के विवरण का प्ररूप और रीति;

(ध) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता का विवरण फाइल करने का प्ररूप, रीति, फीस और समय;

(न) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा;

(प) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी का प्ररूप और रीति और उसके लिए संदेय फीस;

(फ) धारा 36 के अधीन निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तनों, लेखा और शोधनक्षमता विवरण और वार्षिक विवरणी के निरीक्षण की रीति और उसके लिए संदेय फीस की रकम;

(ब) धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का किसी रूप में नष्ट किया जाना;

(भ) धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित रकम;

(म) धारा 44 के अधीन दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम;

(य) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, प्रति देने के लिए संदेय फीस;

(यक) धारा 54 के अधीन निरीक्षक की रिपोर्ट के अधिप्रमाणन की रीति;

(यख) धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति;

(यग) धारा 59 के अधीन विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा भारत में कारबार के स्थान की स्थापना करने और कारबार करने और विनियामक तंत्र तथा उसकी संरचना के संबंध में;

(यघ) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित करने की रीति;

(यङ) धारा 65 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारियों के परिसमापन और विघटन के संबंध में;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज फाइल करने की रीति और शर्तें;

(यछ) धारा 75 के अधीन रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारियों के नाम काटने की रीति;

(यज) दूसरी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विशिष्टियों वाले विवरण का प्ररूप और रीति तथा फीस की रकम;

(यझ) दूसरी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप;

(यञ) तीसरी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम;

(यट) तीसरी अनुसूची के पैरा 4 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति;

(यठ) चौथी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम; और

(यड) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

80. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

81. जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण गठित नहीं किए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो—

1956 का 1

(क) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क), और धारा 44 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्द रखे गए हों;

(ख) धारा 51 और धारा 60 से धारा 64 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों;

(ग) धारा 72 की उपधारा (2) में आने वाले "अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों।

पहली अनुसूची

[धारा 23(4) देखिए]

भागीदारों और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विषयों के संबंध में, ऐसे विषयों पर किसी करार के न होने की दशा में लागू होने वाले उपबंध

1. भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निबन्धनों के अधीन रहते हुए या किसी विषय पर ऐसे किसी करार के अभाव में, इस अनुसूची के उपबन्धों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी, लाभों और हानियों में समान रूप से हिस्सा बंटाने के लिए हकदार हैं।

3. सीमित दायित्व भागीदारी प्रत्येक भागीदार को उसके द्वारा—

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के सामान्य और समुचित संचालन में; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक रूप से की गई किसी बात में या उसके बारे में,

किए गए संदायों और उपगत वैयक्तिक दायित्वों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी।

4. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के संचालन में उसके कपट से उसको हुई किसी हानि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को क्षतिपूरित करेगा।

5. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग ले सकेगा।

6. कोई भी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या प्रबन्ध में कार्य करने के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

7. विद्यमान भागीदारों की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भागीदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

8. सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित कोई विषय या मुद्दा भागीदारों की संख्या में बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार का एक मत होगा। तथापि सभी भागीदारों की सहमति के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किए गए विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय किए जाने के बीस दिन के भीतर कार्यवृत्त में लेखबद्ध किए जाएं और सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखे और अनुरक्षित किए जाएं।

10. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में वास्तविक लेखा और पूरी जानकारी किसी भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधियों को देगा।

11. यदि कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, उसी प्रकृति का कोई कारबार करता है जो सीमित दायित्व भागीदारी का है और उससे प्रतियोगिता करता है तो वह उस कारबार में उसे हुए सभी लाभों का, सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा और उनका उसे संदाय करने के लिए दायी होगा।

12. प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित किसी संव्यवहार से या सीमित दायित्व भागीदारी की सम्पत्ति, नाम या किसी कारबारी संपर्क से उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी फायदे का सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा।

13. भागीदारों का कोई बहुमत किसी भागीदार को तभी निष्कासित कर सकता है जब भागीदारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई शक्ति प्रदान की गई हो।

14. भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार से उद्भूत ऐसे सभी विवाद, जिनका निपटान ऐसे करार के निबंधनानुसार नहीं किया जा सकता है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे। 1996 का 26

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

निर्वचन।

1. इस अनुसूची में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1932 का 9

(क) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म अभिप्रेत है;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली फर्म के संबंध में, "संपरिवर्तन" से फर्म की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है।

फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन।

2. (1) कोई फर्म इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों द्वारा आबद्ध होंगे, जो उनको लागू होते हैं।

संपरिवर्तन के लिए पात्रता।

3. कोई फर्म सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए इस अनुसूची के अनुसार आवेदन कर सकेगी यदि और केवल तभी जब सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में, जिसमें फर्म का संपरिवर्तन किया जाना है, उस फर्म के सभी भागीदार सम्मिलित हैं न कि कोई और।

फाइल किए जाने वाला विवरण।

4. कोई फर्म किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी—

(क) उसके सभी भागीदारों द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस के साथ जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां, अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात्:—

(i) फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि लागू हो; और

1932 का 9

(ii) वह तारीख जिसको फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या किसी अन्य विधि यदि लागू हो के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थी, और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण।

संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण।

5. पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:

1932 का 9

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, संबंधित उस फर्म रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

6. (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है:

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार, किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।

7. पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी;

(ख) फर्म में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति और फर्म से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और फर्म का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे; और

(ग) फर्म विघटित समझी जाएगी और यदि वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो उस अधिनियम के अधीन रखे गए अभिलेखों से हटा दी जाएगी। 1932 का 9

संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण।

8. यदि कोई संपत्ति, जिसको पैरा 7 का उप-पैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे माध्यम और ऐसे प्ररूप में, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे।

लंबित कार्यवाहियां।

9. फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी।

दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना।

10. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की फर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा।

विद्यमान करार।

11. ऐसा प्रत्येक करार, जिसका फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो—

(क) फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार हो; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत फर्म के प्रति निर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रति निर्देश रखा गया हो।

विद्यमान संविदाए आदि।

12. रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो फर्म से संबंधित हैं या जिनमें फर्म एक पक्षकार है, उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या फर्म के स्थान पर वह उसकी पक्षकार हो।

नियोजन का जारी रहना।

13. नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उसके अधीन नियोजक हो।

विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति।

14. (1) किसी भी भूमिका या हैसियत में फर्म की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो।

(2) फर्म को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो।

पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना।

15. पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, फर्म को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

भागीदार का संपरिवर्तन से पूर्व फर्म के दायित्वों और बाध्यताओं के लिए दायी होना।

16. (1) पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी फर्म का, जो सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई है, प्रत्येक भागीदार फर्म के ऐसे दायित्वों और बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से) दायी बनी रहेगी, जो संपरिवर्तन के पूर्व उपगत हुई हों या जो संपरिवर्तन के पूर्व किसी संविदा से उद्भूत हुई हों।

(2) यदि ऐसा कोई भागीदार पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी दायित्व या बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह ऐसे दायित्व या बाध्यता के संबंध में (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ किसी करार के अधीन रहते हुए) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा।

पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना।

17. (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:

(क) यह विवरण कि फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी;

(ख) उस फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उप-पैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

तीसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

निर्वचन।

1. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में यथापरिभाषित प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है; 1956 का 1

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली प्राइवेट कंपनी के संबंध में ''संपरिवर्तन'' से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है।

प्राइवेट कंपनियों की सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए पात्रता।

2. (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

(2) कोई कंपनी इस अनुसूची के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए केवल तभी आवेदन कर सकेगी यदि—

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें वह संपरिवर्तित होती हे भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबन्धों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं।

फाइल किए जाने वाला विवरण।

3. कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी—

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात्:—

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण।

संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे। 1956 का 1

रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

5. (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार, किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. पैरा 4 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,— रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा।

7. यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 6 का उप-पैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, यथासाध्य शीघ्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे। संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण।

8. कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी। लंबित कार्यवाहियां।

9. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा। दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना।

10. ऐसा प्रत्येक करार जिसका कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व कंपनी एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो:— विद्यमान करार।

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उस करार की पक्षकार हो; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रति निर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रति निर्देश रखा गया हो।

11. रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीमें, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखित और ठहराव जो कम्पनी से संबंधित हैं या जिनमें कम्पनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो। विद्यमान संविदाएं, आदि।

12. नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 10 या पैरा 11 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी। नियोजन का जारी रहना।

13. (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे हीं प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो। विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो।

पैरा 6 से पैरा 13 का लागू होना।

14. पैरा 6 से पैरा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कम्पनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना।

15. (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उप-पैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

चौथी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

निर्वचन।

1. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कंपनी" से असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है;

1992 का 15

(ग) "सूचीबद्ध कंपनी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटन और विनिधानकर्ता संरक्षण) मार्गनिर्देश, 2000 में यथा परिभाषित सूचीबद्ध कंपनी अभिप्रेत है;

(घ) "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन।

2. (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं।

संपरिवर्तन के लिए पात्रता।

3. कोई कंपनी इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगी यदि—

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है; और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें यह संपरिवर्तित होती है, भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और।

विवरण का फाइल किया जाना।

4. कोई कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी—

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात्:—

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या; और

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण।

संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण।

5. पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यह कथन करते हुए जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:

1956 का 1

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

6. (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है:

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।

7. पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकर, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कम्पनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा।

संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण।

8. यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 7 का खंड (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथा अपेक्षित संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे।

लंबित कार्यवाहियां।

9. कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी।

दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना।

10. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा।

विद्यमान करार।

11. ऐसा प्रत्येक करार, जिसकी कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि तद्धीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो—

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार थी; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रति निर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो।

विद्यमान संविदाएं आदि।

12. रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो कंपनी से सम्बन्धित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही जारी रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भादीकारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो।

नियोजन का जारी रहना।

13. नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी।

विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति।

14. (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व प्रवृत्त है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो।

पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना।

15. पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना।

16. (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित हो गई थी;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे यह संपरिवर्तित हुई थी।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है पचास रुपए से कम होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 7)

[7 जनवरी, 2009]

आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावर्णीय पहलुओं
पर सांख्यिकी संग्रहण को सुकर बनाने और उनसे
संबंधित या उनके आनुषंगिक
विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्षत: या बाह्य स्रोत के माध्यम से सांख्यिकी संग्रहण के लिए लगाया गया/लगाए गए व्यक्ति भी हैं ;

(ख) "समुचित सरकार" से धारा 3 के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के संबंध में,—

(i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग; या

(ii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई मंत्रालय या विभाग; या

(iii) कोई स्थानीय शासन जैसे कि, यथास्थिति, पंचायत या नगरपालिकाएं,

अभिप्रेत हैं;

1932 का 9
1956 का 1
1860 का 21

(ग) "सूचनादाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सांख्यिकीय सूचना का प्रदाय करता है या जिसके द्वारा सांख्यिकी सूचना का प्रदाय करना अपेक्षित है और इसके अन्तर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म का स्वामी या अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत मान्यताप्राप्त कोई संगम है ;

(घ) "सूचना अनुसूची" से कोई पुस्तक, दस्तावेज, प्ररूप, कार्ड, टेप, डिस्क या

कोई भंडारण माध्यम अभिप्रेत है, जिस पर अपेक्षित सूचना दर्ज या अभिलिखित की गई है या जिसका दर्ज करना या अभिलेखन करना इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "नमूना लेना" से ऐसी कोई सांख्यिकीय प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा जांच के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित सूचना सांख्यिकीय तकनीकों के प्रयोग द्वारा जांच के क्षेत्र से सुसंगत संबंधित व्यक्तियों या एककों की कुल संख्या के समानुपात के संबंध में सूचना अभिप्राप्त की जाती है ;

(छ) "सांख्यिकीय सर्वेक्षण" से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन पूर्णतः या प्राथमिकतः समुचित सांख्यिकीय प्रक्रियाओं द्वारा प्रसंस्करण और संक्षिप्तीकरण के प्रयोजनों के लिए जनगणना या सर्वेक्षण अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सभी सूचनादाताओं से जांच के क्षेत्र में या उसके नमूनों से सूचना का संग्रहण किया जाता है ;

(ज) "सांख्यिकी" से ऐसी सांख्यिकी अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा ऐसे सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, प्रशासनिक और रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों और अन्य प्ररूपों तथा पत्रों से जिनका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रकाशित या अप्रकाशित प्ररूप में है, सांख्यिकी संगृहीत, वर्गीकृत और उपयोग करके विशेषकर बड़ी मात्रा में या बड़ी मात्राओं के लिए या बड़ी संख्या सांख्यिकी प्राप्त की गई है ;

(झ) "सांख्यिकी अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी निदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

सांख्यिकी का संग्रहण

3. समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावर्णीय पहलुओं पर सांख्यिकी, सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से या अन्यथा एकत्रित की जाएगी और उसके पश्चात् उस सांख्यिकी के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे :

परन्तु यह कि—

(क) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय शासन को किसी विषय के संबंध में जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1, (संघ सूची) में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों में से किसी के अधीन है, सांख्यिकी के संग्रहण की बाबत कोई निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार ने किसी विषय के संबंध में सांख्यिकी का संग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई वैसा ही निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है ; या

(ग) जहां किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्थानीय शासन ने किसी विषय से संबंधित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए इस धारा के अधीन निदेश जारी किया है, वहां केन्द्रीय सरकार वैसा ही कोई निदेश तब तक जारी नहीं करेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण पूरा नहीं हो जाता है सिवाय उस

दशा में जब ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में किया जाना है।

समुचित सरकार की सांख्यिकी अधिकारियों आदि को नियुक्त करने की शक्तियां ।

4. (1) समुचित सरकार उसके द्वारा निदेशित किसी सांख्यिकी का संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए किसी भौगोलिक इकाई के लिए किसी सांख्यिकी अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी या नियुक्ति करवा सकेगी ।

(2) समुचित सरकार किसी विनिर्दिष्ट भौगोलिक इकाई में सांख्यिकी का संग्रहण करने या उसमें सहायता करने या उसका पर्यवेक्षण करने में किसी अभिकरण को या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे अभिकरण या व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर तदनुसार सेवा करने के लिए बाध्य होंगे ।

(3) समुचित सरकार उसके द्वारा निदेशित सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए संविदा के आधार पर किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या संगम या व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा ऐसे रक्षोपायों पर जो विहित किए जाएं, नियोजित कर सकेगी।

(4) समुचित सरकार, किसी सांख्यिकी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा उसे प्रदत्त उस भौगोलिक इकाई के भीतर, जिसके लिए ऐसे सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की गई है, अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करने या किसी अभिकरण या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संगम को संविदा के आधार पर नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(5) समुचित सरकार, आदेश द्वारा अपेक्षित ऐसे प्ररूप, विशिष्टियां या अन्तराल में जिसके भीतर और वह सांख्यिकीय अधिकारी जिसको सूचनादाता द्वारा सांख्यिकीय सूचना दी जाएगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(6) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी सांख्यिकी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त कोई शक्ति धारा 3 के अधीन उसके द्वारा जारी निदेश के अधीन सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

सूचना मांगने की सांख्यिकी अधिकारी की शक्ति ।

5. सांख्यिकी अधिकारी, किसी भौगोलिक इकाई में जिसके लिए उक्त अधिकारी नियुक्त किया गया था, किसी विनिर्दिष्ट विषय पर सांख्यिकी संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए,—

(क) किसी सूचनादाता पर धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना देने के लिए उससे लिखित में मांग करते हुए, किसी सूचना की तामील कर सकेगा या करा सकेगा या उसको भरने के प्रयोजन के लिए किसी सूचनादाता को दी जाने वाली सूचना की समय सूची दिलवा सकेगा ; या

(ख) किसी सूचनादाता से विषय से संबंधित सभी प्रश्न कर सकेगा ; या

(ग) टैलीफैक्स या टेलीफोन या ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति या विभिन्न रीतियों के संयोजन के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट सूचना मांग सकेगा।

सूचनादाता के कर्तव्य ।

6. वे सूचनादाता जिनसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास के अनुसार विहित रीति में ऐसी मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होंगे ; और उस दशा में जहां किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह या इकाई के केवल एक भाग से किसी नमूना प्रक्रिया के कारण सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है वहां किसी सूचनादाता के पक्ष पर उस सूचना को यदि इस प्रकार मांगी गई है, प्रस्तुत करने में असफल रहने पर कोई बचाव नहीं होगा।

सहायता के लिए सभी अभिकरण ।

7. प्रत्येक अभिकरण, सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को, ऐसी मदद और सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जिनकी वह कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षा करे, तथा ऐसे अभिलेखों, रेखांकों और अन्य दस्तावेजों को, जो आवश्यक हों, निरीक्षण और जांच के लिए उपलब्ध कराएगा।

अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार।

8. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन किसी सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी सूचनादाता के कब्जे में किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज की प्रति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है, के प्रति पहुंच रखेगा और किसी युक्तियुक्त समय पर किन्हीं परिसरों में जहां वह यह विश्वास करता है कि ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखे जाते हैं, प्रवेश कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या कोई आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ।

अध्याय 3

कतिपय दशाओं में सूचना का प्रकटन और उनके उपयोग पर निर्बन्धन

सूचना की सुरक्षा।

9. (1) सांख्यिकी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण को प्रस्तुत की गई कोई सूचना केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण और ऐसे संग्रहण के परिणामस्वरूप सांख्यिकी तैयार करने के कार्य में लगे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी सूचना अनुसूची या पूछे गए प्रश्न के किसी उत्तर को देखने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी सूचना अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई सूचना और पूछे गए किसी प्रश्न का कोई उत्तर इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय किसी अभिकरण को सूचनादाताओं की पहचान को छिपाए बिना पृथक् रूप से न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही प्रकटित किया जाएगा ।

(4) किसी अभिकरण द्वारा प्रकाशित सभी सांख्यिकीय सूचना ऐसी रीति में व्यवस्थित की जाएगी जिससे किन्हीं विशिष्टियों को किसी व्यक्ति द्वारा (उस सूचनादाता से भिन्न जिसके द्वारा वे विशिष्टियां प्रदाय की गई थीं) सूचनादाता से संबंधित विशिष्टियों के रूप में जिसने इसे प्रदाय किया है, समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचान योग्य बनाए जाने से तब तक न रोका जा सके, जब तक कि—

(क) उस सूचनादाता ने उस रीति में उनके प्रकाशन के लिए सहमति न दे दी हो; या

(ख) उस रीति में उनका प्रकाशन संबद्ध अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से देख न लिया गया हो ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ऐसे नियम बना सकेगी या ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

कतिपय सूचना का प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत समुचित सरकार।

10. इस अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार निम्नलिखित सूचना का प्रकटन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे सूचनादाता द्वारा प्रदाय की गई सूचना जिसकी बाबत सूचनादाता या उक्त सूचनादाता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्रकटन की सहमति दी गई है ;

(ख) किसी अधिनियम के अधीन या किसी लोक दस्तावेज के रूप में जनता को अन्यथा उपलब्ध सूचना ;

(ग) नामों की अनुक्रमणिका या सूची के रूप में सूचना और वर्गीकरण सहित, सूचनादाताओं के पते, यदि कोई हों, जो उनको आबंटित हों, और लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

सद्भावपूर्वक अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए सूचना अनुसूचियों का प्रकटन ।

11. (1) इस अधिनियम की धारा 9 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी, समुचित सरकार, अन्य अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के अनुसरण में सद्भावपूर्ण अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए व्यष्टिक विवरणियों या फार्मेट या सूचना अनुसूची का प्रकटन कर सकेगी।

(2) इस धारा के अनुसरण में कोई व्यष्टिक विवरणी या सूचना अनुसूची का तब तक प्रकटन नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) उस सूचनादाता का नाम और पते का लोप नहीं किया जाता है जिसके द्वारा अनुसूची या संबंधित सूचना प्रदाय की गई थी ;

(ख) अनुसंधान या सांख्यिकीय परियोजना में अंतर्वलित प्रत्येक अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय उन्हें प्रकटित अनुसूचियों का उपयोग मात्र सद्भावपूर्ण अनुसंधान या सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए करने की घोषणा नहीं करता हो ; और

(ग) समुचित सरकार का ऐसा प्रकटन करते समय यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुसूची और उसमें अन्तर्विष्ट किसी सूचना की सुरक्षा का ह्रास नहीं होगा ।

(3) किसी अनुसंधान या सांख्यिकीय परियोजना के प्रकाशित परिणाम उस सूचना से अधिक कोई सूचना प्रकट नहीं होगी जिसे समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित करे ।

(4) प्रत्येक अभिकरण या व्यक्ति या संस्था या विश्वविद्यालय जिसको इस धारा के अधीन कोई व्यष्टिक विवरणी या सूचना अनुसूची प्रकट की गई है, अनुसूचियों और उनमें अन्तर्विष्ट किसी सूचना से संबंधित प्रकटन करते समय सांख्यिकी संग्रहण के लिए प्राधिकृत अभिकरण द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा ।

ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रकटन ।

12. इस अधिनियम की धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार सूचना अनुसूची से संबंधित ऐसे दस्तावेजों का निर्मोचन कर सकेगी जो उसकी राय में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं ।

अभिलिखित सूचना की सुरक्षा ।

13. सांख्यिकी अधिकारी या सांख्यिकी संग्रहण के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण इस अधिनियम के अनुसरण में कोई सांख्यिकी सूचना व्यष्टिक विवरणियों, सूचना अनुसूचियों, कार्य पत्रकों या किसी अन्य गोपनीय स्रोत से कार्डों, टेपों, डिस्कों, फिल्मों या किसी अन्य प्रणाली से चाहे उनका कोड भाषा या साधारण भाषा प्रतीकों में प्रसंस्करण, भंडारण या विशिष्टियों के पुनरुत्पादन के लिए प्रति बनाते समय या अभिलेखन करते समय ऐसे उपाय किए जाएंगे या ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के सुरक्षा उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है ।

सूचना के उपयोग पर निर्बन्धन ।

14. इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) इस अधिनियम के अनुसरण में अभिप्राप्त कोई सूचना और किसी सूचनादाता के कब्जे में सूचना की कोई प्रति किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रकटित या उपयोग नहीं की जाएगी ; और

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सांख्यिकी के संग्रहण में अपनी पदीय हैसियत के कारण किसी सूचना के प्रति पहुंच रखता है, इस अधिनियम में उपबंधित रीति के सिवाय किसी भी कार्यवाही में इस अधिनियम के प्रशासन के अनुक्रमण में अभिप्राप्त किसी सूचना के संबंध में कोई अनुसूची, दस्तावेज या अभिलेख या सूचना के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियां

विशिष्टियां प्रदायं करने में उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति ।

15. (1) जो कोई किसी लेखा बही, वाउचर, दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या इसके किसी उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उसको संबोधित किसी प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी की दोषसिद्धि उसे या उसको उपधारा (1) के अधीन बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी और यदि दोषसिद्धि की तारीख से चौदह दिन के अवसान के पश्चात् वह या यह अपेक्षित विशिष्टियां देने में असफल रहता है या विशिष्टियों को उसमें भरने या प्रदाय करने से या प्रश्न या जांच का उत्तर देने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है तब वह या यह उस प्रथम दिन से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह व्यतिक्रम जारी रहता है अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति।

16. जो कोई, जानबूझकर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में जो भरी गई है या प्रदाय की गई है या उससे पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर में कोई मिथ्या या भ्रामक कथन करता है या लोप करता है, तात्त्विक है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

सूचना अनुसूची को विकृत करने या प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

17. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन संगृहीत किसी सूचना अनुसूची, प्ररूप या अन्य विशिष्टियों वाले दस्तावेज को नष्ट करता है, प्रतिरूपित करता है, हटाता है या विकृत करता है वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति।

18. जो कोई, किसी कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करता है, अवरोध करता है या बाधा पहुंचाता है, वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

अन्य अपराधों के लिए शास्ति ।

19. जो कोई—

(क) इस अधिनियम के किसी उपबंध या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या उसका अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(ख) स्वेच्छया किसी सांख्यिकी अधिकारी या किसी अभिकरण या उसके किसी कर्मचारी के साथ प्रवंचना करता है या प्रवंचना करने का प्रयास करता है,

ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों और कृत्यों को किए जाने में असफल रहने के लिए शास्ति।

20. यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य या कृत्य के निष्पादन में नियोजित है,—

(क) विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कर्तव्य को करने का लोप करता है या जानबूझकर कोई मिथ्या घोषणा, कथन या विवरणी देता है; या

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहाना करता है, या ऐसी सूचना अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने की वांछा करता है जिसे अभिप्राप्त करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है; या

(ग) इस अधिनियम के अनुसरण में संगृहीत सूचना अनुसूची में इकट्ठी या दर्ज की गई सूचना की गोपनीयता बनाए रखने में असफल रहता है और इस अधिनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी सूचनादाता द्वारा फाइल की गई किसी अनुसूची में या दी गई किसी सूचना की अंतर्वस्तु प्रकट करता है,

ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कर्मचारी के प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

21. जो कोई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सांख्यिकी संग्रह करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, शब्द, आचरण या प्रदर्शन द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

22. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्य कहीं कोई शास्ति विहित नहीं है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या किसी कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

कंपनी द्वारा अपराध।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

24. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार या, यथास्थिति, ऐसी समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी।

25. किसी सूचनादाता द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन सांख्यिकी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा और सूचनादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

26. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (इसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध यथासाध्य ऐसे विचारण को लागू होंगे: 1974 का 2

परन्तु जब इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है तब मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति में मामले की सुनवाई या पुन: सुनवाई करेगा ।

अध्याय 5

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति

मुख्य सांख्यिकी के संबंध में शक्ति।

27. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी विषय को 'मुख्य सांख्यिकी' के रूप में घोषित कर सकेगी और ऐसी व्यवस्थाएं कर सकेगी जो वह इस प्रकार घोषित विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसार को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निदेश देने की शक्ति।

28. केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय सरकार अर्थात् पंचायतों या नगरपालिकाओं को इस अधिनियम का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या पंचायतों या नगरपालिकाओं में निष्पादन करने के लिए निदेश दे सकेगी।

लोक सेवक।

29. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण या शासकीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

अधिकारिता का वर्जन।

30. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके लिए समुचित सरकार या सांख्यिकी अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

31. इस अधिनियम या तद्धीन जारी किए गए नियमों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या अभिकरण या किसी सांख्यिकी अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

अध्यारोही प्रभाव।

32. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार मानव जनसंख्या जनगणना के संचालन के सिवाय प्रभावी होंगे । 1948 का 37

1953 का 32

नियम बनाने की शक्ति।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा सांख्यिकी अधिकारियों के नामांकन और रजिस्ट्रीकरण सहित धारा 3 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक आवृत्ति से बचने के लिए भी यथासंभव प्रभावी रूप से समन्वय के लिए सिद्धांत;

(ख) वे शर्तें और निबंधन तथा ऐसे रक्षोपाय, जिनके अधीन समुचित सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन सांख्यिकी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या अभिकरण या कंपनी अथवा संगठन या संगम को लगाया जा सकेगा;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सिद्धांत, जिनमें सूचना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी ;

(घ) उस रीति को विहित करने के लिए सिद्धांत, जिसमें धारा 8 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार और प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1953 का 32

निरसन और व्यावृत्ति

34. (1) सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 1953 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नए नियम नहीं बनाए जाते हैं।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 8)

[11 जनवरी, 2009]

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए करार को प्रभावी करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए करार पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम (सार्क) के सदस्य राज्यों की संबंधित सरकारों की ओर से 4 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और उक्त करार के अनुच्छेद 1 में यह उपबंध है कि विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस भारत में अवस्थित होगा। अत: उक्त करार को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर और सार्क क्षेत्र में भारत से बाहर स्थापित कैंपसों और केन्द्रों पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो परिनियमों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) "करार" से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए करार अभिप्रेत है;

(घ) "उपविधियों" से विश्वविद्यालय की उपविधियां अभिप्रेत हैं;

(ङ) "केन्द्र" से विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय संस्थान की ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो शिक्षण, परामर्श और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और इसके अंतर्गत प्रादेशिक केन्द्र भी है;

(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(छ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(झ) "शासी बोर्ड" से धारा 6 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ञ) "छात्र-निवास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की ऐसी इकाई चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई या चलाई जा रही या मान्यताप्राप्त है;

(ट) "आतिथेय देश" से भारत गणराज्य अभिप्रेत है;

(ठ) "आतिथेय सरकार" से आतिथेय देश की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "सदस्य राज्यों" से सार्क के सदस्य राज्य अभिप्रेत हैं;

(ढ) "विहित" से परिनियमों, विनियमों या उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) "अध्यक्ष" से धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(त) "परियोजना कार्यालय" से विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य करने के प्रयोजन के लिए स्थापित परियोजना कार्यालय अभिप्रेत है;

(थ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई या मान्यताप्राप्त अथवा विश्वविद्यालय से सहबद्ध उच्चतर विद्या की संस्था अभिप्रेत है;

(द) "प्रादेशिक केन्द्र" से सार्क क्षेत्र में, कैंपसों या केन्द्रों के कार्य का समन्वय करने और पर्यवेक्षण करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए जो शासी बोर्ड द्वारा ऐसे केन्द्र को प्रदान किए जाएं, किसी स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाया जा रहा केन्द्र अभिप्रेत है;

(ध) "विनियम" से विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;

(न) "सार्क" से 8 दिसम्बर, 1985 को हस्ताक्षरित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम के चार्टर द्वारा स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगम के नाम से ज्ञात संगठन अभिप्रेत है;

(प) "सार्क क्षेत्र" से सदस्य राज्यों के राज्यक्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;

(फ) "अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ब) "परिनियमों" से विश्वविद्याल के परिनियम अभिप्रेत हैं;

(भ) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय का आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसा अनुसंधान कर्मचारिवृंद अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षण देने या छात्रों को विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु नियुक्त किए गए हैं या मान्यताप्राप्त हैं; और

(म) "विश्वविद्यालय" से धारा 4 के अधीन निगमित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

करार के उपबंधों को विधि का बल होना।

3. किसी अन्य विधि में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी अनुसूची में वर्णित करार के उपबंधों को भारत में विधि का बल होगा।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का निगमन।

4. (1) ऐसी तारीख से जो केन्दीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, करार के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(4) विश्वविद्यालय भारत के भीतर और सार्क क्षेत्र में भारत से बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, कैंपस और केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा या उन्हें चला सकेगा।

अधिकारिता।

5. विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर और सार्क क्षेत्र में भारत से बाहर स्थापित सभी कैंपसों और केन्द्रों पर होगी:

परंतु यदि विश्वविद्यालय सार्क क्षेत्र में भारत से बाहर किसी स्थान पर कोई कैंपस या केन्द्र स्थापित करता है और चलाता है तब विश्वविद्यालय की अधिकारिता, करार के उपबंध तथा ऐसे किसी सदस्य राज्य में, जिसके भीतर ऐसा कैंपस या केन्द्र अवस्थित है, प्रवृत्त विधियों के अधीन रहते हुए, ऐसे कैंपस या केन्द्र पर विस्तारित होगी।

शासी बोर्ड।

6. (1) विश्वविद्यालय का एक शासी बोर्ड होगा जो सार्क के सदस्य राज्यों में से प्रत्येक राज्य के दो सदस्यों और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से मिलकर बनेगा:

परंतु प्रथम शासी बोर्ड की विरचना होने तक सार्क की अंतर-सरकारी परिचालन समिति अंतरिम शासी बोर्ड के रूप में कार्य करेगी।

(2) शासी बोर्ड का प्रधान ऐसा अध्यक्ष होगा जो शासी बोर्ड के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा।

(3) शासी बोर्ड के सदस्यों का चयन ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए किया जाएगा जो अनुसूची के अनुच्छेद 5 में उपबंधित है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शासी बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(5) शासी बोर्ड विश्वविद्यालय की सभी नीतियों और निदेशों तथा उसके क्रियाकलापों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

7. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें वह ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान, प्रज्ञान और समझ का प्रसार और अभिवृद्धि करना;

(ख) अध्यापन-विद्या प्रक्रिया में नई पद्धति की अभिवृद्धि, अंतर-अनुशासनिक अध्ययनों और सामाजिक प्रसार तथा मानव कल्याण के लिए और क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा के संवर्धन के लिए ज्ञान का उपयोजन करने के लिए समुचित उपाय करना;

(ग) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण उच्चतर विद्या के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की क्षमता निर्माण मद्दे उदार और मानवीय शिक्षा प्रदान करना तथा छात्रों को वृत्ति चलाने के लिए और उनमें नेतृत्व की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विश्लेषणों संबंधी साधन उपलब्ध कराना;

(घ) छात्रों में ठोस नागरिक भावना मजबूत करना और उन्हें लोकतांत्रिक समाज के सफल नागरिक बनने हेतु प्रशिक्षित करना;

(ङ) विद्या का दक्षिण एशियाई समुदाय तैयार करना जहां दक्षिण एशियाई देशों से छात्र अपनी संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का विकास करने में समर्थ हों और क्षेत्रीय चेतना को मजबूत करके दक्षिण एशियाई समुदाय का सृजन करना; और

(च) अध्यापन, अनुसंधान और पाठ्यक्रम में शैक्षणिक मानकों और प्रत्यायन के मानकों के साथ ऐसा सामंजस्य विठाना जो सभी सदस्य राष्ट्रों को स्वीकार्य हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

8. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) ऐसे विशेष केन्द्र और विशेषित प्रयोगशालाएं तथा अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करना जो उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(iii) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें विहित करना;

(iv) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को वापस लेना;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(vi) मुक्त अध्ययन कार्यक्रमों , निवेशबाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित चेयर्स, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापन और शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे चेयर्स, प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक तथा अन्य अध्यापन और शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(viii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(ix) व्यक्तियों को आचार्यों, उपाचार्यों या प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में मान्यता देना;

(x) प्रशासनिक और ऐसे अन्य पदों का सृजन करना जिन्हें विश्ंवविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे और उन पर नियुक्तियां करना;

(xi) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xii) ऐसे कैंपसों, केन्द्रों और प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना करना और उन्हें चलाना जो समय-समय पर अवधारित किए जाएं;

(xiii) अपनी अधिकारिता के भीतर अवस्थित संस्थाओं को विश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में अपने विशेषाधिकार देना और उन सभी या किन्हीं विशेषाधिकारों को ऐसी शर्तों के अनुसार जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, वापस लेना;

(xiv) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर शिक्षा संस्था या किसी अन्य ऐसे लोक या प्राइवेट निकाय के साथ, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के संवर्धन की दृष्टि से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के समान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए और ऐसे

प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, या उन पर सहमत हो, सहकार या सहयोग करना या सहयोजित होना;

(xv) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या उसके विशेषाधिकारों में सम्मिलित संस्थाओं में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य प्रणाली भी है;

(xvi) ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों की, जो विहित किए जाएं, मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xvii) छात्र-निवासों की स्थापना करना, ऐसे छात्र-निवासों और छात्रों के लिए अन्य आवासों को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनका पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं तथा ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;

(xviii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(xix) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xx) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xxi) विश्वविद्यालयों के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए सार्क के मानदंडों के अनुसार शासी बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना तथा ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, निधियां विनिहित करना;

(xxii) शासी बोर्ड के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xxiii) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए पूर्ण रूप से या भागत: किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर मान्यता देना जो समय-समय पर विहित की जाएं और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xxiv) किसी अन्य संस्था के विश्वविद्यालय में निगमन के लिए और उसके अधिकारों, संपत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए तथा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो, कोई करार करना;

(xxv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो वह आवश्यक समझे;

(xxvi) ऐसे अनुसंधान और अन्य कार्य के, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाएं, मुद्रण, पुनःउत्पादन और प्रकाशन का उपबंध करना;

(xxvii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे करार के अधीन प्रदान की जाएं; और

(xxviii) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संवर्धन के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय का सभी व्यक्तियों के लिए खुला होना।

9. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी लिंग जाति, पंथ, नि:शक्तता, नृवंशता या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उन पर अधिरोपित करे।

कुलाध्यक्ष।

10. (1) सार्क का तत्समय अध्यक्ष देश का विदेश मंत्री विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को ऐसी शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

11. (1) विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाएंगे, जो ऐसी शक्तियों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

अध्यक्ष और उसकी शक्तियां।

12. (1) अध्यक्ष शासी बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा:

परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, परियोजना कार्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(2) अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने तथा शासी बोर्ड के नीति निदेशों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) अध्यक्ष, यदि उसकी यह राय है कि किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और अपनी आगामी बैठक में, उस विषय पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस अधिकारी को देगा:

परंतु शक्ति का ऐसा प्रयोग केवल आपात स्थितियों में ही किया जाएगा और किसी भी दशा में, पदों के सृजन और उन्नयन तथा उन पर नियुक्तियों के संबंध में नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह उस विषय को शासी निकाय को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) अध्यक्ष, यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों से परे है या किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो उस विनिश्चय के साठ दिन के भीतर संबंधित प्राधिकारी को अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि अधिकारी विनिश्चय का पूर्णत: या आंशिकत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो उस विषय को शासी बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(6) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

अन्य अधिकारी।

13. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा उनके कर्तव्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अध्यक्ष और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति।

14. विश्वविद्यालय, अध्यक्ष और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य और जहां लागू हो, उनके आश्रित या कुटुंब के सदस्य ऐसे विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करेंगे, जो केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित करे। 1947 का 46

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

15. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

(क) कार्य परिषद्,

(ख) विद्या परिषद् , और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो शासी बोर्ड द्वारा परिनियमों में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

16. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का कार्यपालक निकाय होगा और अध्यक्ष तथा शासी निकाय के निदेशों या विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्।

17. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगा और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य प्राधिकारियों का गठन।

18. धारा 15 के खंड (ग) के अधीन प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संकाय और विभाग।

19. (1) विश्वविद्यालय के उतने संकाय होंगे, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय में उतने विभाग या विद्यापीठ होंगे, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं और प्रत्येक विभाग या विद्यापीठ में ऐसे अध्ययन के विषय होंगे, जो विनियमों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं।

परिनियम।

20. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) कुलाध्यक्ष की शक्तियां;

(ख) शासी निकाय के अध्यक्ष की शक्तियां;

(ग) अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और उसकी शक्तियां;

(घ) कार्य परिषद् , विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ङ) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के प्रवर्ग;

(च) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति;

(छ) विश्वविद्यालय के संकायों की स्थापना;

(ज) वे शर्तें, जिनके अधीन संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(झ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ट) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र की स्थापना;

(ठ) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम परिनियम वे होंगे, जो सार्क की अंतर-सरकारी परिचालन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रचालन के लिए बनाए जाएं।

(3) शासी निकाय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा:

परंतु शासी निकाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगा, संशोधित या निरसित नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर शासी बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया है।

विनियम।

21. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे और उसके प्राधिकार में सम्मिलित संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश और उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षा और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के संबंध में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना तथा उन्हें प्रदान किए जाने के लिए शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) केंद्रों, विश्वविद्यालय संस्थाओं, विभागों, विद्यापीठों, विद्या बोर्डों, विशेषित प्रयोगशालाओं और समितियों की स्थापना;

(ट) किसी ऐसे अन्य निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन का सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य निकायों या संगमों के साथ सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम विनियम परियोजना कार्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अंतर-सरकारी परिचालन समिति के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए विनियमों को शासी बोर्ड द्वारा किसी भी समय परिनियमों द्वारा विहित रीति में संशोधित, निरसित या परिवर्धित किया जा सकेगा।

उपविधियां।

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने कारबार के संचालन के लिए ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों से संगत ऐसी उपविधियां बना सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है।

परिनियमों और विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति।

23. परिनियम या विनियम बनाने की शक्ति में, परिनियमों या विनियमों या उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्ववर्ती न हो, किंतु किसी परिनियम या विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसको ऐसे परिनियम या विनियम लागू होते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

24. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट शासी बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी और उस पर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सार्क की मंत्रिपरिषद् के सत्र में भी प्रस्तुत की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सार्क सचिवालय के माध्यम से सभी सार्क सदस्य राज्यों को परिचालित की जाएगी।

लेखाओं की संपरीक्षा।

25. (1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा संपरीक्षा की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की सार्क द्वारा यथा अधिकथित विद्यमान मानकों के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी।

(3) लेखाओं को संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् प्रकाशित किया जाएगा और संपरीक्षित रिपोर्ट के साथ लेखाओं की एक प्रति सार्क के महासचिव को प्रस्तुत की जाएगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

26. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस प्रयोजन के लिए गठित माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

27. विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 26 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध इस धारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

28. विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

29. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय, उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सार्क माध्यस्थम् परिषद् को निर्देश।

30. करार के निर्वचन या लागू होने के बारे में उत्पन्न होने वाले सभी मतभेद तभी सार्क माध्यस्थम् परिषद् को निर्दिष्ट किए जाएंगे जब पक्षकार किसी मामले में समाधान के किसी अन्य ढंग का आश्रय लेने के लिए सहमत हो जाएं।

परिनियमों और विनियमों तथा उपविधियों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

31. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, विनियमों या उपविधियों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, विनियम या बनाई गई उपविधि, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

करार के उपबंधों को विधि का बल होना

अनुच्छेद 1

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना

1. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विश्वविद्यालय" कहा गया है) नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जो इस करार में उपवर्णित प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय आधार वाला एक अराज्यीय, अलाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्था होगी और उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण शैक्षिक स्वतंत्रता होगी।

2. विश्वविद्यालय का मुख्य कैम्पस भारत में अवस्थित होगा।

3. विश्वविद्यालय का पूर्ण विधिक व्यक्तित्व होगा।

4. विश्वविद्यालय की विधिक क्षमता में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाणपत्र प्रदान करने की शक्ति;

(ख) संविदा करने की क्षमता;

(ग) अपने नाम से वाद लाना और उसके विरुद्ध वाद लाया जाना;

(घ) संपत्तियां अर्जित करना, धारण करना और उनका व्ययन करना;

(ङ) क्षेत्र में कैंपस और केन्द्रों की स्थापना करना; और

(च) विश्वविद्यालय के पचालन के लिए नियम, विनियम और उपविधियां बनाना।

अनुच्छेद 2

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के उद्देश्य और कृत्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

1. विश्व स्तर की ऐसी संस्था का सृजन करना, जो सभी दक्षिण एशियाई देशों के होनहार और अत्यन्त समर्पित छात्रों को, लिंग, जाति, पंथ, निःशक्तता, नृवंशता या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना, उन्हें उदारवादी और मानवीय शिक्षा देने और उन्हें कोई वृत्ति चलाने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक साधन प्रदान करने तथा उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए एक साथ लाएगा;

2. ऐसे दक्षिण एशियाई शिक्षा समुदाय का निर्माण करना, जहां प्रत्येक छात्र अपनी पूर्णतम बौद्धिक क्षमता का विकास करने में समर्थ होगा और क्षेत्रीय चेतना को सुदृढ़ करके एक दक्षिण एशियाई समुदाय का सृजन करना;

3. मुख्यतः विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और उच्चतर शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की क्षमता निर्माण के संबंध में शिक्षा प्रदान करना, जो उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है;

4. दक्षिण एशिया के भावी नेताओं को एक साथ लेते हुए और एक-दूसरे के परिप्रेक्ष्य की उनकी समझ में वृद्धि करके क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने में योगदान देना;

5. छात्रों में उत्तम नागरिक चेतना का विकास करना और लोकतांत्रिक समाज के सफल नागरिक बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना।

अनुच्छेद 3

वित्तपोषण

विश्वविद्यालय ऐसी अलाभकारी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी होगी, जो सदस्य राज्यों की प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार और अन्य स्रोतों से समर्थन लेगी, किंतु स्वशासी होगी और अपने न्यासी/शासी बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद 4

राजवित्तीय प्रास्थिति

1. विश्वविद्यालय और उसके कैम्पस तथा केंद्रों को, उस राज्य में, जहां वह अवस्थित है, विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के करों और शुल्कों का संदाय करने और संग्रहण करने से छूट होगी।

2. विश्वविद्यालय पूर्विकताओं, उपयोगिताओं के लिए दरों और प्रभारों के संबंध में ऐसे व्यवहार का उपभोग करेगा, जो उससे कम अनुकूल नहीं है, जो राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों और विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है।

3. विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए नकद या वस्तु रूप में जीवनकालिक और वसीयती दान, अभिदाय और संदान प्राप्त करने का अधिकार है। किसी विधिक या भौतिक व्यक्ति से सभी ऐसे दान और संदान संबंधित संस्थापक राज्यों में ऐसे दाताओं या अभिदाताओं की आय के संबंध में किसी सीमा के बिना पूर्णतया कटौती योग्य हैं।

4. विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित संस्थापक राज्यों के नागरिकों के कराधान और सामाजिक संरक्षण संबंधित राज्यों के अपने-अपने राष्ट्रीय विधान के अनुसार विनियमित होंगे। आतिथेय देश से भिन्न राज्यों से विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अपने देशों की आय-कर विधियों द्वारा शासित होंगे और आतिथेय देश की विधियों के अनुसार कराधेय नहीं होंगे।

अनुच्छेद 5

शासन संरचना

1. विश्वविद्यालय प्रत्येक सदस्य राज्य के दो सदस्यों से मिलकर बने शासी बोर्ड द्वारा शासित होगा और उसका एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष, शासी बोर्ड के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा।

2. शासी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद पर सेवा करेगा और लगातार दो अवधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। सदस्यों का चयन, क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों में से किया जाएगा और वे विश्वाविद्यालय की संपूर्ण नीतियों और निदेशों के लिए उत्तरदायी होंगे। शासी बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्य तथा बोर्ड की भूमिका का विनिश्चय विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

3. विश्वविद्यालय का प्रधान शासी बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा। उसकी नियुक्ति, पदावधि, शक्तियां और कृत्य विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।

4. अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा शासी बोर्ड का पदेन सदस्य भी होगा। अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और बोर्ड के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। वह विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण और आधारभूत कथन को कार्यान्वित करने, विश्वविद्यालय के प्रयोजन और उद्देश्यों को सुनिश्चित करने, एक समान रूप से उच्च शैक्षिक मानदंडों को बनाए रखने और विश्वविद्यालय के बोर्ड के नीति निदेशों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अध्यक्ष शासी बोर्ड के निदेश के अधीन कार्य करेगा। अध्यक्ष की सहायता एक कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष, उपविधियों के अनुसार, शिक्षा परिषद्, विभिन्न समितियां गठित करेगा और विश्वविद्यालय के प्रधान अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

अनुच्छेद 6
वीजा और निवासी परमिट

सदस्य राज्य, छात्रों, संकाय और कर्मचारिवृंद को सभी सार्क सदस्य राज्यों में यात्रा के लिए समुचित वीजा प्रदान करेंगे और छात्रों, संकाय और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के लिए विश्वविद्यालय और उसके विभिन्न कैंपसों, केंद्रों और सहयोजित शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने के लिए आवश्यक निवासी परमिट देंगे।

अनुच्छेद 7
डिग्रियों की मान्यता

यह करार सभी सार्क सदस्य राज्यों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की संबंधित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा जारी की गई डिग्रियों और प्रमाणपत्रों के समरूप पारस्परिक मान्यता को सुकर बनाएगा।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 9)

[17 जनवरी, 2009]

विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए बोर्ड के गठन के लिए तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "निधि" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(ङ) "अन्वेक्षा समिति" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति अभिप्रेत है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "सचिव" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड

बोर्ड का गठन और निगमन।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन—अध्यक्ष;

(ख) सदस्य-सचिव, योजना आयोग, पदेन—सदस्य;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन—सदस्य;

(घ) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन—सदस्य;

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव, पदेन—सदस्य;

(च) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में भारत सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, पदेन—सदस्य;

(छ) भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव, पदेन—सदस्य;

(ज) शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य;

(झ) सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य;

(ञ) उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं, सामाजिक-आर्थिक सेक्टर और अन्य सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार से अनधिक सदस्य।

(4) बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा।

(5) उपधारा (3) के खंड (ज) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(6) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(7) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है;

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी।

4. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी विख्यात वैज्ञानिक को बोर्ड का सचिव नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगे जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) बोर्ड देश के भीतर और बाहर दोनों से कार्मिकों की सेवाएं परामर्शियों, अभ्यागत वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर ले सकेगा जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और उनकी संक्रियाओं को देश के भीतर सुकर बनाएगा।

विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति।

5. (1) बोर्ड, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को परामर्श देने और सहायता करने के लिए विशेषज्ञों, विख्यात वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञों की एक अन्वेक्षा समिति का गठन करेगा।

(2) अन्वेक्षा समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) विख्यात और अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक — अध्यक्ष;

(ii) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन — उपाध्यक्ष;

(iii) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी के अध्यक्ष, पदेन—सदस्य;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषज्ञों में से तीन से अनधिक सदस्य; और

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन—सदस्य।

बोर्ड की समितियां।

6. (1) बोर्ड इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) बोर्ड को उतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे, अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

7. (1) बोर्ड, विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान वित्तपोषण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

(2) बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(i) उभरते हुए क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्त पोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान अभिकरण के रूप में कार्य करना;

(ii) विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझावों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना;

(iii) मुख्य अंतर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यष्टियों, समूहों या संस्थाओं की पहचान करना और अनुसंधान करने के लिए उनका वित्तपोषण करना;

(iv) विभिन्न पहचान किए गए क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यक्रम विकसित करना जिनका अनुसंधान के संवर्धन में बहुआयामी प्रभाव होगा;

(v) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अवसंरचना और पर्यावरण स्थापित करने में सहायता करना;

(vi) विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच सहचर्य प्राप्त करना;

(vii) आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुसंधान, जिसके अंतर्गत मानीटरी और मूल्यांकन भी है, के लिए त्वरित वित्त पोषण का उपबंध करने के लिए प्रबंधन प्रणाली तैयार करना;

(viii) अन्तरराष्ट्रीय सहयोगकारी परियोजनाओं में, जहां आवश्यक या वांछनीय हो, सहभागिता पैदा करना; और

(ix) विद्यमान विज्ञान और इजीनियरी अनुसधान परिषद् स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई या वित्तपोषित बुनियादी अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना और जारी रखना।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यष्टियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और अन्य संगठनों को अनुदानों और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दे सकेगा।

अध्याय 3

वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवेदन

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन।

8. (1) धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(2) बोर्ड, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या ऐसा स्पष्टीकरण मांगने के

पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, या तो वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा अथवा उससे इंकार कर सकेगा।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार।

9. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी वह सरकार आवश्यक समझे।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि।

10. (1) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उस निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान और उधार;

(ख) किसी अन्य स्रोत से, बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी राशियां जिसमें संदान सम्मिलित हैं;

(ग) निधि से अनुदत्त रकमों की वसूलियां; और

(घ) निधि की रकम के विनिधान से कोई आय।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा,—

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय;

(ख) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय;

(ग) परामर्शियों और अभ्यागत वैज्ञानिकों के पारिश्रमिक; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करने में उसके व्यय।

बजट।

11. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

12. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

लेखा और संपरीक्षा।

13. (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(4) बोर्ड, ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना।

14. केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

बोर्ड को विवरणियों का दिया जाना।

15. (1) बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा कोई औद्योगिक समुत्थान या कोई संस्था, बोर्ड को, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देगा।

(2) बोर्ड, इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए, किसी अधिकारी को किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक समुत्थान या संस्था का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

16. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित रूप में दे:

परन्तु बोर्ड को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले यथासाध्य, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार को बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति।

17. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) बोर्ड, गंभीर आपात के कारण, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन की हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को अतिष्ठित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, किया जा सकता है, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार निदेश करे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिक्रमण काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, नई नियुक्ति करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में, ऐसा या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

प्रत्यायोजन।

18. बोर्ड, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य (धारा 21 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

19. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा बोर्ड या ऐसी समिति के किसी सदस्य या सरकार के या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और अन्य भत्ते;

(ख) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) धारा 5 के अधीन अन्वेक्षा समिति का गठन;

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समितियों का गठन;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड धारा 11 के अधीन अपना बजट और धारा 12 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(छ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप और वह तारीख जिससे पूर्व उस धारा की उपधारा (4) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षित प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेगी;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति।

21. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणत: कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें जिनमें वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं;

(ख) वह प्ररूप जिसमें, और वह समय जिस पर, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को, विवरणियां दी जा सकेंगी।

नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना।

22. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 10)

[5 फरवरी, 2009]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

भाग 2

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का संशोधन

2000 का 21

"अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्दों का प्रतिस्थापन ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट अध्याय, धारा, उपधारा और खंड में आने वाले "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय/धारा/उपधारा/खंड
(1)	धारा 2 का खंड (घ), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (यछ) ;
(2)	धारा 5 और उसका पार्श्व शीर्ष ;
(3)	धारा 6 का पार्श्व शीर्ष ;
(4)	धारा 10 का खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (ङ) तथा उसका पार्श्व शीर्ष ;
(5)	अध्याय 5 का शीर्ष ;
(6)	धारा 18 का खंड (च) और खंड (छ) ;
(7)	धारा 19 की उपधारा (2) ;

(8) धारा 21 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उसका पार्श्व शीर्ष ;
(9) धारा 25 की उपधारा (3) ;
(10) धारा 30 का खंड (ग) ;
(11) धारा 34 की उपधारा (1) का खंड (क) और खंड (घ) तथा उपधारा (2) ;
(12) अध्याय 7 का शीर्ष ;
(13) धारा 35 और उसका पार्श्व शीर्ष ;
(14) धारा 64 ;
(15) धारा 71 ;
(16) धारा 73 की उपधारा (1) और उसका पार्श्व शीर्ष;
(17) धारा 74 ; और
(18) धारा 87 की उपधारा (2) का खंड (घ), खंड (ढ) और खंड (ण) ।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) इस अधिनियम की कोई बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों को लागू नहीं होगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का, उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(अ) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जक) "संचार युक्ति" से सैलफोन, वैयक्तिक अंकीय सहायता या दोनों का संयोजन या कोई ऐसी अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग कोई पाठ, वीडियो, आडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारेषित करने के लिए किया जाता है;';

(आ) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ञ) "कंप्यूटर नेटवर्क" से,—

(i) उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार, बेतार या अन्य संचार मीडिया के उपयोग ; और

(ii) दो या अधिक अंतःसंबद्ध कंप्यूटरों या संचार युक्ति से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी कंप्लैक्स, चाहे अंतःसंबंध निरंतर रखा जाता है या नहीं,

के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटर प्रणालियों या संचार युक्ति का अंतःसंबंध अभिप्रेत है ;';

(इ) खंड (ढ) में "विनियमन" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ई) खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ढक) "साइबर कैफे" से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है, जहां से किसी व्यक्ति द्वारा, जनता को कारबार के साधारण अनुक्रम में इंटरनैट तक पहुंच प्रस्थापित की जाती है ;

(ढख) "साइबर सुरक्षा" से सूचना, उपस्कर, युक्तियों, कंप्यूटर, कंप्यूटर संसाधन, संचार युक्ति और उनमें भंडारित सूचना को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन, विच्छिन्न, उपांतरण या नाश से संरक्षित करना अभिप्रेत है;';

(उ) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(नक) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" से किसी उपयोगकर्ता द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक तकनीक के माध्यम से किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अंकीय चिह्नक भी है ;

(नख) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र" से धारा 35 के अधीन जारी किया गया इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र भी है ;';

(ऊ) खंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(पक) "भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल" से धारा 70 ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है ;';

(ए) खंड (फ) में "डाटा, पाठ" शब्दों के स्थान पर "डाटा, संदेश, पाठ" शब्द रखे जाएंगे;

(ऐ) खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ब) किसी विशिष्ट इलैक्ट्रानिक अभिलेख के संबंध में "मध्यवर्ती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस अभिलेख को प्राप्त करता है, भंडारित करता है या पारेषित करता है या उस अभिलेख के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और उसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता, नैटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनैट सेवा प्रदाता, वैब होस्टिंग सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, आन लाइन पेमेंट साइट, आन लाइन आक्शन साइट, आन लाइन विपणन स्थान और साइबर कैफे भी हैं ;'।

अध्याय 2 के शीर्ष का संशोधन।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के शीर्ष के स्थान पर, "अंकीय चिह्नक और इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शीर्ष रखा जाएगा ।

नई धारा 3क का अंतःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इलैक्ट्रानिक चिह्नक।

"3क. (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उपयोगकर्ता किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, ऐसे इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा, जो,—

(क) विश्वसनीय समझी जाती है ; और

(ख) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक विश्वसनीय समझी जाएगी, यदि,—

(क) चिह्नक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा, उस संदर्भ में, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ जोड़े जाते हैं और न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ;

(ख) चिह्नक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा, चिह्नांकन के समय, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के नियंत्रणाधीन थे और न कि किसी अन्य व्यक्ति के ;

(ग) ऐसा चिह्नक लगाने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक चिह्नक में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है ;

(घ) इलैक्ट्रानिक चिह्नक द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात् सूचना में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है ; और

(ङ) यह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता हो, जो विहित की जाएं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस बात का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी कि क्या इलैक्ट्रानिक चिह्नक उसी व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका चिह्नांकन किया जाना या अधिप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची में ऐसे चिह्नक को लगाने के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक और प्रक्रिया जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी :

परंतु कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक या अधिप्रमाणन तकनीक दूसरी अनुसूची में तभी विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब ऐसा चिह्नक या तकनीक विश्वसनीय हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

नई धारा 6क का अंतःस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिदान ।

'6क. (1) समुचित सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए और इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जनता को सेवाओं के दक्ष परिदान के लिए, आदेश द्वारा, किसी सेवा प्रदाता को कंप्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, अनुरक्षण और उन्नयन और ऐसी अन्य सेवाओं का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार प्राधिकृत सेवा प्रदाता के अंतर्गत ऐसा कोई व्यष्टि, प्राइवेट अभिकरण, प्राइवेट कंपनी, भागीदारी फर्म, एकल स्वत्वधारी फर्म या कोई ऐसा अन्य निकाय या अभिकरण भी है जिसे ऐसे सेवा सैक्टर को शासित करने वाली नीति के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से सेवाएं प्रस्थापित करने के लिए समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी सेवा प्रदाता को, ऐसे सेवा प्रभार, जो ऐसी सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति से, ऐसी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संगृहीत, प्रतिधारित और विनियोजित करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि इस अधिनियम, नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन ऐसा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, जिसके अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा ई–सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण और विनियोजन करने के लिए सेवा प्रदान की जाती है, इस धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रभारों का संग्रहण, प्रतिधारण, विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(4) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन सेवा प्रभारों का मापमान विनिर्दिष्ट करेगी जो इस धारा के अधीन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित और संगृहीत किए जा सकेंगे:

परंतु समुचित सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों के विभिन्न मापमान विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।'।

नई धारा 7क का अंतःस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

इलैक्ट्रानिक रूप में रखे गए दस्तावेजों, आदि की संपरीक्षा।

"7क. जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में, दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा का उपबंध है, वहां, वह उपबंध इलैक्ट्रानिक रूप में संसाधित और रखे गए दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा के संबंध में भी लागू होगा।"।

नई धारा 10क का अंतःस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधिमान्यता।

"10क. जहां किसी संविदा को तैयार करने में, यथास्थिति, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, प्रस्थापनाओं का प्रतिसंहरण और स्वीकृतियां, इलैक्ट्रानिक रूप में या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साधनों द्वारा, अभिव्यक्त की जाती है वहां ऐसी संविदा केवल इस आधार पर कि ऐसा इलैक्ट्रानिक रूप या साधन उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, अप्रवर्तनीय नहीं समझी जाएगी ।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में, "जहां प्रवर्तक, प्रेषिती से इस बात पर सहमत नहीं हुआ है" शब्दों के स्थान पर, "जहां प्रवर्तक ने यह अनुबंधित नहीं किया है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 15 और धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 15 और धारा 16 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

'15. कोई इलैक्ट्रानिक चिह्नक एक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक समझा जाएगा, यदि—

सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक।

(i) चिह्नक सृजन डाटा, चिह्नक लगाने के समय, हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और न कि किसी अन्य व्यक्ति के ; और

(ii) चिह्नक सृजन डाटा, ऐसी अनन्य रीति में भंडारित किया गया और लगाया गया था, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—अंकीय चिह्नक की दशा में, "चिह्नक सृजन डाटा" से उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी अभिप्रेत है ।

16. केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां विहित कर सकेगी :

सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां।

परंतु ऐसी सुरक्षा प्रक्रियाओं और पद्धतियों को विहित करते समय केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक परिस्थितियों, संव्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी, जो वह समुचित समझे ।'।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

धारा 17 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "और सहायक नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर, ",सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (4) में, "और सहायक नियंत्रकों" शब्दों के स्थान पर, ",सहायक नियंत्रकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का लोप ।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, "इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है" शब्दों के स्थान पर "इस अध्याय के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

धारा 30 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "सुनिश्चित हो सके ," शब्दों के पश्चात् "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्रों का संग्रह होगा ;

(गख) अपनी पद्धतियों, इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्रों और ऐसे प्रमाणपत्रों की वर्तमान प्रास्थिति की बाबत सूचना का प्रकाशन करेगा; और"।

धारा 34 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "जिसमें उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र को अंकीय रूप से चिह्नक लगाने के लिए उपयोग की गई प्राइवेट कुंजी के अनुरूप लोक कुंजी अंतर्विष्ट हो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 35 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) में,—

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु" शब्द रखा जाएगा।

धारा 36 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 36 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) उपयोगकर्ता के पास ऐसी प्राइवेट कुंजी है, जो अंकीय चिह्नक का सृजन करने में समर्थ है ;

(गख) प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली लोक कुंजी के उपयोगकर्ता द्वारा धारित प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए अंकीय चिह्नक का सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।"।

नई धारा 40क का अंतःस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र के उपयोगकर्ता के कर्तव्य ।

"40क. इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र के संबंध में उपयोगकर्ता ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं ।"।

अध्याय 9 के शीर्ष का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम के अध्याय 9 के शीर्ष "शास्तियां और अधिनिर्णय" शब्दों के स्थान पर "शास्तियां, प्रतिकर और अधिनिर्णय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर "शास्ति और प्रतिकर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, "कम्प्यूटर नेटवर्क" शब्दों के पश्चात्, "या कंप्यूटर संसाधन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(झ) किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या उसमें परिवर्तन करता है या उसके महत्व या उपयोगिता को कम करता है या उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकर रूप से प्रभावित करता है;

(ञ) किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता, नष्ट या परिवर्तित कराता है,";

(घ) "तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति" शब्दों से आरंभ होने वाले और "दायी होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने का दायी होगा";

(ङ) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(v) "कंप्यूटर स्रोत कोड" से कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कंप्यूटर समादेशों, डिजाइन और रेखांक तथा कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है।'।

नई धारा 43क का अंतःस्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर।

'43क. जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, वहां ऐसा निगमित निकाय, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निगमित निकाय" से कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृत्तिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है;

(ii) "युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं" से ऐसी अप्राधिकृत पहुंच, नुकसानी, उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या ह्रास, जो, यथास्थिति, पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं और ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में, ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विहित की जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना" से ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उचित समझे, विहित की जाए ।'।

धारा 46 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) उपधारा (1) में, "दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है," शब्दों के स्थान पर, "दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो उसे शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी उन मामलों का

न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा, जिनमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है:

परंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक की क्षति या नुकसानी के लिए दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी।";

(ग) उपधारा (5) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।"। 1908 का 5

अध्याय 10 के शीर्ष का संशोधन।

24. मूल अधिनियम के अध्याय 10 के शीर्ष में "विनियमन" शब्द का लोप किया जाएगा।

धारा 48 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में "विनियमन" शब्द का लोप किया जाएगा।

धारा 49 से धारा 52 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

26. मूल अधिनियम की धारा 49 से धारा 52 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

साइबर अपील अधिकरण की संरचना।

"49. (1) साइबर अपील अधिकरण, अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे:

परंतु सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उक्त साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) साइबर अपील अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ;

(ख) किसी पीठ का गठन, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसे अधिकरण के एक या दो सदस्यों से, जो अध्यक्ष उपयुक्त समझे, किया जा सकेगा;

(ग) साइबर अपील अधिकरण की न्यायपीठों की बैठक नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर होगी, जो केन्द्रीय सरकार, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में साइबर अपील अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष, ऐसे अधिकरण के किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगा।

(5) यदि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसे अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा ऐसी न्यायपीठ को, जिसे अध्यक्ष उचित समझे, अंतरित किया जा सकेगा।

50. (1) कोई व्यक्ति साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ।

साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के सदस्यों को, उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले न्यायिक सदस्य के सिवाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है या रहा है और उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव का पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए धारण किया हो ।

(3) साइबर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है और उसने अपर सचिव का पद एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए या उस सेवा का श्रेणी-1 पद पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए धारण किया है ।

51. (1) साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पदभार ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्तें, आदि ।

(2) साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को साइबर अपील अधिकरण के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके चयन पर, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व सेवानिवृत्त होना होगा ।

52. साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को, संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं, ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

52क. साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष को, उस अधिकरण के कामकाज के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और वह अधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त अधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

अधीक्षण, निदेशन आदि की शक्तियां ।

52ख. जहां न्यायपीठों का गठन किया जाता है, वहां साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष, आदेश द्वारा, न्यायपीठों के बीच उस अधिकरण के कारबार और प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाही किए जाने वाले मामलों का भी वितरण कर सकेगा ।

न्यायपीठों के बीच कारबार का वितरण ।

52ग. पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना के पश्चात् तथा ऐसे पक्षकारों में से किसी की, जिनकी सुनवाई करना वह समुचित समझे या स्वप्रेरणा से ऐसी सूचना के बिना, सुनवाई करने के पश्चात् साइबर अपील अधिकरण का अध्यक्ष किसी न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को, निपटान के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा ।

मामलों को अंतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति ।

बहुमत द्वारा विनिश्चय ।

52घ. यदि दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय में मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उन प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष को निदेश करेंगे जो स्वयं उस प्रश्न या उन प्रश्नों की सुनवाई करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय ऐसे सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने मामले की पहले सुनवाई की थी ।"।

धारा 53 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 53 में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 54 में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "अध्यक्ष या सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 55 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 55 में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष या सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 56 में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 64 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) "अधिरोपित कोई शास्ति," शब्दों के स्थान पर, "अधिरोपित शास्ति या अधिनिर्णीत प्रतिकर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पार्श्व शीर्ष में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर, "शास्ति या प्रतिकर" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 66 और धारा 67 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

32. मूल अधि यम की धारा 66 और धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

कंप्यूटर से संबंधित अपराध ।

'66. यदि व ई व्यक्ति, धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, तो व्ह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच ला रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टी रण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "बेईमानी से" शब्दों का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में है ; 1860 का 45

(ख) "कपटपूर्वक" शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में है । 1860 का 45

संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड ।

66क. कोई व्यक्ति, जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के माध्यम से,—

(क) ऐसी किसी सूचना को, जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है; या

(ख) ऐसी किसी सूचना को, जिसका वह मिथ्या होना जानता है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति या आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए, लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके; या

(ग) ऐसी किसी इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश को, ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में प्रेषिती या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए,

भेजता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रानिक डाक" और "इलैक्ट्रानिक डाक संदेश" पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी हैं, जो संदेश के साथ भेजे जाएं।

चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेइमानी से प्राप्त करने के लिए दंड।

66ख. जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, बेइमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

पहचान चोरी के लिए दंड।

66ग. जो कोई कपटपूर्वक या बेइमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिह्नक, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान चिह्न का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड।

66घ. जो कोई, किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड।

66ङ. जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में खींचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पारेषण" से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;

(ख) किसी चित्र के संबंध में "चित्र खींचना" से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है;

(ग) "गुप्तांग" से नग्न या अंतःवस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत हैं;

(घ) "प्रकाशित करने" से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुनःनिर्माण करना और उसे जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ङ) "एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों के अधीन" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि,—

(i) वह इस बात की चिंता किए बिना कि उसके गुप्तांग का चित्र खींचा जा रहा है; एकांतता में अपने वस्त्र उतार सकता या उतार सकती है, या

(ii) उसके गुप्तांग का कोई भाग इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में है जनसाधारण को दृश्यमान नहीं हो रहा है।

साइबर आतंकवाद के लिए दंड।

66च. (1) जो कोई,—

(अ) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में,—

(i) कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इंकार करके या इंकार कराके; या

(ii) प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके; या

(iii) किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके,

आतंक फैलाने के आशय से और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है या यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(आ) जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बंधित सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री का उपयोग भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों को या न्यायालय की अवमानना के संबंध में, मानहानि या किसी अपराध के उत्प्रेरण के संबंध में किसी विदेशी राष्ट्र, व्यष्टि समूह के फायदे को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है,

तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा।

(2) जो कोई साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूटरचना करेगा, तो वह कारावास से, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड।

67. जो कोई, इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जिसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंतर्विष्ट या उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड।

67क. जो कोई, किसी ऐसी सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करता है या पारेषित करता है या प्रकाशित या पारेषित कराता है, जिसमें कामुकता व्यक्त करने का कार्य या आचरण अंतर्वलित है, पहली दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड।

67ख. जो कोई,—

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करेगा,

संगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान-प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति में बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ आन-लाइन संबंध के लिए लगाएगा, फुसलाएगा या उत्प्रेरित करेगा, जो कंम्पयूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) आन-लाइन बालकों का दुरुपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा; या

(ङ) बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलिखित करेगा,

तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:

परन्तु धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रानिक रूप में आकृति पर नहीं है:--

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या आकृति, विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जो सद्भाविक परंपरा या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण।

67ग. (1) मध्यवर्ती, ऐसी सूचना का, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति तथा रूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, परिरक्षण और प्रतिधारण करेगा।

(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जानबूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।'।

धारा 68 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 68 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में साशय या जानबूझकर असफल रहेगा, अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा ।"।

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

34. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अन्तररोधन या मानिटरिंग या विगूढन के लिए निदेश जारी करने की शक्ति।

'69. (1) जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन के निवारण या किसी अपराध के अन्वेषण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा समुचित सरकार के किसी अभिकरण को, किसी कम्प्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त या भण्डारित किसी सूचना को अंतर्रुद्ध या मानीटर करने अथवा विगूढ़न करने अथवा अंतर्रुद्ध या मानीटर कराने या विगूढ़न कराने का निदेश दे सकेगी।

(2) प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनके अधीन ऐसा अंतररोधन या मानीटरिंग या विगूढ़न किया जा सकेगा, वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) उपयोगकर्ता या मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा मांगे जाने पर, निम्नलिखित के लिए सभी सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा—

(क) ऐसी सूचना जनित करने, पारेषित करने, प्राप्त करने या भंडार करने वाले कम्प्यूटर संसाधन तक पहुंच उपलब्ध कराना या पहुंच सुनिश्चित करना; या

(ख) यथास्थिति, सूचना को अंतर्रुद्ध, मानीटर या विगूढ़न करना; या

(ग) कम्प्यूटर संसाधन में भंडारित सूचना उपलब्ध कराना।

(4) ऐसा उपयोगकर्ता या मध्यवर्ती या कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अभिकरण की सहायता करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निदेश जारी करने की शक्ति।

69क.(1) जहां केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को जनता की पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा।

(2) वह प्रक्रिया और रक्षोपाय, जिनके अधीन जनता की पहुंच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा, वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) वह मध्यवर्ती जो उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

साइबर सुरक्षा के लिए किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मानीटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति।

69ख. (1) केन्द्रीय सरकार, देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटर संदूषक की पहचान, विश्लेषण और अनाधिकार प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना, मानीटर और एकत्र करने के लिए सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, जब ऐसे अभिकरण द्वारा मांग की जाती है, जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और आन–लाइन पहुंच को समर्थ बनाने के लिए ऐसे अभिकरण को सभी सुविधाएं देगा या ऐसे ट्रैफिक आंकड़े या सूचना जनित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित करने वाले कम्प्यूटर संसाधन को आन–लाइन पहुंच सुरक्षित कराएगा और उपलब्ध कराएगा।

(3) ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना को मानीटर और एकत्र करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जानबूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "कंप्यूटर संदूषक" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में है;

(ii) "ट्रैफिक आंकड़ा" से ऐसे किसी व्यक्ति, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या अवस्थिति की पहचान करने वाला या पहचान करने के लिए तात्पर्यित कोई डाटा

अभिप्रेत है जिसको या जिससे संसूचना पारेषित की गई या पारेषित की जाए और इसके अंतर्गत संसूचना उद्‌गम, गंतव्य मार्ग, समय, तारीख, आकार, की गई सेवा की अवधि या प्रकार और कोई अन्य सूचना भी है।'।

धारा 70 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

'(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे कम्प्यूटर संसाधन को, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है, संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नाजुक सूचना अवसंरचना" से ऐसा कंप्यूटर संसाधन अभिप्रेत है, जिसके अक्षमीकरण या नाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमजोर होगी।';

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) केन्द्रीय सरकार, ऐसी संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं विहित करेगी।"।

नई धारा 70क और धारा 70 ख का अंतःस्थापन।

36. मूल अधिनियम की धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय नोडल अभिकरण।

"70क. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास भी है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना।

70ख. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अभिकरण को नियुक्त करेगी जिसे भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल कहा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण में एक महानिदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो विहित किए जाएं।

(3) महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(4) भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने वाले राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा,—

(क) साइबर घटना संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार;

(ख) साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनियां;

(ग) साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपात अध्युपाय;

(घ) साइबर घटना मोचन क्रियाकलापों का समन्वय;

(ङ) साइबर घटनाओं की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, मोचन और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पण और श्वेतपत्र जारी करना;

(च) साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (4) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण, सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डाटा केंद्रों, निगमित निकायों और किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मांग सकेगा और उसे निदेश दे सकेगा।

(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती डाटा केंद्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (6) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(8) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी परिवाद पर के सिवाय नहीं करेगा।"।

नई धारा 72क का अंतःस्थापन।

37. मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड।

"72क. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती भी है, जिसने, विधिपूर्ण संविदा के निबंधनों के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराते समय, ऐसी किसी सामग्री तक, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना अंतर्विष्ट है, पहुंच प्राप्त कर ली है, सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसे सदोष हानि या सदोष अभिलाभ कारित होने की संभावना है, संबंधित व्यक्ति की सम्मति के बिना या किसी विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सामग्री प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"।

धारा 77 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

38. मूल अधिनियम की धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

प्रतिकर, शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना।

"77. इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर, अधिरोपित शास्ति या किया गया अधिहरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा।

अपराधों का शमन।

77क. (1) सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय, उन अपराधों से भिन्न अपराधों का शमन कर सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन आजीवन या तीन वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का उपबंध किया गया है:

परंतु न्यायालय, ऐसे अपराध का वहा शमन नहीं करेगा, जहां अपराधी, उसकी पूर्व दोषसिद्धि के कारण या तो वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के किसी दंड के लिए दायी है:

परंतु यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है या अठारह वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया गया है।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में, जिसमें अपराध विचारण के लिए दंडित है, शमन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265ख और धारा 265ग के उपबंध लागू होंगे। (1974 का 2)

तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना।

77ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, तीन वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय होंगे।"। (1974 का 2)

धारा 78 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 78 में, "उप पुलिस अधीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "निरीक्षक" शब्द रखा जाएगा।

अध्याय 12 के स्थान पर नए अध्यायों का प्रतिस्थापन ।

40. मूल अधिनियम के अध्याय 12 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'अध्याय 12

कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी न होना

कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट ।

79. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यवर्ती, उसको उपलब्ध कराई गई या परपोषित की गई किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क के लिए दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तभी लागू होंगे, जब—

(क) मध्यवर्ती का कृत्य, किसी ऐसी संसूचना प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराने तक सीमित है, जिस पर अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पारेषित की जाती है या अस्थायी रूप से भंडारित की जाती है या परपोषित की जाती है; या

(ख) मध्यवर्ती—

(i) पारेषण आरंभ नहीं करता है,

(ii) पारेषण के अभिग्राही का चयन नहीं करता है, और

(iii) पारेषण में अंतर्विष्ट सूचना का चयन या उपान्तरण नहीं करता है;

(ग) मध्यवर्ती, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् तत्परता का अनुपालन करता है और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी अनुपालन करता है, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि,—

(क) मध्यवर्ती ने विधिविरुद्ध कार्य करने का षड्यंत्र या दुष्प्रेरण किया है या उसमें सहायता की है या उसके लिए उत्प्रेरित किया है, चाहे धमकी द्वारा या वचन द्वारा या अन्यथा;

(ख) वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर या समुचित सरकार अथवा उसके अभिकरण द्वारा यह अधिसूचित किए जाने पर कि मध्यवर्ती द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान या उससे सम्बद्ध किसी सूचना, डाटा या संसूचना संपर्क का उपयोग विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए किया जा रहा है, मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुंच को अविलम्ब हटाने या उसे निर्योग्य बनाने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य व्यक्ति की सूचना" पद से किसी मध्यवर्ती द्वारा मध्यवर्ती की हैसियत से दी गई सूचना अभिप्रेत है ।

अध्याय 12क

इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक

केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना।

79क. केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य" से, प्रमाणक मूल्य की कोई सूचना अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित या पारेषित की जाती है और इसके अंतर्गत कंप्यूटर साक्ष्य, अंकीय दृश्य, अंकीय श्रव्य, सेलफोन, अंकीय फैक्स मशीन भी है ।'।

धारा 80 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) में, "उप पुलिस अधीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "निरीक्षक" शब्द रखा जाएगा।

धारा 81 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 81 के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 या पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने से निर्बन्धित नहीं करेगी ।"।

1957 का 14
1970 का 39

धारा 82 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 82 में, —

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।";

(ख) "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष, सदस्य" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 84 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 84 में, "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 84क, धारा 84ख और धारा 84ग का अंतःस्थापन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 84 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

गूढ़लेखन के ढंग या पद्धतियां।

"84क. केन्द्रीय सरकार, इलैक्ट्रानिक माध्यम के सुरक्षित उपयोग और ई-गवर्नेस और ई-कामर्स के संवर्धन के लिए, गूढ़लेखन के ढंग या पद्धतियां विहित कर सकेगी ।

अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।

84ख. जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाएगा, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उसकी सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण का गठन होता है।

अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड।

84ग. जो कोई इस अधिनियम द्वारा दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसे कोई अपराध कराता है और ऐसे प्रयत्न में, अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, जहां ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"।

धारा 87 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 87 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक की विश्वसनीयता पर विचार करने के लिए शर्तें ;

(कक) धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन इलैक्ट्रानिक चिह्नक या अधिप्रमाणन को अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया;

(कख) वह रीति, जिसमें धारा 5 के अधीन इलैक्ट्रानिक चिह्नक द्वारा किसी सूचना या सामग्री को अधिप्रमाणित किया जा सकेगा;";

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) वह रीति, जिसमें धारा 6क की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाता, सेवा प्रभार संगृहीत, प्रतिधारित और विनियोजित कर सकेगा ;";

(iii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 15 के अधीन इलैक्ट्रानिक चिह्नक सृजन डाटा भंडारित करने और उसे लगाने की रीति ;

(ङक) धारा 16 के अधीन सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति;";

(iv) खंड (च) में, "और सहायक नियंत्रकों" शब्दों के स्थान पर, ",सहायक नियंत्रकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डक) धारा 35 के अधीन इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस;";

(vii) खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(णक) धारा 40क के अधीन उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य ;

(णख) धारा 43क के अधीन युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या सूचना ;";

(viii) खंड (द) में, "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष और सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ix) खंड (ध) में "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष और सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे ;

(x) खंड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ब) धारा 52क के अधीन साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य;

(भ) धारा 67ग के अधीन प्रतिधारित और परिरक्षित की जाने वाली सूचना, अवधि, रीति और ऐसी सूचना का प्ररूप;

(म) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन अंतररोधन, मानीटरी या विगूढ़न के लिए प्रक्रियाएं और रक्षोपाय;

(य) धारा 69क की उपधारा (2) के अधीन जनता की पहुंच का अवरोधन करने की प्रक्रिया और रक्षोपाय;

(यक) धारा 69ख की उपधारा (3) के अधीन ट्रैफिक आंकड़े या सूचना की मानीटरी करने और उन्हें एकत्रित करने की प्रक्रिया और रक्षोपाय;";

(यख) धारा 70 के अधीन संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं ;

(यग) धारा 70क की उपधारा (3) के अधीन अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन की रीति;

(यघ) धारा 70ख की उपधारा (2) के अधीन अधिकारी और कर्मचारी;

(यङ) धारा 70ख की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(यच) वह रीति, जिसमें धारा 70क की उपधारा (5) के अधीन अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जाएगा;

(यछ) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन मध्यवर्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत ;

(यज) धारा 84क के अधीन विगूढ़न का ढंग या पद्धति ;";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 70क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अधिसूचना या" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

धारा 90 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 91, धारा 92, धारा 93 और धारा 94 का लोप ।

48. मूल अधिनियम की धारा 91, धारा 92, धारा 93 और धारा 94 का लोप किया जाएगा।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन ।

49. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"पहली अनुसूची

[धारा 1 की उपधारा (4) देखिए]

वे दस्तावेज या संव्यवहार, जिनको अधिनियम लागू नहीं होगा

	क्रम सं॰	दस्तावेजों या संव्यवहारों का वर्णन
1881 का 26	1.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 में यथापरिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक से भिन्न) ।
1882 का 7	2.	मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 की धारा 1क में यथापरिभाषित मुख्तारनामा ।
1882 का 2	3.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास ।
1925 का 39	4.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित विल, जिसके अंतर्गत कोई अन्य वसीयती व्ययन, चाहे जिस नाम से हो, भी है ।
	5.	स्थावर सम्पत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई संविदा ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 3क की उपधारा (1) देखिए]

इलैक्ट्रानिक चिह्नक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक और प्रक्रिया

क्रम सं॰	वर्णन	प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)

।"।

50. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची का लोप किया जाएगा। तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची का लोप ।

भाग 3

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

1860 का 45

51. भारतीय दंड संहिता में,— भारतीय दंड संहिता का संशोधन ।

(क) धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन ।

(i) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना।";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा में,—

(क) "अपराध" शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के

अधीन दंडनीय होता ;

(ख) "कंप्यूटर संसाधन" पद का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;'; 2000 का 21

धारा 40 का संशोधन ।

(ख) धारा 40 के खंड (2) में, "117" अंक के पश्चात्, "118, 119 और 120" अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

धारा 118 का संशोधन ।

(ग) धारा 118 में, "ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न अथवा किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 119 का संशोधन ।

(घ) धारा 119 में, "ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न अथवा कोई अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 464 का संशोधन ।

(ङ) धारा 464 में, "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का संशोधन ।

52. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में,— 1872 का 1

धारा 3 का संशोधन ।

(क) निर्वचन खंड से संबंधित धारा 3 में, अंत में आने वाले पैरा में, "अंकीय चिह्नक" और "अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" और "इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

नई धारा 45क का अंतःस्थापन ।

(ख) धारा 45 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय ।

"45क. जब न्यायालय को, किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप में पारेषित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है । 2000 का 21

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक, विशेषज्ञ होगा ।";

धारा 47क का संशोधन ।

(ग) धारा 47क में,—

(i) "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 67क का संशोधन ।

(घ) धारा 67क में, "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं,

"इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) धारा 85क में, "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ; — धारा 85क का संशोधन।

(च) धारा 85ख में "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे ; — धारा 85ख का संशोधन।

(छ) धारा 85ग में "अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ; — धारा 85ग का संशोधन।

(ज) धारा 90क में "अंकीय चिह्नक" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" शब्द रखे जाएंगे । — धारा 90क का संशोधन।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 11)

[5 फरवरी, 2009]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 है।

1956 का 55.

धारा 2 का संशोधन।

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, ''पच्चीस'' शब्द के स्थान पर, ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 12)

[12 फरवरी, 2009]

जूट की खेती और जूट उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के विकास के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियत दिन'' से वह तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार धारा 3 के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) ''बोर्ड'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''परिषद्'' से जूट विनिर्मिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अधीन स्थापित जूट विनिर्मिति विकास परिषद् अभिप्रेत है; 1983 का 27

(ङ) ''जूट'' से जूट, केनफ और मेस्त्य का पौधा अभिप्रेत है;

(च) ''जूट विनिर्मिति'' का वही अर्थ है, जो जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 में है; 1983 का 28

(छ) ''सदस्य'' से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ञ) ''सोसाइटी'' से राष्ट्रीय जूट विविधता केन्द्र अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित सोसाइटी है और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; 1860 का 21

(ट) ''वर्ष'' से ऐसा वर्ष अभिप्रेत है जो 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर, आगामी 31 मार्च को समाप्त होता है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

बोर्ड का गठन और निगमन।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से ही, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के नाम का एक बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा।

(3) बोर्ड का मुख्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कोलकाता में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में या भारत के बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।

(4) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) वस्त्र से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का भारसाधक सचिव, जो बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो, लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे और एक, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा;

(ग) भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, पदेन;

(घ) भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का संयुक्त सचिव (जूट), पदेन;

(ङ) संयुक्त सचिव की पंक्ति के दो सदस्य, जो निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) कृषि; और

(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण;

(च) तीन सदस्य, जिन्हें क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णमाला के क्रम में चक्रानुक्रम से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। नामनिर्देशन, राज्य सरकार के उन पदधारियों में से होगा, जो उस राज्य सरकार में सचिव की पंक्ति का पद धारण कर रहे हों और जो जूट या वस्त्रों से संबंधित कार्य कर रहे हों;

(छ) जूट कृषकों के तीन सदस्य जिनमें से एक, पश्चिमी बंगाल राज्य से और दो, अन्य राज्यों से चक्रानुक्रम की आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ज) जूट कार्मिकों के तीन सदस्य जिनमें से एक, पश्चिमी बंगाल राज्य से और दो, अन्य राज्यों से चक्रानुक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, संबद्ध जूट प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्र से दो विशेषज्ञ;

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले, जूट उद्योग से संबद्ध ''सूक्ष्म उद्यम'', ''लघु उद्यम'' और ''मध्यम उद्यम'' से दो सदस्य।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए ''मध्यम उद्यम'', ''सूक्ष्म उद्यम'' और ''लघु उद्यम'' पदों के वही अर्थ हैं, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (ड) में हैं;

2006 का 27

(ट) दो सदस्य, जिन्हें संगठित सेक्टर में जूट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ठ) दो सदस्य, जिन्हें विकेंद्रीकृत क्षेत्र में जूट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ड) दो सदस्य, जिन्हें जूट उत्पादों के निर्यातकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ढ) निदेशक, भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संगम, पदेन;

(ण) प्रधानाचार्य, जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, पदेन;

(त) निदेशक, राष्ट्रीय जूट और समवर्गी फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, पदेन;

(थ) निदेशक, केन्द्रीय जूट और समवर्गी फाइबर अनुसंधान संस्थान, पदेन;

(द) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय जूट निगम, पदेन;

(ध) जूट आयुक्त, पदेन;

(न) सचिव, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, जो बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव, होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि और उनमें रिक्तियों को भरने की रीति और ऐसे सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

(6) बोर्ड के सदस्यों का पद उनके धारकों को, संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने से या होने से निरर्हित नहीं करेगा।

(7) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(8) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(9) बोर्ड ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संचालन के संबंध में (जिसके अंतर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है), प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

सचिव और अन्य अधिकारी।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

अध्याय 3

बोर्ड के कृत्य

बोर्ड के कृत्य।

5. (1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह जूट और जूट उत्पादों के विकास में, ऐसे उपायों द्वारा, जिन्हें वह ठीक समझे, अभिवृद्धि करे।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगा—

(i) स्कीमों के बनाने, विस्तारण कार्य के विषय में जूट की खेती के प्रति समेकित दृष्टिकोण विकसित करना, जूट के उत्पादन में वृद्धि और उसकी क्वालिटी में सुधार के लिए लक्षित स्कीमों का कार्यान्वयन और मूल्यांकन करना;

(ii) बेहतर क्वालिटी के कच्चे जूट के उत्पादन का संवर्धन करना;

(iii) कच्चे जूट की उत्पादकता में वृद्धि करना;

(iv) कच्चे जूट के बेहतर विपणन और कीमतों को स्थिर रखने के लिए संवर्धन करना या उसके लिए प्रबंध करना;

(v) कच्चे जूट और जूट उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;

(vi) अपशिष्ट हटाने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, क्वालिटी में सुधार और लागत में कमी करने की दृष्टि से जूट उद्योग के लिए दक्षता मानों का सुझाव देना;

(vii) कच्चा जूट उगाने वालों और जूट उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना;

(viii) कच्चे जूट और जूट उत्पादों की क्वालिटी नियंत्रण का संवर्धन करना और उसके लिए उपाय करना;

(ix) कच्चे जूट के प्रसंस्करण, क्वालिटी, श्रेणीकरण और पैकेजिंग की तकनीकों में सुधार के लिए अध्ययन और अनुसंधान में सहायता करना और उन्हें प्रोत्साहित करना;

(x) कच्चे जूट और जूट उत्पादों के संबंध में सांख्यिकी के संग्रहण और सूत्रीकरण पर केन्द्रित सर्वेक्षण या अध्ययन का संवर्धन करना और उनका किया जाना;

(xi) जूट विनिर्मितियों के मानकीकरण का संवर्धन करना;

(xii) जूट उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके जूट विनिर्मितियों के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;

(xiii) जूट सेक्टर से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और विपणन अनुसंधान को प्रायोजित करना, उसमें सहायता करना, उसका समन्वय करना, उसे प्रोत्साहित करना या आरंभ करना;

(xiv) जूट विनिर्मितियों के लिए देश के भीतर और बाहर विद्यमान बाजारों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना तथा नए बाजारों का विकास करना और देशी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऐसी विनिर्मितियों की मांग के अनुरूप विपणन युक्तियां तैयार करना;

(xv) सामग्री, उपस्कर, उत्पादन की प्रणालियों, उत्पाद विकास, जिसमें नई सामग्री, उपस्कर, पद्धतियों की खोज और जूट उद्योग में पहले से ही उपयोग में लाई जा रही प्रणालियों का विकास भी

सम्मिलित है, से संबंधित विषयों के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान का कार्य प्रायोजित करना, उसमें सहायता करना, उसका समन्वय करना या उसे प्रोत्साहित करना;

(xvi) उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकर्ताओं, गैर-सरकारी अभिकरणों की निम्नलिखित रीति में सहायता के रूप में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं और विभिन्न प्रकार के जूट उत्पादों के विकास के लिए सहायक परिस्थितियों का उपबंध करना और सृजन करना, अर्थात्:—

(क) भारत में और भारत के बाहर अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा अन्य संगठनों से प्रौद्योगिकी का अंतरण;

(ख) उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना जिसमें तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सम्मिलित है;

(ग) उद्यम संबंधी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(घ) भारत में और भारत के बाहर विपणन संवर्धन नीतियों की योजना बनाना और निष्पादन करना जिनमें प्रदर्शनियां, प्रदर्शन मीडिया प्रचार सम्मिलित हैं;

(ङ) सहायिकी या बीज पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(च) जूट और जूट वस्त्र सेक्टर में लगे हुए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ पारस्परिक सहयोग के लिए विभिन्न जूट उत्पादों में लगे हुए या हितबद्ध व्यक्तियों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना;

(xvii) जूट और जूट उत्पादों के संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिए कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमीनार, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना और अध्ययन समूह स्थापित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;

(xviii) जूट की फसल की क्वालिटी का सुधार और सगर्भता अवधि को कम करने के लिए जूट के बीज पर अनुसंधान करना;

(xix) जूट सेक्टर के सतत मानव संसाधन विकास के लिए उपायों को सम्मिलित करना और उनके लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करना;

(xx) जूट सेक्टर और प्रौद्योगिकी विकास का आधुनिकीकरण;

(xxi) जूट उगाने वालों और कर्मकारों के हितों का संरक्षण करने के लिए उपाय करना और उनकी आजीविका के साधनों में सुधार करके उनके कल्याण की अभिवृद्धि करना;

(xxii) जूट उद्योग में लगे हुए कर्मकारों के लिए कार्य करने की बेहतर परिस्थितियों और सुख सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करना और उनकी व्यवस्था करना;

(xxiii) वैकल्पिक आधार पर जूट उगाने वालों और जूट विनिर्माताओं को रजिस्ट्रीकृत करना;

(xxiv) संकलन और प्रकाशन के लिए जूट और जूट उत्पादों से संबंधित सांख्यिकी का संग्रह करना;

(xxv) जूट सेक्टर के संवर्धन के प्रयोजन के लिए या भारत में और भारत के बाहर जूट और जूट उत्पादों के संवर्धन और विपणन के लिए शेयर पूंजी में अभिदाय करना या किसी अन्य निगमित निकाय के साथ कोई ठहराव करना (चाहे भागीदारी, संयुक्त उद्यम के रूप में या किसी अन्य रीति में)।

(3) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) कच्चे जूट और जूट उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर जिसके अंतर्गत जूट और जूट उत्पादों का आयात और निर्यात भी है, केन्द्रीय सरकार को परामर्श दे;

(ख) जूट सेक्टर के संबंध में ऐसी रिपोर्टें तैयार करे और प्रस्तुत करे जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

अध्याय 4

संपत्ति और संविदा

परिषद् और सोसाइटी का बोर्ड में निहित होना।

6. (1) नियत दिन से ही, परिषद् और सोसाइटी धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी।

(2) परिषद् और सोसाइटी के बारे में, जो उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा जंगम और स्थावर पूर्ण स्वामित्व या निजी, मूर्त या अमूर्त, वर्तमान या समाश्रित किसी भी प्रकार की और कहीं भी स्थित सभी संपत्तियां हैं, जिनके अंतर्गत भूमि, भवन, मशीनरी, उपस्कर, नकदी अतिशेष, पूंजी, आरक्षितियां, आरक्षित निधि, विनिधान, अभिधृतियां, पट्टे और बही ऋण और ऐसी संपत्ति से उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित जो नियत दिन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी के स्वामित्व या कब्जे में या शक्ति में थे, चाहे वे भारत में हैं या भारत के बाहर, तत्संबंधी सभी लेखा बहियां और दस्तावेज भी हैं और उनके अंतर्गत, यथास्थिति, सोसाइटी या परिषद् के तत्समय विद्यमान किसी भी प्रकार के सभी उधार, दायित्व और बाध्यताएं भी हैं।

परिषद् और सोसाइटी का बोर्ड में निहित होने का सामान्य प्रभाव।

7. (1) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान और यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी को प्रभावित करने वाली सभी संविदाएं, करार और काम करने के बारे में ठहराव, जहां तक उनका संबंध, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी से है, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी के विरुद्ध प्रभावहीन हो जाएंगे या प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे और उस बोर्ड के विरुद्ध या उसके पक्ष में, जिसमें परिषद् और सोसाइटी इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गई हैं, पूर्णत: प्रभावी और प्रवर्तनीय होंगे, तथा इस प्रकार पूर्णत: और प्रभावी रूप से प्रवर्तनीय होंगे मानो, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी के बजाय बोर्ड को उसमें नामित किया गया हो या वह उसका एक पक्षकार रहा हो।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व, परिषद् या सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित या विद्यमान कोई कार्यवाही, वाद या वादहेतुक, उस दिन से ही उस बोर्ड के द्वारा या उसके विरुद्ध जिसको वह इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गया है, उसी प्रकार जारी रखा जा सकेगा और प्रवर्तित किया जा सकेगा जैसे वह परिषद् या सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध तब प्रवृत्त किया जाता, तब यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रहेगा।

अनुज्ञप्तियों, आदि का बोर्ड को अनुदत्त किया गया समझा जाना।

8. नियत दिन से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी के क्रियाकलापों और कारबार के संबंध में परिषद् या सोसाइटी को अनुदत्त सभी अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, कोटा और छूटों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उस बोर्ड को अनुदत्त की गई हैं जिसमें परिषद् और सोसाइटी, इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गए हैं।

कर छूट या फायदे का निरन्तर प्रभावी बने रहना।

9. (1) जहां आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन, परिषद् या सोसाइटी को किसी कर से, या उसके संबंध में किसी निर्धारण से कोई छूट दी गई है या किसी अनामेलित अवक्षयण या विनिधान मोक या अन्य मोक या हानि के, यथास्थिति, मुजरा या अग्रनयन के रूप में कोई फायदा दिया गया है या उपलब्ध है, वहां ऐसी छूट, निर्धारण या फायदा उस बोर्ड के संबंध में, जिसमें परिषद् और सोसाइटी इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गए हैं, प्रभावी बने रहेंगे। 1961 का 43

(2) जहां, परिषद् या सोसाइटी द्वारा किया गया कोई संदाय आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्राप्त है वहां कर से छूट उसी प्रकार उपलब्ध बनी रहेगी मानो परिषद् या सोसाइटी को लागू होने वाले उक्त अधिनियम के उपबंध, उस बोर्ड के संबंध में प्रवर्तनशील थे जिसमें परिषद् और सोसाइटी इस अधिनियम के आधार पर, निहित हो गए हैं। 1961 का 43

(3) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार परिषद् या सोसाइटी के अंतरण और निहित हो जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अर्थांतर्गत अंतरण है। 1961 का 43

प्रत्याभूति का प्रभावी होना।

10. किसी उधार या पट्टा वित्त के संबंध में परिषद् या सोसाइटी के लिए या उसके पक्ष में दी गई कोई प्रत्याभूति, उस बोर्ड के संबंध में प्रभावी बनी रहेगी जिसमें परिषद् और सोसाइटी इस अधिनियम के आधार पर निहित हो गई है।

परिषद् और सोसाइटी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध।

11. (1) (क) परिषद् का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसके नियोजन में कार्यरत है, जहां तक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस परिषद् के संबंध में, नियोजित है,जो इस अधिनियम के आधार पर बोर्ड में निहित हो गई है नियत दिन से ही, बोर्ड का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा।

(ख) सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसके नियोजन में कार्यरत है, जहां तक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस सोसाइटी के संबंध में, नियोजित है,जो इस अधिनियम के आधार पर बोर्ड में निहित हो गई है नियत दिन से ही, बोर्ड का, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा।

(2) परिषद् या सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट बोर्ड का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाता है, उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, छुट्टी, बीमा अधिवर्षिता स्कीम, भविष्य निधि, अन्य निधियों सेवानिवृत्ति, पेंशन, उपदान और अन्य प्रसुविधाओं के बारे में उन्हीं बाध्यताओं और अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ उसमें अपना पद धारण या सेवा करेगा जो वह, यथास्थिति, परिषद् या सोसाइटी के अधीन उस दशा में धारण करता, यदि वह बोर्ड में निहित नहीं हुई होती और यदि, ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस अवधि के भीतर बोर्ड का अधिकारी या अन्य कर्मचारी न होने का विकल्प लेता है तो वह बोर्ड के, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक ऐसा करता रहेगा:

परन्तु यदि बोर्ड इस प्रकार नियत की गई अवधि को बढ़ाना समीचीन समझता है तो वह उसे एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(3) जहां, परिषद् या सोसाइटी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, उपधारा (2) के अधीन उस बोर्ड के नियोजन या सेवा में नहीं रहने का विकल्प लेता है, जिसमें परिषद् और सोसाइटी निहित हो गई हैं, वहां ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपने काडर से त्यागपत्र दे दिया है।

1947 का 14

(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या सोसाइटी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का बोर्ड को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन के पूर्व परिषद् या सोसाइटी की सेवा से निवृत्त हो गए हैं और जो किन्हीं प्रसुविधाओं, अधिकारों या विशेषाधिकारों के हकदार हैं, उस बोर्ड से, जिसमें परिषद् या सोसाइटी निहित हो गई है, उन्हीं प्रसुविधाओं, अधिकारों या विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(6) अधिकारियों या कर्मचारियों के कल्याण के लिए परिषद् या सोसाइटी की भविष्य निधि और सामूहिक बीमा तथा अधिवर्षिता स्कीम संबंधी न्यास, बोर्ड में अपने कृत्यों का निर्वहन वैसे ही करते रहेंगे जैसे वे परिषद् या सोसाइटी में किया करते थे और भविष्य निधि या सामूहिक बीमा तथा अधिवर्षिता स्कीम के संबंध में दी गई कर-छूट बोर्ड की बाबत लागू बनी रहेगी।

(7) उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात्, बोर्ड को अंतरित और उसमें नियुक्त सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो उन अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से भिन्न हैं, जो ऐसी अवधि के भीतर बोर्ड के अधिकारी या अन्य कर्मचारी होने का विकल्प नहीं लेते हैं, उक्त बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश।

12. (1) बोर्ड सुसंगत परिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति संबंधी प्रश्नों के संबंध में ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे:

परंतु बोर्ड को, कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का यावत्शक्य अवसर दिया जाएगा।

(2) इस बारे में कि कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

बोर्ड का अधिक्रमण।

13. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) गंभीर आपात के कारण, बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उसे अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, उसे अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन का ह्रास हुआ है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी।

(2) अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका सुसंगत अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्रयोग या निर्वहन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, जब तक कि उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता, प्रयोग और निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, जब तक बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता, केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर, केन्द्रीय सरकार नई नियुक्ति द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त कर दिए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिक्रमण की अवधि के अवसान के पूर्व, किसी समय, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कराएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की और उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई, पूरी रिपोर्ट, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार।

14. (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, बोर्ड को, अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय कर सकेगी, जितनी वह सरकार आवश्यक समझे।

(2) जूट बोर्ड निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए कोई अनुदान और उधार;

(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, बोर्ड को प्राप्त सभी धनराशियां।

(3) निधि का उपयोजन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा-

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति;

(ख) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में बोर्ड के व्ययों की पूर्ति; और

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों से संबंधित व्ययों की पूर्ति।

बजट।

15. बोर्ड, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित होंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

16. बोर्ड ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

लेखा और लेखापरीक्षा।

17. बोर्ड के लेखे ऐसी रीति से रखे और संपरीक्षित किए जाएंगे, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए और बोर्ड, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को देगा।

वार्षिक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना।

18. केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को, उनकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

19. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

20. बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या उसके तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं।

1860 का 45

नियम बनाने की शक्ति।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ग) धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर बोर्ड, धारा 15 के अधीन अपना बजट तैयार करेगा;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय जिस पर बोर्ड, धारा 16 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(च) वह रीति, जिसमें बोर्ड के लेखे रखे जाएंगे और संपरीक्षित किए जाएंगे तथा वह तारीख, जिसके पूर्व धारा 17 के अधीन लेखाओं की संपरीक्षित प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके बारे में उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

22. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों से संगत, विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह रीति, जिसमें धारा 3 की उपधारा (9) के अधीन बोर्ड के कारबार का संचालन किया जाएगा; और

(ख) धारा 4 के अधीन बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

23. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1983 के अधिनियम संख्यांक 28 का संशोधन।

25. जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 में,—

(क) धारा 3 में,—

(i) उपधारा (1) में "जूट विनिर्मिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1983 का 27 2009 का 12

(ii) उपधारा (2) में, "और नमक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (4) में, "और नमक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 4 में, "(ऐसे आगमों में से ऐसे संग्रहण खर्च को काटकर, जो ऐसे आगमों के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) समय-समय पर, ऐसी धनराशियां, जो वह उचित समझे, जूट विनिर्मिति विकास परिषद् को जूट विनिर्मिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए संदत्त कर सकेगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "ऐसे आगमों में से (ऐसे संग्रहण खर्च को काटकर, जो ऐसे आगमों के चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) समय-समय पर, ऐसी धनराशियां, जो वह उचित समझे, राष्ट्रीय जूट बोर्ड को राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए संदत्त कर सकेगी" शब्द और अंक रखे जाएंगे। 1983 का 27 2009 का 12

1983 का 27

निरसन और व्यावृत्ति।

26. (1) जूट विनिर्मिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 नियत दिन से ही निरसित हो जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या कार्रवाई के, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 20)

[6 मार्च, 2009]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास
प्राधिकरण अधिनियम, 1985
का संशोधन करने के
लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 13 अक्तूबर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1986 का 2

धारा 2 का संशोधन।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (छ) में "अनुसूचित उत्पादों" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अनुसूचित उत्पादों या विशेष उत्पादों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (झ) में "अनुसूची" शब्द के स्थान पर "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ञ) "विशेष उत्पाद" से दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में से कोई उत्पाद अभिप्रेत है।'।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

"3. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में कोई कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उसका उसमें से लोप कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप किए जाने पर ऐसा उत्पाद, यथास्थिति, अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद हो जाएगा या नहीं रहेगा।"।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ज) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) अन्य अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद उद्योग;"।

नई धारा 10क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विशेष उत्पादों, आदि के संबंध में कृत्य।

10क. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भारत में या भारत के बाहर विशेष उत्पादों की बाबत बौद्धिक संपदा अधिकारों के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण के लिए ऐसे उपाय करे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए ''बौद्धिक संपदा'' से अमूर्त संपत्ति अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन व्यापार चिह्नों, डिजाइनों, पेटेंटों, भौगोलिक उपदर्शनों या किसी ऐसी ही अन्य अमूर्त संपत्ति पर कोई अधिकार अभिप्रेत है।'।

धारा 32 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(जक) धारा 10क के अधीन बौद्धिक संपदा अधिकारों के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण के लिए उपाय;''।

नई धारा 35 का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विधिमान्यकरण।

''35. 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई या करने से लोप की गई सभी बातों और की गई या नहीं की गई सभी कार्रवाइयां अथवा किए या नहीं किए गए सभी उपाय, जहां तक वे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के अनुरूप हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई या करने से लोप की गई या नहीं की गई या किए गए अथवा नहीं किए गए समझे जाएंगे, मानो ऐसे उपबंध उस समय प्रवृत्त रहे हों, जब उक्त अवधि के दौरान ऐसी बातें की गई थीं या करने से लोप की गई थीं और कार्रवाइयां की गई या नहीं की गई थीं या उपाय किए या नहीं किए गए थे।''।

अनुसूची का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची को पहली अनुसूची के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित पहली अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''दूसरी अनुसूची

[धारा 2(ञ) देखिए]

बासमती चावल।''।

धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 21)

[6 मार्च, 2009]

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2003 का 15

2. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1999 का 42

'(घक) "प्राधिकृत व्यक्ति" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जक) "अभिहित कारबार या वृत्ति" से नकद या वस्तु के लिए संयोग के खेलों को खेलने के लिए क्रियाकलाप करना अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कैसीनों से संबद्ध ऐसे क्रियाकलाप या ऐसे अन्य क्रियाकलाप भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस प्रकार अभिहित करे;';

(iii) खंड (ठ) में "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है" शब्दों के स्थान पर, "कोई प्राधिकृत व्यक्ति, कोई संदाय प्रणाली प्रचालक तथा गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (थ) में "खंड (च) में है" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "और जिसके अंतर्गत अभिहित कारबार या वृत्ति चलाने वाला व्यक्ति भी है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(दक) "सीमा के आर-पार विवक्षाओं वाले अपराध" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कोई आचरण, जो उस स्थान पर किसी अपराध का गठन करता है और जिसने अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में विनिर्दिष्ट कोई अपराध गठित किया होता यदि वह

भारत में किया गया होता और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण के आगमों या उनके किसी भाग को भारत में विप्रेषित करता है; या

(ii) अनुसूची के भाग क, भाग ख या भाग ग में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई अपराध जो भारत में किया गया है और अपराध के आगमों या उनके भाग को भारत के बाहर किसी स्थान को अंतरित किया गया है या अपराध के आगमों या उनके भाग को भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को अंतरित किए जाने का कोई प्रयत्न किया गया है।

स्पष्टीकरण— इस खंड की कोई बात धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से पूर्व अधिनियम की अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी अन्वेषण, जांच विचारण या कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी;

(दख) ''संदाय प्रणाली'' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो किसी संदायकर्ता और हिताधिकारी के बीच संदाय किए जाने को समर्थ बनाती है, जिसमें समाशोधन, संदाय या व्यवस्थापन सेवा अथवा वे सभी अंतर्वलित हैं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''संदाय प्रणाली'' के अंतर्गत ऐसी प्रणालियां भी हैं, जो क्रेडिट कार्ड प्रचालनों, डेबिट कार्ड प्रचालनों, स्मार्ट कार्ड प्रचालनों, धन अंतरण प्रचालनों या इसी प्रकार के प्रचालनों को समर्थ बनाती हैं;

(दग) ''संदाय प्रणाली प्रचालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी संदाय प्रणाली को प्रचालित करता है और ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत उसका विदेशी मालिक भी है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''विदेशी मालिक'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(अ) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि है, भारत के बाहर निवास करने वाला ऐसा व्यष्टि, जो भारत में संदाय प्रणाली के क्रियाकलापों या कृत्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका प्रबंध करता है;

(आ) हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, भारत के बाहर रहने वाले ऐसे हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता, जो भारत में संदाय प्रणाली के क्रियाकलापों या कृत्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका प्रबंध करता है;

(इ) किसी कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टि-निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत या उस रूप में विद्यमान ऐसी कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टि-निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो भारत में संदाय प्रणाली के क्रियाकलापों या कृत्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका प्रबंध करता है;';

(vi) खंड (म) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(ii) अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध, यदि ऐसे अपराधों में अंतर्वलित कुल मूल्य तीस लाख रुपए या अधिक है; या

(iii) अनुसूची के भाग ग के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,— धारा 5 का संशोधन।

(क) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु कुर्की का ऐसा आदेश तभी किया जाएगा, जब अनुसूचित अपराध के संबंध में, यथास्थिति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज दी गई है या अनुसूची में उल्लिखित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल कर दिया गया है: 1974 का 2

परन्तु यह और कि खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की की जा सकेगी, यदि निदेशक या इस धारा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास करने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा) कि यदि धन-शोधन में सम्मिलित उस संपत्ति को इस अध्याय के अधीन तुरन्त कुर्क नहीं किया जाता है तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के निष्फल होने की संभावना है।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में "एक या अधिक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण", शब्दों के स्थान पर, "एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (8) के परंतुक में "बासठ" शब्द के स्थान पर "पैंसठ" शब्द रखा जाएगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "धारा 3 के अधीन अपराध किया है", शब्दों और अंक के स्थान पर, "धारा 3 के अधीन अपराध किया है और उसके कब्जे में अपराध के आगम हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 8 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 12 का संशोधन।

"(2)(क) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख, ग्राहकों और, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के बीच संव्यवहार की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अभिलेख, ग्राहकों और, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती के बीच संव्यवहारों की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में,— धारा 17 का संशोधन।

(i) आरंभिक भाग में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर, "निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कोई तलाशी तभी ली जाएगी, जब अनुसूचित अपराध के संबंध में, यथास्थिति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी गई है या अनुसूची में उल्लिखित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल कर दिया गया है।"। 1974 का 2

धारा 18 का संशोधन। 8. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु किसी व्यक्ति की कोई तलाशी तभी ली जाएगी जब अनुसूचित अपराध के संबंध में, यथास्थिति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी गई है या अनुसूची में उल्लिखित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल कर दिया गया है।"; 1974 का 2

(ii) उपधारा (9) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 28 का संशोधन। 9. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा।

धारा 32 का संशोधन। 10. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, हटाने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा।"।

धारा 38 का संशोधन। 11. मूल अधिनियम की धारा 38 में "दूसरे सदस्यों में से किसी एक या अधिक अन्य सदस्यों को" शब्दों के स्थान पर, "तीसरे सदस्य को" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 60 का संशोधन। 12. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7) जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य के किसी अनुरोध के निष्पादन के परिणामस्वरूप, भारत में कोई संपत्ति अधिहृत की जाती है तब केन्द्रीय सरकार या तो अनुरोध करने वाले राज्य को ऐसी संपत्ति वापस कर सकेगी या पारस्परिक रूप से करार किए गए निबंधनों पर ऐसी संपत्ति के व्ययन द्वारा उस राज्य को क्षतिपूरित कर सकेगी, जिसमें अधिहृत संपत्ति को वापस करने या व्ययन करने के संबंध में अन्वेषण, अभियोजन या न्यायिक कार्यवाहियों में उपगत युक्तियुक्त व्ययों की कटौती का ध्यान रखा जाएगा।"।

अनुसूची का संशोधन। 13. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) भाग क में,—

(क) पैरा 1 में, धारा 121क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा	अपराध का वर्णन
"489क	करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण।
489ख	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना।";

(ख) पैरा 2 की धारा 15, धारा 18 और धारा 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा	अपराध का वर्णन
"15	पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन।
16	कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन।
17	निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन।
18	अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन।
19	खेतिहर द्वारा अफीम का गबन।
20	कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन।
21	विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन।";

(ग) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरे अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"पैरा 3

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
3	जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करना।
4	विस्फोट कारित करने का प्रयत्न करना या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाना या रखना।
5	संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाना या अपने पास रखना।

पैरा 4

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 3 के साथ पठित धारा 10	किसी विधिविरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति।
धारा 3 और धारा 7 के साथ पठित धारा 11	विधिविरुद्ध संगम की निधियों से बरतने के लिए शास्ति।
धारा 3 के साथ पठित धारा 13	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड।
धारा 15 के साथ पठित धारा 16	आतंकवादी कार्य के लिए दंड।
16क	रेडियोधर्मी पदार्थों, न्यूक्लीयर युक्तियों, आदि की मांग करने के लिए दंड।
17	आतंकवादी कार्य के संबंध में निधि जुटाने के लिए दंड।
18	षड्यंत्र, आदि के लिए दंड।
18क	आतंकवादी शिविरों का आयोजन करने के लिए दंड।
18ख	आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए दंड।
19	संश्रय देने, आदि के लिए दंड।
20	आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड।
21	आतंकवाद के आगमों को धारण करने के लिए दंड।

धारा	अपराध का वर्णन
38	किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध।
39	किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध।
40	किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध।'';

(ii) भाग ख में,—

(क) पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"पैरा 1

भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
120ख	आपराधिक षड्यंत्र।
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण।
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना।
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय।
259	सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना।
260	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना।
302	हत्या।
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।
307	हत्या करने का प्रयत्न।
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।
327	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
329	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।
364क	फिरौती आदि के लिए व्यपहरण।
384 से 389	उद्दापन से संबंधित अपराध।
392 से 402	लूट और डकैती से संबंधित अपराध।
411	चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना।
412	ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है।
413	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना।
414	चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना।
417	छल के लिए दंड।
418	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है।
419	प्रतिरुपण द्वारा छल के लिए दंड।

धारा	अपराध का वर्णन
420	छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना।
421	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।
422	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।
423	अंतरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।
424	संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।
467	मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना।
471	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना।
472 और 473	कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि को बनाना या कब्जे में रखना।
475 और 476	अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना।
481	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना।
482	मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दण्ड।
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण।
484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण।
485	सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा।
486	कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय।
487	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड।";

(ख) पैरा 3 में, धारा 17क के साथ पठित धारा 51 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित धारा और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा	अपराध का वर्णन
"धारा 9 के साथ पठित धारा 51	वन्य प्राणियों का आखेट करना।";

(ग) पैरा 5 में, धारा 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित धारा और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा	अपराध का वर्णन
"13	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।

(घ) पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरे अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"पैरा 6

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
9ख	कतिपय अपराधों के लिए दंड।
9ग	कंपनियों द्वारा अपराध।

पैरा 7

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 3 के साथ पठित धारा 25	पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात-व्यापार का उल्लंघन।
28	कंपनियों द्वारा अपराध।

पैरा 8

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 24 के साथ पठित धारा 12क	छलसाधनयुक्त और प्रवंचक युक्तियों, अंतरंगी व्यापार और प्रतिभूतियों के सारवान अर्जन का प्रतिषेध या नियंत्रण।

पैरा 9

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
135	शुल्क या प्रतिषेधों का अपवंचन।

पैरा 10

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
16	बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड।
18	बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड।
20	दुष्प्रेरण का एक अपराध होना।

पैरा 11

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
14	धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में काम करने के लिए किसी बालक का नियोजन करने के लिए दण्ड।

पैरा 12

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
18	प्राधिकार के बिना मानव अंग के निकाले जाने के लिए दण्ड।
19	मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार के लिए दण्ड।
20	इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन के लिए दण्ड।

पैरा 13

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
23	किशोर या बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड।
24	भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन।
25	किशोर या बालक को मादक लिकर या स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति।
26	किशोर या बालक कर्मचारी का शोषण।

पैरा 14

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
24	अपराध और शास्तियां।

पैरा 15

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
12	अपराध और शास्तियां।

पैरा 16

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
14	अधिनियम आदि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।
14ख	कूटरचित पासपोर्ट का प्रयोग करने पर दंड।
14ग	दुष्प्रेरण के लिए शास्ति।

पैरा 17

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
63	प्रतिलिप्यधिकार या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिलंघन का अपराध।
63क	द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों के संबंध में वर्धित शास्ति।
63ख	कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का जानबूझकर किया गया उपयोग।
68क	धारा 52क के उल्लंघन के लिए शास्ति।

पैरा 18

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पंण्य विवरण, आदि लगाने के लिए शास्ति।
104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है।
105	दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति।
107	किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति।
120	भारत के बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड।

पैरा 19

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
72	गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति।
75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना।

पैरा 20

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 6 के साथ पठित धारा 55	धारा 6, आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति।

पैरा 21

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 68 के साथ पठित धारा 70	मिथ्या अभिधान, आदि के उपयोजन के लिए शास्ति।
धारा 68 के साथ पठित धारा 71	ऐसी किस्मों के विक्रय के लिए शास्ति जिन पर मिथ्या अभिधान का उपयोजन किया गया हो।
धारा 68 के साथ पठित धारा 72	किसी किस्म को रजिस्ट्रीकृत रूप में, मिथ्या रूप से व्यपदिष्ट करने के लिए शास्ति।
धारा 68 के साथ पठित धारा 73	पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शास्ति।

पैरा 22

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 7 के साथ पठित धारा 15	पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण के लिए शास्ति।
धारा 8 के साथ पठित धारा 15	परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए शास्ति।

पैरा 23

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
41(2)	सरिता या कुंए के प्रदूषण के लिए शास्ति।
43	धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

पैरा 24

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
37	औद्योगिक संयंत्रों के प्रचालन के लिए उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता।

पैरा 25

सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध

धारा	अपराध का वर्णन
3	पोत, स्थिर प्लेटफार्म, पोत के स्थौरा, नौपरिवहन सुविधाओं, आदि के विरुद्ध अपराध।";

(iii) भाग ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"भाग ग

कोई ऐसा अपराध जो सीमा के आर-पार विवक्षा वाला अपराध है और जो निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट है,—

(1) भाग क; या

(2) भाग ख, बिना किसी धनीय प्रभाव के; या

(3) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 17 के अधीन संपत्ति के विरुद्ध अपराध।"।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 22)

[16 मार्च, 2009]

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 10 जनवरी, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1968 का 50

धारा 2 का संशोधन।

2. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,—

(क) खंड (गक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गख) "संयुक्त उद्यम" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से चलाया गया उद्यम अभिप्रेत है;';

(ख) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) "प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन कोई उद्योग अभिप्रेत है;'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार के" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, संयुक्त उद्यम या प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम के" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केंद्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक और ऐसे अन्य पर्यवेक्षक अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी।"।

धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में,—

(i) "महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अन्य पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा, जो आवश्यक समझे जाएं," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के पश्चात्, ", संयुक्त उद्यम या प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) खंड (ग) में, "अन्य ऐसे औद्योगिक उपक्रमों" शब्दों के स्थान पर, "किसी संयुक्त उद्यम, प्राइवेट औद्योगिक उपक्रम और अन्य ऐसे औद्योगिक उपक्रमों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) भारत के भीतर और बाहर किसी ऐसे/कर्तव्य का पालन करे जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे सौंपे।"।

धारा 14 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "पब्लिक सेक्टर" शब्दों के पश्चात्, ", संयुक्त उद्यम या प्राइवेट सेक्टर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, "पब्लिक सेक्टर" शब्दों के पश्चात्, ", संयुक्त उद्यम या प्राइवेट सेक्टर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) के परंतुक में, "एक मास की लिखित सूचना" शब्दों के स्थान पर, "तीन मास की लिखित सूचना" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में, "भारत के भीतर" शब्दों के पश्चात्, "या बाहर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

9. (1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अध्यादेश, 2009 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2009 का अध्यादेश सं॰ 2

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 23)

[16 मार्च, 2009]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954
और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त)
अधिनियम, 1958 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

(2) धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 13, 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध 1 सितंबर, 2008 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

1954 का 28

धारा 13क का संशोधन।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 13क में,—

(क) उपधारा (1) में, "तीस हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर, "नब्बे हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "छब्बीस हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "अस्सी हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 17क का संशोधन।

3. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (1) में,—

(क) "धन उसके मंहगाई वेतन के पचास प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "न्यूनतम एक हजार नौ सौ तेरह रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए उसके वेतन के तीस प्रतिशत धन उसके मंहगाई वेतन के तीस प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर "उसके वेतन के तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 17ख का अंत:स्थापन।

4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा।

"17ख. यथास्थिति, प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के पश्चात् कुटुंब निम्नलिखित मान के अनुसार पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का हकदार होगा, अर्थात्:—

पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की आयु	पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
अस्सी वर्ष से लेकर पचासी वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का बीस प्रतिशत
पचासी वर्ष से लेकर नब्बे वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का तीस प्रतिशत
नब्बे वर्ष से लेकर पचानवे वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का चालीस प्रतिशत
पचानवे वर्ष से लेकर सौ वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का पचास प्रतिशत
एक सौ वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का सौ प्रतिशत।"।

धारा 22क का संशोधन।

5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (2) में "धन महंगाई वेतन के तीस प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 22ग का प्रतिस्थापन।

6. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सत्कार भत्ता।

"22ग. प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश क्रमशः पंद्रह हजार रुपए प्रति मास और बारह हजार रुपए प्रति मास सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

7. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग 1 में,—

(i) पैरा 2 में,—

(अ) खंड (क) में, "इक्कीस हजार नौ सौ पैंतालीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "तैंतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "सोलह हजार सात सौ पच्चीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "चौंतीस हजार तीन सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) परंतुक में, "दो लाख सत्तर हजार रुपए" और "दो लाख चौंतीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पांच लाख चालीस हजार रुपए" और "चार लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 8 में, "दो लाख सत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पैरा 9 में, "छिहत्तर हजार सात सौ पचासी रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख सतावन हजार छह सौ सत्तर रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) भाग 2 में,—

(i) पैरा 2 के परंतुक में, "दो लाख सत्तर हजार रुपए" और "दो लाख चौंतीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "पांच लाख चालीस हजार रुपए" और "चार लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 में, "16,898", "20,280", "23,649", "27,033", "30,420" और "33,799" अंकों के स्थान पर क्रमशः, "34,696", "41,642", "48,559, "55,508", "62,462" और "69,402" अंक रखे जाएंगे;

(ग) भाग 3 पैरा 2 में,—

(अ) खंड (ख) में, "सात हजार आठ सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "सोलह हजार बीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, "दो लाख सत्तर हजार रुपए" और "दो लाख चौंतीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "पांच लाख चालीस हजार रुपए" और "चार लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

1958 का 41

धारा 12क का संशोधन।

8. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में,—

(क) उपधारा (1) में, "तैंतीस हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "तीस हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "नब्बे हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16क का संशोधन।

9. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "तथा उसके मंहगाई वेतन के पचास प्रतिशत" और "तथा उसके महंगाई वेतन के तीस प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) में, "तथा उसके मंहगाई वेतन का तीस प्रतिशत" शब्दों को लोप किया जाएगा।

नई धारा 16ख का अंत:स्थापन।

10. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा।

"16ख. यथास्थिति, प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के पश्चात् कुटुंब, निम्नलिखित मान के अनुसार पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का हकदार होगा, अर्थात्:—

पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की आयु	पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
अस्सी वर्ष से लेकर पचासी वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का बीस प्रतिशत
पचासी वर्ष से लेकर नब्बे वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का तीस प्रतिशत
नब्बे वर्ष से लेकर पचानवे वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का चालीस प्रतिशत
पचानवे वर्ष से लेकर सौ वर्ष से कम	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का पचास प्रतिशत
एक सौ वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन या कुटुंब पेंशन का सौ प्रतिशत।"।

धारा 23 का संशोधन।

11. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1क) में "तथा महंगाई वेतन के तीस प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 23ख का संशोधन।

12. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23ख में, "दस हजार रुपए" और "सात हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "बीस हजार रुपए" और "पंद्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

अनुसूची का संशोधन।

13. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) भाग 1 में,—

(i) पैरा 2 में,—

(अ) खंड (ख) में, ''छह हजार तीस रुपए'', ''एक लाख बयासी हजार आठ सौ बीस रुपए'' और ''पंद्रह हजार तीन सौ साठ रुपए'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः, ''बारह हजार एक सौ अस्सी रुपए'', ''तीन लाख उनहत्तर हजार तीन सौ रुपए'' और ''इकतीस हजार तीस रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, ''दो लाख सतानवे हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''छह लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 के परंतुक में, ''दो लाख सत्तर हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पांच लाख चालीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) भाग 2 में, पैरा 2 के खंड (ख) में, ''सोलह हजार आठ सौ अठानवे रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''तैंतीस हजार सात सौ पचानवे रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) भाग 3 पैरा 2 में,—

(अ) खंड (ख) में, ''सात हजार आठ सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''सोलह हजार बीस रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, ''दो लाख सतानवे हजार रुपए'' और ''दो लाख सत्तर हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः, ''छह लाख रुपए'' और ''पांच लाख चालीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 4

संक्रमणकालीन उपबंध

बकाया।

14. इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या उसके कुटुंब को या उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को या उसके कुटुंब को संदेय वेतन, पेंशन और कुटुंब पेंशन तथा यदि यह अधिनियम न होता तो, यथास्थिति, ऐसे न्यायाधीश या उसके कुटुंब को संदेय वेतन, पेंशन या कुटुंब पेंशन के बीच अंतर का दो किस्तों में संदाय किया जाएगा जिनमें से चालीस प्रतिशत की पहली किस्त का संदाय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान किया जाएगा और शेष साठ प्रतिशत का संदाय वित्तीय वर्ष 2009-10 में किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

15. (1) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। (2009 का अध्यादेश संख्यांक 1)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अधीन की गई समझी जाएगी। (1954 का 28; 1958 का 41)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 24)

[16 मार्च, 2009]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2009 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

प्रवास और अन्य कारणों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भूमि और अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिससे ऐसे अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास हुए हैं जो दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 और सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई भवन निर्माण संबंधी उपविधियों में यथा उपबंधित योजनाबद्ध विकास की संकल्पना के अनुरूप नहीं हैं;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित सामाजिक, वित्तीय और अन्य आधारिक वास्तविकताओं के मुकाबले में शहरी विकास में उभरते हुए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में व्यापक रूप से उपांतरण किए गए हैं और उन्हें 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया है;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित दिल्ली मास्टर प्लान में शहरी निर्धनों के लिए आवास नीतियों के साथ ही अनौपचारिक सेक्टर से निपटने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक रणनीति और स्कीम तैयार की गई है ;

और अनधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र और इसके विस्तार के नियमितीकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई नीति पर आधारित मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए हैं ;

और फेरीवालों तथा शहरी पथ विक्रेताओं से संबंधित स्कीम के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए और अनधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र और इसके विस्तार के नियमितीकरण के लिए कुछ समय की आवश्यकता है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोंपडी क्लस्टरों में रहने वाले लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए पुनरीक्षित नीति और सुव्यवस्थित व्यवस्था सरकार के विचाराधीन हैं ;

और ऐसे विद्यमान फार्म हाऊसों के संबंध में जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं के परे निर्माण करने में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों,

औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों के संबंध में नीति केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु 5 दिसम्बर, 2007 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया था और वह 31 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहा है ;

2007 का 43

और यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम को 31 दिसंबर, 2009 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किसी कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को अस्थायी राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूरणीय हानि को कम करने के लिए उपबंध करने हेतु दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के निबंधनों के अनुरूप कोई विधि हो ;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ और अवधि ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009 है ।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर होगा ।

(3) यह 1 जनवरी, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(4) यह 31 दिसंबर, 2009 को उन बातों के सिवाय प्रवर्तन में नहीं रहेगा जो ऐसे प्रवर्तन में न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवर्तन में न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो।

1897 का 10

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "भवन निर्माण संबंधी उपविधियों" से भवनों से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 481 के अधीन बनाई गई उपविधियां या नई दिल्ली में यथाप्रवृत्त, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 188, धारा 189 की उपधारा (3) और धारा 190 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधियां या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

1957 का 66
1911 का पंजाब अधिनियम 3
1957 का 61

(ख) "दिल्ली" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (11) में यथापरिभाषित, दिल्ली छावनी को छोड़कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र अभिप्रेत है ;

1957 का 66

(ग) "अधिक्रमण" से आवासिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी निर्माण के रूप में सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है ;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता

1957 का 66
1994 का 44
1957 का 61

के अधीन क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए विधिक रूप से हकदार हैं ;

1957 का 61

(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ.141(अ), तारीख 7 फरवरी, 2007 द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य के साथ दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "दंडात्मक कार्रवाई" से अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें परिसरों को ढा देना, सील करना और व्यक्तियों या उनके कारबारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी सम्मिलित होगा ;

(ज) "सुसंगत विधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

1957 का 61

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दशा में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ;

1957 का 66

(ii) दिल्ली नगर निगम की दशा में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957; और

1994 का 44

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की दशा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 ;

(झ) "अप्राधिकृत विकास" से मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन में या योजनाओं की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना या, यथास्थिति, मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान या अभिन्यास प्लान के अधीन यथा अनुज्ञात भूमि उपयोग के उल्लंघन में किया गया भूमि का उपयोग या भवन का उपयोग या भवन का निर्माण या कॉलोनियों का विकास अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अधिक्रमण भी है ।

1957 का 61
1957 का 66
1994 का 44

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में हैं ।

प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना ।

3. (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अवसान से पहले, गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टरों के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र (जिनके अंतर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण के रूप में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए सन्नियमों, नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांतों और साध्य रणनीतियों को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने और सुव्यवस्थित इंतजाम करने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के उपबंधों के अनुसार गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टरों के निवासियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए नीति ;

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में यथा उपबंधित शहरी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुकूल शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए स्कीम और सुव्यवस्थित इंतजाम;

(ग) 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान अप्राधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्रों (जिनके अंतर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक भी निर्माण किया गया है, के नियमितीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियमों के अनुसरण में सुव्यवस्थित इंतजाम;

(घ) ऐसे विद्यमान फार्म हाऊसों से संबंधित नीति, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं के परे निर्माण में लगे हुए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिसमें दुग्ध उद्योग और कुक्कट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों से संबंधित नीति ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(i) अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत 1 जनवरी, 2006 को जो स्थिति थी, और

(ii) उपधारा (1) में वर्णित ऐसी अप्राधिकृत कॉलोनियों, गांव के आबादी क्षेत्रों (जिनके अंतर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक भी निर्माण किया गया है, की बाबत जो स्थिति थी,

उसे यथापूर्व बनाए रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसंबर, 2009 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, 31 दिसंबर, 2009 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना ।

4. इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) उन मामलों को छोड़कर, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण ;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ी निवासियों, फेरी वालों, और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कॉलोनियों या उनके भाग, गांव के आबादी क्षेत्र (जिनके अंतर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार को हटाया जाना ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

5. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करें ।

1 जनवरी, 2009 से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के दौरान किए गए या किए जाने से लोप किए गए कार्यों आदि का विधिमान्यकरण।

6. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, 1 जनवरी, 2009 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई सभी बातें और की गई या नहीं की गई सभी कार्रवाइयां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इन उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गईं या किए जाने से लोप की गई या की गई या न की गई समझी जाएंगी मानो पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसे उपबंध प्रवृत्त में थे जब ऐसी बातें की गई थीं या उनके किए जाने से लोप किया गया था या ऐसी कार्रवाइयां की गई थीं या नहीं की गई थीं ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 25)

[20 मार्च, 2009]

विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 15 जनवरी, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय के किसी विभाग का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमश: विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं;

(च) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(छ) "विभाग" से कोई अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र भी है;

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से संचार के किसी माध्यम जैसे कि प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(ञ) "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ट) "छात्र-निवास" से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है;

(ठ) ''संस्था'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय नहीं है;

(ड) ''प्राचार्य'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, जहां कोई प्राचार्य नहीं है वहां प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उपाचार्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति है;

(ढ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) ''विद्यालय'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन विद्यालय अभिप्रेत है;

(त) ''परिनियम'' और ''अध्यादेश'' से क्रमश: तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' से आचार्य, सहबद्ध आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में अभिहित किए जाएं; और

(द) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालयों की स्थापना।

1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम 22

1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10

3. (1) मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में गुरू घासी दास विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश राज्य में डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित उत्तराखंड राज्य में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन क्रमश: ''गुरू घासी दास विश्वविद्यालय'', ''डा॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय'' और ''हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय'' के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित होंगे।

(2) गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्यालय क्रमश: बिलासपुर, सागर और श्रीनगर में होंगे।

(3) गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की अधिकारिता क्रमश: छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों तक, मध्य प्रदेश राज्य के सागर, टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा और दमोह जिलों तक तथा उत्तराखंड राज्य के चमोली, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों तक विस्तारित होगी।

(4) विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नामों और क्षेत्रीय अधिकारिता के साथ निगमित निकायों के रूप में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्येक विश्वविद्यालय का मुख्यालय वह होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(6) प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(7) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रभाव।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमश: गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ, हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हैं;

(ख) गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति, गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमश: गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और ये उस विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले, गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन स्थापित क्रमश: गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा, उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के विषय में, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जैसा वह उस समय धारण करता मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ हो और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें, परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं:

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार, या यदि इस निमित्त, उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसको, स्थायी कर्मचारियों की दशा में, तीन महीने के पारिश्रमिक के समतुल्य और अन्य कर्मचारियों की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर के, संदाय पर, उसका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, धारा 33 के अधीन किसी संविदा के निष्पादन के लंबित रहने के दौरान, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे:

परन्तु यह भी कि गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, किन्हीं शब्दों के रूप में, किए गए किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति, गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के प्रति निर्देश हैं;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर शिक्षा संस्था के साथ, जिसके अंतर्गत देश के बाहर अवस्थित संस्थाएं भी हैं, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xi) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे केन्द्र और विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xiii) महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र-निवास स्थापित करना और उन्हें चलाना;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xv) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvi) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xvii) परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xviii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी है;

(xix) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xx) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxi) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xxii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xxiii) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxiv) विश्वविद्यालयों के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxv) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना; और

(xxvi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) विश्वविद्यालय का, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यह प्रयास होगा कि वह अध्यापन और अनुसंधान के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक बनाए रखे तथा विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों में, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशेषकर, निम्नलिखित उपाय करेगा:—

(i) छात्रों का प्रवेश और संकाय में भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी;

(ii) छात्रों का प्रवेश, या तो विश्वविद्यालय द्वारा व्यष्टिक रूप से या अन्य विश्वविद्यालयों के समन्वय से ली जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से गुणागुण के आधार पर किए जाएंगे या

ऐसे पाठ्यक्रमों में अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किए जाएंगे जहां छात्रों की संख्या कम हो;

(iii) संकाय की अंतरविश्वविद्यालय वहनीयता अंतरणीय पेंशन और ज्येष्ठता के संरक्षण के साथ प्रोत्साहित की जाएगी;

(iv) सेमेस्टर प्रणाली, नियमित मूल्यांकन और इच्छा पर आधारित क्रेडिट प्रणाली शुरू की जाएगी तथा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ क्रेडिट अंतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए करार करेगा;

(v) अध्ययन के विकासशील पाठ्यक्रम और कार्यक्रम इस उपबंध के साथ लागू किए जाएंगे कि उनका सावधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना की जाएगी;

(vi) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलापों में, जिनके अंतर्गत अध्यापकों का मूल्यांकन भी होगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी;

(vii) राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर के किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा; और

(viii) एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ ई-गवर्नेंस आरंभ किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों और वर्गों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें स्नातक होने या उसके किसी विशेष अधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए उस पर कोई धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और अन्य सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसा कोई विशेष उपबंध निवास के आधार पर नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष।

8. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे कार्य से आबद्ध होगा तथा ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दें, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का; और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय को ऐसे अभ्यावेदन कुलाध्यक्ष को करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(5) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) कुलाध्यक्ष, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार तथा ऐसी सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो।

(8) कार्य परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(9) जहां कार्य परिषद् कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पहले, वह कुलसचिव से इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रतिकुलपति;

(4) संकायाध्यक्ष;

(5) कुलसचिव;

(6) वित्त अधिकारी;

(7) परीक्षा नियंत्रक;

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(9) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

10. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

कुलपति।

11. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी श[illegible]त का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को उसके अगले अधिवेशन में देगा:

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है, उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

प्रतिकुलपति।

12. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यालय का संकायाध्यक्ष।

13. प्रत्येक विद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

15. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षा नियंत्रक।

16. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

17. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(1) सभा;

(2) कार्य परिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) अध्ययन बोर्ड;

(5) वित्त समिति; और

(6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

20. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु उतने सदस्य जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

21. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु उतने सदस्य जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

विद्या परिषद्।

22. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय को प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु उतने सदस्य जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

अध्ययन बोर्ड।

23. अध्ययन बोर्डों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

वित्त समिति।

24. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।

25. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

परिनियम बनाने की शक्ति।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी हैं;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) संकायों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उत्सादन;

(ठ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उसके विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ठ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ड) अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों के संस्थापन;

(ढ) कर्मचारियों तथा छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ण) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या जोड़े जा सकेंगे:

परन्तु गुरू घासी दास विश्वविद्यालय तथा डॉ० हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की दशा में, उस समय तक जब तक कि उन मामलों के संबंध में जो इस अधिनियम और

परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं कुलपति द्वारा इस प्रकार प्रथम अध्यादेश नहीं किए जाते हैं तो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों से सुसंगत उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक वे इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं।

1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम 22
1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10

विनियम।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, सभा और कुलाध्यक्ष को, प्रस्तुत की जाएंगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा की जानकारी में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणियां और जानकारी।

32. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर देगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अपेक्षा करे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

33. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार प्राप्त करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों मे अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

34. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसको ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 33 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

35. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंधतंत्र के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य और पेंशन निधियां।

36. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

1925 का 19

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

37. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जो उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित करती है और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

40. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

1872 का 1

विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने पर, उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या

दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

43. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

44. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर, जो ठीक समझी जाएं, नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमश: इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे; और

(घ) प्रथम विद्या परिषद् में इक्कीस से अनधिक सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

परंतु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो वह, यथास्थिति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति

द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता।

1973 के मध्य प्रदेश अधिनियम 22 का संशोधन।

45. (1) मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में गुरू घासी दास विश्वविद्यालय और डॉ॰ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) ऐसे लोप के होते हुए भी,—

1973 का मध्य प्रदेश अधिनियम 22

(क) मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदत्त की गई उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, स्वीकृत किए गए विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमशः की गई, जारी किए गए, प्रदत्त की गई, प्रदान किए गए, स्वीकृत किए गए या की गई समझी जाएंगी और जैसा इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिए जाते हैं; और

(ख) शिक्षकों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चयन समितियों की सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो चुकी थीं और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में, कार्य परिषद् की सभी कार्रवाइयां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया का, इस अधिनियम द्वारा उपांतरण किया जा चुका है, विधिमान्य की गई समझी जाएंगी किंतु ऐसे लंबित चयन के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी और उस प्रक्रम से जारी होगी जहां पर ऐसे प्रारंभ होने के ठीक पहले थीं सिवाय तब के जब संबद्ध प्राधिकारी, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तत्प्रतिकूल विनिश्चय लेते हैं।

1973 के राष्ट्रपति अधिनियम 10 का संशोधन।

46. (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) में, ''और गढ़वाल विश्वविधालय का नाम, 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जिला गढ़वाल) होगा'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, ''हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 52 की उपधारा (2) में, ''कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, ''कुमायूं विश्वविद्यालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) धारा 72ख का लोप किया जाएगा;

(ङ) अनुसूची में क्रम सं॰ 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे लोप और प्रतिस्थापन के होते हुए भी,—

1973 का राष्ट्रपति अधिनियम 10

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदत्त की गई उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, स्वीकृत किए गए विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमशः की गई, जारी किए गए, प्रदत्त की गई, प्रदान किए गए, स्वीकृत किए गए या की गई समझी जाएंगी और जैसा इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिए जाते हैं; और

(ख) शिक्षकों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए चयन समितियों की सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो चुकी थीं और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में, कार्य परिषद् की सभी कार्रवाइयां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई

आदेश पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया का, इस अधिनियम द्वारा उपांतरण किया जा चुका है, विधिमान्य की गई समझी जाएंगी किंतु ऐसे लंबित चयन के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी और उस प्रक्रम से जारी होगी जहां पर ऐसे प्रारंभ होने के ठीक पहले थीं सिवाय तब के जब संबद्ध प्राधिकारी, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तत्प्रतिकूल विनिश्चय लेते हैं।

निरसन और व्यावृत्ति।

47. (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2009 का अध्यादेश 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी और,—

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए आदेश, प्रदत्त की गई उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, स्वीकृत किए गए विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमश: की गई, जारी किए गए, प्रदत्त की गई, प्रदान किए गए, स्वीकृत किए गए या की गई समझी जाएंगी और जैसा इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिए जाते हैं; और

2009 का अध्यादेश 3

(ख) शिक्षकों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए, चयन समितियों की सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो चुकी थीं और ऐसी चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में, कार्य परिषद् की सभी कार्रवाइयां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, उनके आधार पर नियुक्ति के कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे, इस बात के होते हुए भी कि चयन के लिए प्रक्रिया का, इस अधिनियम द्वारा उपांतरण किया जा चुका है, विधिमान्य की गई समझी जाएंगी किंतु ऐसे लंबित चयन के संबंध में, आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी और उस प्रक्रम से जारी होगी जहां पर ऐसे प्रारंभ होने के ठीक पहले थीं, सिवाय तब के जब संबद्ध प्राधिकारी, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तत्प्रतिकूल विनिश्चय लेते हैं।

पहली अनुसूची

[धारा 3(4) देखिए]

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिहार	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण बिहार राज्य
2.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण गुजरात राज्य
3.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण हरियाणा राज्य
4.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य
5.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य
6.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण झारखंड राज्य
7.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण कर्नाटक राज्य
8.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण केरल राज्य
9.	उड़ीसा	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण उड़ीसा राज्य
10.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण पंजाब राज्य
11.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण राजस्थान राज्य
12.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण तमिलनाडु राज्य।

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति।

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के शैक्षणिक या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण न कर ले।

कुलपति।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच व्यक्ति होंगे, जिनमें से तीन कार्य परिषद् द्वारा और दो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और, यथास्थिति, वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा।

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी समय लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधारों पर पद से हटा सकेगा:

परंतु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलपति से भी परामर्श करेगा:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी समय जांच के लंबित रहने के दौरान उक्त कुलपति को निलंबनाधीन रख सकेगा।

(6) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और यह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित

निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किए जाएं:

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विशेषाधिकार दिए गए किसी महाविद्यालय संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएंगी:

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या पदत्याग करता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा।

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा:

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

प्रतिकुलपति।

4. (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी:

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहलें हो:

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति हर दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (7) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, कुलपति अपना पद फिर से नहीं संभाल लेता या नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसें विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

5. (1) प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम के चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हो, और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

परन्तु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव।

6. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो, समय-समय पर, कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब तक सचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कर्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(ख) उपखंड (क) में विर्निदिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षा की जाएं।

वित्त अधिकारी।

7. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

8. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो, समय-समय पर, कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

9. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

सभा के अधिवेशन।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य तारीख नियत न की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति।

11. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का, जिनके अंतर्गत विभागाध्यक्ष भी है, सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हताओं के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य-परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जिनके अंतर्गत विभागाध्यक्ष भी है, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केन्द्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतरापृष्ठीय अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना और अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिश पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, परिलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) छात्राओं के निवास के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हों;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xix) ज्ञान की वृद्धि के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना और ऐसी भागीदारी के लाभों से एक समग्र निधि स्थापित करना; और

(xx) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति।

13. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

शक्तियां और कृत्य।

14. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों के दिए जाने और फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम और नियम बनाना।

15. (1) विश्वविद्यालय में उतनी विद्यापीठें होंगी, जितनी परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं। — विद्यापीठ और विभाग।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं,

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के अध्यापक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

16. (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा। — अध्ययन बोर्ड।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति:—

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परन्तु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् ठीक तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्त समिति।

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iv) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके संसाधनों पर आधारित होगी (जिसके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समिति।

18. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष।
	(ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है।
	(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) विभागाध्यक्ष।
	(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य।

1	2
	(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह-आचार्य या सहायक-आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1 — जहां नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो, वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2 — कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशन का आयोजन करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों से पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तभी विधिमान्य होंगी, जब—

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग लें; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग लें।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक

है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए की जा सकेगी।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी अध्यापक की नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधियां और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अतिरिक्त पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

20. कार्य परिषद् परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

समितियां।

21. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि किए जाने के अधीन होगी।

अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि।

22. (1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की परिलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों को सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

23. (1) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और परिलब्धियां वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

ज्येष्ठता सूची।

24. (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

25. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा, जिनमें वह आदेश किया गया था:

परन्तु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा, जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो।

(4) किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तभी हटाया जाएगा, जब उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

(5) किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परन्तु जहां कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि।

26. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परन्तु आपात स्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधि, आदि का वापस लिया जाना।

27. कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने के लिए लिखित सूचना दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार कर लिया गया हो।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

28. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और उनके संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह उचित समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो अथवा उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक लिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(5) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें, जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और अध्यापन विभागों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो वे इसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करेगा।

दीक्षांत समारोह।

29. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

30. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है, वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र।

31. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के, पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हता।

32. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने या किसी अधिकारी के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त है; या

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

33. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता।

34. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्व छात्र संगम।

35. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य तभी मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार होगा, जब वह निर्वाचन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संगम का सदस्य रहा हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक डिग्री धारक हो:

परंतु प्रथम निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होगी।

विद्यार्थी परिषद्।

36. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो विद्यार्थी परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ii) बीस विद्यार्थी, जो अध्ययन, खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iii) बीस विद्यार्थी जो विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए तो विद्यार्थी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मुद्दा लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मुद्दे पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) विद्यार्थी परिषद् प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद् की पहली बैठक शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ में होगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

37. (1) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित खंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तभी बनाया जाएगा, जब ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे, किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात् वह या तो अध्यादेशों का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेशों को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम।

38. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में, विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

39. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियां, अपने नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

वित्त अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 26)

[20 मार्च, 2009]

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जारी रखने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2009 है।

(2) धारा 2, 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होगी।

आय-कर।

2008 का 18

2. वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दर से आय-कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में प्रत्येक मामले में उसमें उपबंधित रीति में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजन के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।";

(ii) उपधारा (2) में,—

(अ) प्रारंभिक भाग में, खंड (क) और खंड (ख) के उपखण्ड (ii) में, "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) पहले परंतुक में,—

(I) ' "एक लाख दस हजार रुपए" ' शब्दों के स्थान पर ' "एक लाख पचास हजार रुपए" ' शब्द रखे जाएंगे;

(II) ' "एक लाख पैंतालीस हजार रुपए" ' शब्दों के स्थान पर ' "एक लाख अस्सी हजार रुपए" ' शब्द रखे जाएंगे;

(इ) दूसरे परंतुक में,—

(I) ' "एक लाख दस हजार रुपए" ' शब्दों के स्थान पर, ' "एक लाख पचास हजार रुपए" ' शब्द रखे जाएंगे;

(II) '' ''एक लाख पचानवे हजार रुपए'' ' शब्दों के स्थान पर, ' ''दो लाख पच्चीस हजार रुपए'' ' शब्द रखे जाएंगे;

(ई) तीसरे परंतुक में, '',आय-कर अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर की रिबेट की रकम घटाने के पश्चात्,'' शब्दों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (3) के प्रारंभिक भाग में, ''आय-कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर, ''आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे; 1961 का 43

(iv) उपधारा (13) के खंड (क) में, ''2008'' अंकों के स्थान पर ''2009'' अंक रखे जाएंगे;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

''भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक है किन्तु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(3)	जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किन्तु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	15,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(4)	जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	55,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1)	जहां कुल आय 1,80,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2)	जहां कुल आय 1,80,000 रु० से अधिक है किंतु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु० से अधिक हो जाती है;

(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किन्तु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	12,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	52,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,25,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,25,000 रु० से अधिक है किंतु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,25,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किन्तु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	7,500 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	47,500 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परन्तु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम और उस रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम और उस रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वहां	50 प्रतिशत;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढ़ाई प्रतिशत की दर से:

परंतु ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम और उस रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।'';

(ii) भाग 4 में, नियम 8 में,—

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(1) जहां निर्धारिती की 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(ii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(v) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vi) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रशम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(ii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम

दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(v) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vi) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।";

(आ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।"।

पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 27)

[20 मार्च, 2009]

पशुओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के निवारण, नियंत्रण
और उन्मूलन के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे रोगों के प्रादुर्भाव
या फैलने को रोकने और पशुओं तथा पशु उत्पादों
के आयात और निर्यात को सुकर बनाने के लिए
भारत की अन्तरराष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा
करने तथा उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों के कारण देश में बहुत आर्थिक हानि हुई है, इनमें से कुछ रोग, जनता के लिए गंभीर संकट का रूप ले रहे हैं;

और ऐसे अनेक पशु रोगों का टीकाकरण कार्यक्रमों के न्यायवत् कार्यान्वयन द्वारा या वैज्ञानिक आधारों पर अन्य समुचित और समय पर उपाय करके बड़े पैमाने पर निवारण किया जा सकता है;

और ऐसे उपाय, पशुओं और पशु उत्पादों के आयात और निर्यात को सुकर बनाने और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप रखने के लिए आवश्यक हैं;

और यह अनुभव किया गया है कि भारत से पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा जिससे ऐसे रोगों से देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके और इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं में सामंजस्य बिठाना होगा और पशु रोगों के अन्तरराज्यीय संचरण को रोकना होगा;

और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हुए, विशिष्टतया उन एहतियाती उपायों के संबंध में जिनका कतिपय संक्रामक और सांसर्गिक रोगों की बाबत उनकी अधिकारिता के भीतर किया जाना अपेक्षित है और समय पर समुचित उपायों को अपनाते हुए उनके अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर पशुओं के आने-जाने का विनियमन करते हुए की जानी है;

और भारत, आफिस इन्टरनेशनल डेस एपिजूटीस, पेरिस का सदस्य देश है और उक्त संगठन की सामान्य बाध्यताओं, विनिश्चयों और सिफारिशों को लागू करना तथा उक्त संगठन द्वारा नियत की गई अन्तरराष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता का पालन करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए या उसमें के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी प्रतिनिर्देश का किसी राज्य या क्षेत्र या उपबंध के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, ऐसे राज्य या क्षेत्र में, यथास्थिति, इस अधिनियम या उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु" से अभिप्रेत है,—

(i) ढोर, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन;

(ii) कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, कुक्कुट, मधुमक्खी; और

(iii) ऐसा कोई अन्य पशु या पक्षी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "जांच पड़ताल चौकी" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं की जांच पड़ताल करने के लिए निदेशक द्वारा उस रूप में स्थापित कोई स्थान अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम अधिकारी" से धारा 17 के अधीन सक्षम अधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई व्यक्ति या सरकार का अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "अनिवार्य टीकाकरण" से अभिप्रेत है किसी पशु को किसी ऐसे अनुसूचित रोग का कोई टीका लगाना जिसकी बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन टीका आज्ञापक बनाया गया है;

(ङ) "नियंत्रित क्षेत्र" से ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है;

(च) "त्रुटिपूर्ण वैक्सीन" से ऐसा कोई वैक्सीन अभिप्रेत है, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, सील टूटी हुई है, जो संदूषित, अनुपयुक्त रूप से भंडारित, लेबल रहित या विकृत लेबल के साथ है;

(छ) राज्य के संबंध में "निदेशक" से पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा सेवा या दोनों का ऐसा भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ज) "मुक्त क्षेत्र" से ऐसा कोई नियंत्रित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया है;

(झ) ''संक्रामित पशु'' से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है;

(ञ) ''संक्रामित क्षेत्र'' से धारा 20 के अधीन उस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''प्रकाशन'' के अंतर्गत मीडिया या समाचारपत्र या किसी अन्य जन संपर्क मीडिया और किसी क्षेत्र में ऊंची आवाज में तथा ढोल पीट कर की गई घोषणा जैसे स्थानीय संचार माध्यमों से सूचना का प्रचार-प्रसार है;

(ढ) ''करंतीन कैम्प'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पशुओं और पक्षियों को करंतीन करने के लिए घोषित किया गया है;

(ण) ''अनुसूचित रोग'' से ऐसा कोई रोग अभिप्रेत है जो अनुसूची में सम्मिलित है;

(त) ''पशु चिकित्सक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पशु रोगों का उपचार करने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(थ) ''पशु चिकित्सा अधिकारी'' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 3 के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है;

(द) किसी ग्राम के संबंध में ''ग्राम अधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार उस रूप में प्राधिकृत या अभिहित किया गया है।

अध्याय 2

अनुसूचित रोगों का नियंत्रण

पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति।

3. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, निरीक्षण करने के लिए और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए पशु चिकित्सकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) उतने पशु चिकित्सकों को, जितने वह उचित समझे, पशु चिकित्सा अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुसूचित रोगों की रिपोर्ट करने की बाध्यता।

4. (1) किसी ऐसे पशु का जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, प्रत्येक स्वामी या उस पशु का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, लोक निकाय या ग्राम पंचायत, इस तथ्य की ग्राम अधिकारी या ग्राम पंचायत प्रभारी को रिपोर्ट करेगा, जो निकटतम उपलब्ध पशु चिकित्सक को लिखित में उसकी रिपोर्ट कर सकेगा।

(2) ग्राम अधिकारी किसी रोग के फैलने की रिपोर्ट करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र का दौरा करेगा।

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सक, उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, मामले की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को करेगा।

(4) जहां किसी राज्य में किसी पशु के संबंध में अनुसूचित रोग की कोई घटना हुई है वहां निदेशक, ऐसे राज्यों के, जो उस स्थान के ठीक पड़ोसी हैं, जहां ऐसी घटना हुई है, निदेशकों को रोग को फैलने से रोकने के लिए समुचित निवारक उपाय करने के लिए सूचना भेजेगा।

संक्रामित पशुओं को अलग रखने का कर्तव्य।

5. (1) किसी ऐसे पशु का प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि वह किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है, ऐसे पशु को अलग रखेगा और उसे ऐसे सभी अन्य पशुओं से, जो स्वस्थ हैं, दूर स्थान पर रखेगा और संक्रामित पशु को किसी अन्य पशु के संपर्क में आने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पशु का स्वामी या भारसाधक या उस पर नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति उस पशु को परिरुद्ध करेगा और उसे सामान्य स्थान पर चरने या किसी सामान्य स्रोत से, जिसके अंतर्गत पात्र, तालाब, झील या नदी भी है, पानी पीने से निवारित करेगा।

(3) नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी अन्य संक्रामित पशुओं को अलग रखा जाएगा।

नियंत्रित क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों की अधिसूचना।

6. (1) राज्य सरकार, किसी अनुसूचित रोग को निवारित, नियंत्रित या उन्मूलन करने के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को, किसी ऐसे अधिसूचित रोग की बाबत, जो पशु की किन्हीं जातियों और किन्हीं ऐसी अन्य जातियों को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रोग होने की संभावना है, नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का सार देशी भाषा में किसी स्थानीय समाचारपत्र में तथा उस क्षेत्र में ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर घोषणा द्वारा प्रकाशित करवाएगी।

(3) जहां कोई अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई है वहां नियंत्रित क्षेत्र में उक्त जातियों के सभी पशुओं को, उस रोग के लिए अनिवार्य टीका लगाया जाएगा और उस रोग के लिए ऐसे अन्य उपाय ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर किए जाएंगे जो राज्य सरकार लोक सूचना द्वारा निदेश दे।

(4) राज्य सरकार आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और किसी ऐसे पशु के जिसे उपधारा (3) के अधीन टीका लगाया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के लिए, यह आबद्धकर होगा कि उस पशु को अनिवार्य रूप से टीका लगवाए।

(5) जहां निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट पर या अन्यथा, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी नियंत्रित क्षेत्र में ऐसा कोई अनुसूचित रोग, जो पशु की किसी जाति को प्रभावित कर रहा है, अब नहीं रह गया है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र को पशु की विशिष्ट जातियों के संबंध में उस रोग की बाबत मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों के किसी पशु या अन्य संकटग्रस्त जातियों के किसी पशु को, जिसके संबंध में वह मुक्त क्षेत्र है, तब तक मुक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उस विशिष्ट रोग के लिए उसे टीके द्वारा सम्यक् रूप से असंक्रामित न कर दिया गया हो।

नियंत्रित क्षेत्र से पशुओं के आने-जाने पर प्रतिषेध।

7. (1) जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र को पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग के संबंध में नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की गई है, वहां उन जातियों का कोई पशु उस स्थान से नहीं ले जाया जाएगा, जहां उसे रखा गया है।

(2) निदेशक, किसी क्षेत्र की बाबत किसी अनुसूचित रोग के नियंत्रण, निवारण या उन्मूलन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं जातियों के सभी पशुओं के उस स्थान से, जहां उन्हें रखा गया है किसी अन्य स्थान पर आने-जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी—

(क) उसमें निर्दिष्ट किसी पशु का उस स्थान से, जहां उसे रखा गया है, उस निकटस्थ स्थान को ले जाना, जहां उसको टीका लगाया जा सकेगा जहां तक पशु को टीका लगाकर असंक्रमीकरण के प्रयोजन के लिए ले जाया जा रहा है; या

(ख) किसी ऐसे पशु को ले जाना जहां तक वह टीकाकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के साथ है जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि पशु को विशिष्ट रोग से सम्यक् रूप से असंक्रामित कर दिया गया है और उस पर ऐसे टीकाकरण का उचित चिह्न लगा हुआ है।

टीकाकरण चिह्नांकन करना और टीका प्रमाणपत्र जारी किया जाना।

8. (1) किसी पशु को ऐसे व्यक्ति द्वारा टीका लगाया जा सकेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन टीका लगाने और टीका प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम है।

(2) जहां किसी पशु को उपधारा (1) के उपबंधों के अनुपालन में किसी अनुसूचित रोग के लिए टीका लगाया गया है वहां पशु को टीका लगाने वाला व्यक्ति छाप लगाकर, टैटू लगाकर या कर्ण टैगिंग द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति में जो निदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश करे, चिह्न लगवाएगा और जब तक निदेशक द्वारा अन्यथा रूप में विनिर्दिष्ट न किया जाए, उसे हटाया नहीं जाएगा।

(3) टीका प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी टीका लगाने की तारीख, वैक्सीन के विनिर्माण और उसकी अवधि के अवसान की तारीख और वह तारीख, जिस तक पशु का टीका, विशिष्ट वैक्सीन के साथ मान्य होगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

टीका प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु।

9. इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक टीका प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

नियंत्रित क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश और उससे निकासी।

10. (1) जहां कोई क्षेत्र, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पशुओं की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी रोग की बाबत नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां उन जातियों का कोई पशु धारा 16 में यथा उपबंधित के सिवाय, उस क्षेत्र से न तो बाहर भेजा जाएगा और न ही उसमें लाया जाएगा।

(2) निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में कम से कम एक दैनिक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित सूचना द्वारा उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध को पशुओं की किन्हीं अन्य जातियों तक विस्तारित कर सकेगा, यदि उन जातियों के पशुओं के भी उस रोग से संक्रामित होने की संभावना है।

(3) माल या पशुओं का कोई वाहक, धारा 16 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना भू-मार्ग, समुद्र मार्ग या वायु मार्ग से किसी पशु को नियंत्रित क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) की कोई बात उन उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी पशु के, रेल द्वारा ऐसे क्षेत्र से जिसे तत्समय नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, होकर वहन को तब तक लागू नहीं होगी जब तक पशु की उस क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर उतराई (चाहे वह किसी भी प्रयोजन या अवधि के लिए हो) न की गई हो:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में से इस प्रकार वहन किए जाने वाले पशु की कोई जातियां ऐसे अनुसूचित रोग से ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्यक् रूप से असंक्रामित की जाएंगी और उस क्षेत्र में होकर रेल द्वारा पशुओं के परिवहन के लिए टीका प्रमाणपत्र एक पूर्वापेक्षा होगी:

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट कोई अधिसूचना जारी की गई है वहां राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उस तथ्य को संबद्ध रेल प्राधिकारियों को सूचित करे, जिससे वे राज्य के उस स्थानीय क्षेत्र से होकर पशु का परिवहन करने के पूर्व उसके असंक्रामण के बारे में अपना समाधान कर सकें।

नियंत्रित क्षेत्रों के संबंध में एहतियाती उपाय।

11. कोई व्यक्ति—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित या संक्रामित होने की युक्तियुक्त संभावना वाले किसी जीवित या मृत पशु को,

(ख) ऐसे किसी भी प्रकार के चारे, बिछौने या अन्य सामग्री को, जो ऐसे रोग से संक्रामित किसी पशु के संसर्ग में रही है या किसी रीति में अधिसूचित रोग से प्रभावित हो सकती है, या

(ग) पशु शव, खाल या ऐसे पशु के किसी अन्य भाग या उत्पाद को

नियंत्रित क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाएगा।

नियंत्रित क्षेत्रों में बाजारों, मेलों, प्रदर्शनी आदि का प्रतिषेध।

12. कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था, नियंत्रित क्षेत्र के भीतर कोई पशु बाजार, पशु मेला, पशु प्रदर्शनी नहीं लगाएगी और ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगी जिसमें पशुओं की किन्हीं जातियों का समूह में सम्मिलित या इकट्ठा होना अंतर्वलित है:

परन्तु सक्षम अधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, ऐसे मामले में पशुओं की किन्हीं जातियों के संबंध में प्रतिषेध को शिथिल कर सकेगी, जहां उन जातियों के पशुओं को अनुसूचित रोग होने की संभावना नहीं है और उनमें उस रोग को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसी शिथिलता प्रदान करना आवश्यक है।

बाजार और अन्य स्थानों में संक्रामित पशुओं को लाने का प्रतिषेध।

13. कोई व्यक्ति किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसका अनुसूचित रोग से संक्रामित होना ज्ञात है, बाजार, मेले, प्रदर्शनी या पशुओं के अन्य जमाव या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा।

जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्प।

14. (1) निदेशक राज्य के भीतर उतने करंतीन कैम्प और जांच पड़ताल चौकियां स्थापित कर सकेगा, जितने—

(क) ऐसे पशुओं के, निरोध के लिए जो किसी अनुसूचित रोग से ग्रस्त हैं या ऐसे पशुओं के निरोध के लिए अपेक्षित हैं, जो ऐसे किसी संक्रामित पशु के संसर्ग में आ चुके हैं या उसके सामीप्य में रखे गए हैं;

(ख) ऐसे पशुओं की जातियों से संबंधित किसी पशु के, जिसके बारे में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है, किसी नियंत्रित क्षेत्र या संक्रामित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश या उससे निकासी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हैं।

(2) किसी ऐसे पशु जिसे निरुद्ध करना, जिसका निरीक्षण करना, टीका लगाना या चिह्नांकित करना अपेक्षित है, ऐसी अवधि के लिए करंतीन कैम्प में रखा जा सकेगा जो सक्षम अधिकारी निदेश दे।

(3) प्रत्येक ऐसा पशु, जो करंतीन कैम्प में निरुद्ध है, कैम्प के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में होगा और उसे टीका लगाया जाएगा तथा चिह्नांकित किया जाएगा।

(4) करंतीन कैम्प का भारसाधक अधिकारी किसी पशु की केन्द्र से निर्मुक्ति के समय ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, पशु को भारसाधन में लेने वाले व्यक्ति को एक अनुज्ञापत्र देगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, अनुज्ञापत्र पेश करने के लिए आबद्ध होगा।

जांच पड़ताल चौकी और करंतीन कैम्पों में पशुओं का निरीक्षण और निरोध।

15. (1) किसी जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प का प्रत्येक भारसाधक व्यक्ति जांच पड़ताल चौकी पर या करंतीन कैम्प में रोके गए या उसमें निरुद्ध किसी पशु का निरीक्षण करेगा।

(2) जांच पड़ताल चौकी या करंतीन कैम्प में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए या अनिवार्य टीकाकरण पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए पशु के निरीक्षण की रीति और निरोध की अवधि और वह प्ररूप और रीति, जिसमें किसी पशु की बाबत प्रवेश के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

नियंत्रित और मुक्त क्षेत्रों में टीका लगे पशुओं का प्रवेश और उनसे उनकी निकासी।

16. धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, पशुओं की ऐसी जातियों से संबंधित किसी पशु को, जिसकी बाबत कोई क्षेत्र किसी अनुसूचित रोग के संबंध में नियंत्रित या मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिसे उस रोग के लिए सम्यक् रूप से टीका लगाया जा चुका है, नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने या वहां से बाहर ले जाने के लिए या किसी अन्य स्थान से बाहर ले जाने के लिए, इस आशय का

प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर अनुज्ञात किया जाएगा कि उस रोग के लिए टीका लगाया जा चुका है और उसके पश्चात् कम से कम इक्कीस दिन की अवधि व्यपगत हो चुकी है।

सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति।

17. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी जो अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

वाहकों की सफाई और विसंक्रामण।

18. (1) प्रत्येक सामान्य वाहक चाहे वह जलयान है या यान, उस जलयान या यान में किसी पशु के परिवहन के ठीक पूर्व और पश्चात् और इस प्रकार किसी स्थान को भी, जहां पशु अभिवहन में रखा गया है, साफ और विसंक्रामित किया जाएगा।

(2) जहां पशु की किन्हीं जातियों को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अनुसूचित रोग की बाबत किसी क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है वहां निदेशक, राजपत्र में और देशी भाषा में एक स्थानीय समाचारपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्येक यान के स्वामी को, जिसमें उन जातियों से संबंधित कोई पशु वहन किया गया, उस यान को उचित रूप में स्वच्छ और विसंक्रामित करने का निदेश दे सकेगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां।

19. कोई पशु चिकित्सा अधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों का ऐसे अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, किसी भूमि या भवन या स्थान, जलयान या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

अध्याय 3
संक्रामित क्षेत्र

संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा।

20. यदि पशु चिकित्सा अधिकारी का, किसी पशु चिकित्सक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान या परिसर में कोई पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित हो गया है या किसी ऐसे पशु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस प्रकार संक्रामित है, वहां रखा गया है तो वह अधिसूचना द्वारा और देशी भाषा में कम से कम एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा तथा ऊंची आवाज में और ढोल पीटकर [illegible] द्वारा ऐसे क्षेत्र को, जिसे वह उचित समझे (जिसके अंतर्गत पूर्वोक्त स्थान या परिसर भी है) संक्रामित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

संक्रामित क्षेत्रों की घोषणा का प्रभाव।

21. (1) जहां किसी क्षेत्र को धारा 20 के अधीन संक्रामित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वहां इस अधिनियम के सभी उपबंध, जो नियंत्रित क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं, उसके संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "नियंत्रित क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "संक्रामित क्षेत्र" शब्द रखे गए हों।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित और उपबंध संक्रामित क्षेत्र के संबंध में लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) उस क्षेत्र में प्रत्येक ऐसे पशु के संबंध में, जो किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का युक्तियुक्त विश्वास है, पशु का स्वामी या भारसाधक अन्य व्यक्ति तुरन्त पशु चिकित्सक से उसका उपचार करवाएगा;

(ख) सभी वस्तुओं को, जिनके खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पशु के संसर्ग में आने की संभावना है, उपचारित किया जाएगा या ऐसी रीति में व्ययनित किया जाएगा, जो पशु चिकित्सक निदेश दे;

(ग) प्रत्येक पशु चिकित्सक को निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति होगी, जहां कोई पशु रखा गया है या उसके रखे जाने की संभावना है;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट पशु का स्वामी या भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति तुरन्त पशु को अलग करेगा और ऐसे अन्य उपाय भी करेगा, जो रोग के निवारण, उपचार या नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, जो पशु चिकित्सक निदेश दे।

संक्रामित क्षेत्र की अधिसूचना को वापस लेना।

22. यदि पशु चिकित्सा अधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी संक्रामित क्षेत्र में अनुसूचित रोग से किसी पशु के संक्रामित होने के बारे में अब कोई आशंका या खतरा नहीं है तो वह, अधिसूचना द्वारा, और देशी भाषा में स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा घोषित कर सकेगा कि वह क्षेत्र पूर्वोक्त के अनुसार संक्रामित क्षेत्र नहीं रह गया है, तत्पश्चात् धारा 21 में निर्दिष्ट सभी निर्बंधन लागू नहीं होंगे।

अध्याय 4

संक्रामित पशु

संक्रामित पशुओं का अलग रखा जाना, उनका परीक्षण और उपचार।

23. (1) जहां पशु चिकित्सक के पास, किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई पशु अनुसूचित रोग से संक्रामित है, वहां वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे पशु के स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके भारसाधन में ऐसा पशु है,—

(क) उसे अन्य स्पष्ट रूप से स्वस्थ पशुओं से अलग रखने; या

(ख) ऐसा उपचार कराने के लिए, जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित हो,

निदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है, वहां पशु चिकित्सक, तुरंत ऐसे रोग की घटना की विस्तृत रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को देगा।

(3) पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सक से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र, उस पशु की तथा साथ ही किसी ऐसे अन्य पशु की, जो उसके सम्पर्क में आया हो, जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए, उस पशु को ऐसी जांच और चिकित्सीय परीक्षा के लिए भेजेगा, जो उन परिस्थितियों के अधीन अपेक्षित हो।

(4) यदि ऐसी जांच और परीक्षण के पश्चात्, पशु चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि ऐसा पशु किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित नहीं है, तो वह लिखित में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पशु किसी ऐसे रोग से संक्रामित नहीं है।

पशुओं से नमूनों का लिया जाना।

24. (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि वह पशु, जिसके किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित होने का संदेह है या ऐसे संक्रामण का खतरा है, वास्तव में संक्रामित है या उस अनुसूचित रोग की, जिससे पशु संक्रामित है, प्रकृति अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है, वहां वह ऐसे अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उन परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझे, पशु से ऐसे नमूने ले सकेगा, जो अपेक्षित हों।

(2) पशु चिकित्सा अधिकारी या कोई अन्य सक्षम अधिकारी ऐसे पशु से यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या पशु को किसी रोग का टीका लगाया गया है या क्या पशु को टीका लगाया जाना उसे असंक्रामित करने में प्रभावी हो गया है, नमूने ले सकेगा और ऐसे नमूनों की ऐसी रीति में परीक्षा करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

संक्रामित पशु के लिए सहज मृत्यु का आश्रय लेना।

25. यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि किसी पशु की, जो अनुसूचित रोग से संक्रामित है, क्षेत्र के अन्य पशुओं में रोग को फैलने से रोकने के लिए या यदि रोग पशु संबंधी महत्व का है तो लोक स्वास्थ्य की संरक्षा करने के लिए सहजमृत्यु का आश्रय लेना आवश्यक होगा, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, लिखित में आदेश द्वारा, पशु की सहजमृत्यु के लिए और अपने समाधानप्रद रूप में तत्काल उसके शव की अंत्येष्टि करने का निदेश दे सकेगा।

शव का निपटारा।

26. प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में किसी पशु का शव (या उसका कोई भाग) है, जो उसकी मृत्यु के समय किसी अनुसूचित रोग से संक्रामित था या उसके संक्रामित होने का संदेह था, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसका निपटारा करेगा।

पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक की शव परीक्षा करने की शक्तियां।

27. (1) जहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी पशु चिकित्सक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु की मृत्यु किसी अनुसूचित रोग के संक्रामण द्वारा हुई है, वहां वह पशु की शव परीक्षा करेगा या कराएगा और उस प्रयोजन के लिए वह जहां अपेक्षित हो, किसी ऐसे पशु के शव को खोदकर भूमि से बाहर निकलवाएगा, तत्पश्चात् शव की आवश्यक परीक्षा और शव परीक्षण के पश्चात् समुचित अंत्येष्टि कराएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षा और शव परीक्षा ऐसी रीति से की जाएगी और शव परीक्षण की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित की जाए।

कतिपय पशुओं का अभिग्रहण और उनको हटाना।

28. जहां ऐसा कोई पशु, जो संक्रामित है या जिसके संक्रामित होने का संदेह है जिसका कोई भी व्यक्ति स्वामी होने का दावा नहीं करता है, या जहां ऐसे पशु के संबंध में दिए गए किसी विधिमान्य आदेश या निदेश का, स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके नियंत्रण में ऐसा कोई पशु है, तत्परता से अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को, ऐसे पशु को अभिग्रहण करने, और उसे एकांत या अलग स्थान पर हटाने का, जो वह उचित समझे, विकल्प होगा।

अध्याय 5

प्रवर्तन और शास्तियां

आदेशों का प्रवर्तन और खर्चों की वसूली।

29. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश द्वारा किसी व्यक्ति से,—

(क) किसी पशु, किसी पशु के शव या ऐसी अन्य वस्तु के संबंध में, जो उसकी अभिरक्षा या भारसाधन में है, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी;

(ख) कोई ऐसा पशु जो भटका हुआ है या जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसे पशु शव या उसके भाग की दशा में, कोई उपाय या किसी बात को करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, नगरपालिका या पंचायत द्वारा अपने खर्चे पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट उपाय ऐसे समय के भीतर नहीं किए जाते हैं, जो इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाए, तो सूचना, अध्यपेक्षा, आदेश या निदेश जारी करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत के खर्चे पर, जिससे या जिनसे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा थी, उपायों को करवाएगा।

1974 का 2

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किन्हीं उपायों के खर्चे, यथास्थिति, संबद्ध व्यक्ति या नगरपालिका या पंचायत से किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबंधित रीति में इस प्रकार वसूलनीय होंगे, मानो ऐसे खर्चे किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों।

ग्राम अधिकारी, आदि द्वारा सहायता करना।

30. सभी नगरपालिका, पंचायत या ग्राम अधिकारी और राज्य सरकार के ग्रामीण और डेयरी विकास, राजस्व, कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी अधिकारी—

(क) ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी और ऐसे पशु चिकित्सक को, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में है, उक्त क्षेत्र में, किसी पशु या पशुओं की किसी जाति में किसी अनुसूचित रोग के होने की तत्काल सूचना देने;

(ख) किसी अनुसूचित रोग के होने या फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने; और

(ग) पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सक को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता करने,

के लिए आबद्ध होंगे।

प्राधिकार के बिना टीका प्रमाणपत्र जारी करने या त्रुटिपूर्ण टीका लगाने के लिए शास्ति।

31. यदि कोई व्यक्ति—

(क) उस निमित्त किसी प्राधिकार या सक्षमता के बिना, या

(ख) ऐसा टीका लगाने के पश्चात् जिसका किसी रीति में दोषपूर्ण होना ज्ञात है,

कोई टीका प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो पांच हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, दस हजार रुपए के जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

शास्तियां।

32. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या सक्षम अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और शास्ति का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी; और किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में (चाहे वह उसी उपबंध या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन है, धारा 31 और धारा 33 के मामले के सिवाय) दो हजार रुपए के जुर्माने से या शास्ति का संदाय न किए जाने की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

संक्रामित पशु या शव को नदी, आदि में फेंकने के लिए शास्ति।

33. जो कोई, किसी पशु शव या शव के किसी भाग को, जिसका मृत्यु के समय उसे संक्रामित होना ज्ञात था, किसी नदी, झील, नहर या किसी अन्य जलाशय में डालता है, डलवाता है या डलवाने को अनुज्ञात करता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर, पहले अपराध की दशा में, दो हजार रुपए के जुर्माने से या जुर्माने का संदाय न करने की दशा में, एक मास के कारावास से और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच हजार रुपए के जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 6

रोगकारक जीव, आदि के संबंध में एहतियाती उपाय

रोगकारक जीव के बच निकलने का निवारण।

35. (1) ऐसी प्रत्येक संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक में, जो वैक्सीन, सीरा, निदान या रसोचिकित्सा ओषधियों से संबंधित विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान में लगे हैं और जिनका उद्देश्य किसी अनुसूचित रोग का निवारण या उपचार करना है, निम्नलिखित के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय किए जाएंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि किसी अनुसूचित रोग के रोगकारक जीव बच निकल न पाएं या अन्यथा निर्मुक्त न हो पाएं;

(ख) किसी ऐसे बच निकलने या निर्मुक्त होने से संरक्षा करना; और

(ग) ऐसे बच निकलने की दशा में प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति को चेतावनी देना और उसे सुरक्षित करना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक पशु की—

(क) जिसका उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विनिर्माण, परीक्षण या अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है; या

(ख) जिससे किसी अनुसूचित रोग के होने या उसके संचरित होने की संभावना है,

तुरंत सहज मृत्यु कारित की जाएगी और उसे उस उपधारा में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक के भारसाधक या उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा व्ययन किया जाएगा।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था, प्रयोगशाला या क्लीनिक का भारसाधक है या उन पर नियंत्रण रखता है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करेगा; और अननुपालन की दशा में, वह ऐसे अपराध का दोषी होगा, जो जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि स्थापन टीका या ओषधि का वाणिज्यिक रूप से विनिर्माण कर रहा है तो एक वर्ष की अवधि तक अनुज्ञप्ति के अस्थायी निलंबन की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्रत्यायोजन की शक्ति।

36. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

अधिकारियों और प्राधिकारियों का सरकार के नियंत्रण के अधीन कृत्य करना।

37. इस अधिनियम के अधीन सभी अधिकारी और प्राधिकारी अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उनको प्रदत्त या उन पर अधिरोपित किए गए हैं ऐसे आदेशों के अनुसार करेंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाएं।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

38. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी पशु रोग को जोड़ सकेगी या उसमें से उसका लोप कर सकेगी और उक्त रोग को अधिसूचना की तारीख से, अनुसूची में जोड़ा गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

निदेश जारी करने की शक्ति।

39. केन्द्रीय सरकार, पशुओं के किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के निवारण, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राधिकारियों को, समय-समय पर, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिनके अंतर्गत अनुसूचित रोगों और टीकाकरण के संबंध में ऐसी विवरणी और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए निदेश भी हैं, जो वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन किया जाएगा।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

40. प्रत्येक सक्षम अधिकारी, निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी को, जब वे इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 9 के अधीन टीका प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो ऐसे प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट होंगी;

(ख) धारा 26 के अधीन शवों के निपटान की रीति;

(ग) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और शव परीक्षा करने की रीति तथा उपधारा (2) के अधीन शव परीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाना अपेक्षित हो।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

43. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन किसी करंतीन कैंप के भारसाधक अधिकारी द्वारा अनुदत्त किए जाने वाले अनुज्ञा पत्र का प्ररूप;

(ख) किसी जांच पड़ताल चौकी या किसी करंतीन कैंप में अनिवार्य टीका लगाने और पशुओं का चिह्नांकन करने के लिए किसी पशु के निरीक्षण की रीति तथा निरोध की अवधि और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश अनुज्ञा पत्र का प्ररूप और उसके जारी करने की रीति;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने हैं या बनाए जाएं।

नियमों का सदनों के समक्ष रखा जाना।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

45. इस अधिनियम के प्रारंभ पर,—

1899 का 13 (i) ग्लैण्डर और फार्सी अधिनियम, 1899;

1910 का 5 (ii) दूरीन अधिनियम, 1910; और

(iii) किसी राज्य की कोई अन्य तत्स्थानी विधि, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है,

निरसित हो जाएगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात—

(क) विधि के किसी ऐसे उपबंध के पहले से प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगी;

(ख) विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी;

(ग) विधि के किसी ऐसे उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं डालेगी; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी; और प्रत्येक ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जारी रह सकेंगे, संस्थित या प्रवृत्त रह सकेंगे और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण और दंड इस प्रकार अधिरोपित किए जा सकेंगे मानो विधि के पूर्वोक्त उपबंध जारी रहे थे:

परन्तु यह और कि विधि के किसी ऐसे उपबंध के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत निकाली गई कोई अधिसूचना, किया गया आदेश, जारी की गई सूचना या रसीद या की गई घोषणा भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, किया गया, निकाली गई, किया गया, जारी की गई या की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रान्त न कर दिया गया हो।

अनुसूची

[धारा 2(ण) और धारा 38 देखिए]

(क) बहु जातीय रोग

1. एंथ्रेक्स।
2. ओजेस्की रोग।
3. ब्लूटंग।
4. ब्रसेलोसिस।
5. क्राइमीन कांगो हैमरेज ज्वर।
6. एकीनोकोकोसिस/हाईडेटिडोसिस।
7. खुरपका और मुंहपका रोग।
8. हर्टवाटर।
9. जापानी एनसीफैलीटिस।
10. लैप्टोस्पाइरोसिस।
11. नई वर्ल्ड स्क्रूवर्म (कोचलियोंमाईया होमिनीवोरेक्स)।
12. पुरानी वर्ल्ड स्क्रूवर्म (चैरीसोमिया बैजीआना)।
13. पैराट्यूबरक्यूलोसिस।
14. क्यू फीवर।
15. रैबीज।
16. रिफ्ट वैली ज्वर।
17. पशुप्लेग।
18. ट्राइकीनैलोसिस।
19. टुलारेमिया।
20. वैसीकुलर स्टोमैटीटिस।
21. वेस्ट नाईल ज्वर।

(ख) पशु रोग

1. बोवाईन अनाप्लास्मोसिस।
2. बोवाईन बेबीसिओसिस।
3. बोवाईन जैनीटल कैम्पीलोबैक्टीरियोसिस।
4. बोवाईन स्पौंगिफार्म एनसीफालोपैथी।
5. बोवाईन ट्यूबरक्यूलोसिस।
6. बोवाईन वायरल डायरिया।
7. संसर्गजन्य बोवाईन फ्लूरोन्यूमोनिया।
8. एनजूटिक बोवाईन ल्यूकोसिस।
9. हीमोरैजिक सैप्टीसीमिया।
10. संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेचिटिस/संक्रामक पस्चूलर वलवोवेजीनिटिस।
11. लम्पी स्किन रोग।
12. मालीगनेंट कैटराहल ज्वर।
13. थाईलीरिओसिस।
14. ट्राइकोमोनोसिस।
15. ट्रायपानोसीमोसिस।

(ग) भेड़ और बकरी रोग

1. कैपरीन आर्थराईटिस/एनसीफेलिटिस।
2. संसर्गजन्य अगलाकटिया।

3. संसर्गजन्य कैपरीन प्लूरोनिमोनिया।
4. एनजूटिक अबार्शन आफ ऐवीस (ओवाईन क्लामाईडियोसिस)।
5. मैदी-विसना।
6. नाईरोबी भेड़ रोग।
7. ओवाईन एपीडीडायमिटिस (ब्रूसेला ओवीस)।
8. पेस्टे डेस पेटीट्स रूमिनेंट्स।
9. सालमोनेलोसिस (एस॰ एबोर्टयूसोविस)।
10. स्क्रेपी।
11. भेड़ पाक्स और बकरी पाक्स।

(घ) अश्व रोग

1. अफ्रीकन मेट्रीटिस बीमारी।
2. संसर्गजन्य मेट्रीटिस मैटरीटिस।
3. डूरीन।
4. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पूर्वी)।
5. अश्व एनसीफालोमाईलिटिस (पश्चिमी)।
6. अश्व संक्रामक एनीमिया।
7. अश्व इंफ्लूएंजा।
8. अश्व पाइरोप्लासमोसिस।
9. अश्व रायनोन्यूमोनिटिस।
10. अश्व वायरल आरटेरिटस।
11. ग्लैंडर्स।
12. सूरा (ट्राइपानोसोमा ईवानसी)।
13. वेनीजूएलन अश्व एनसीफालोमाईलिटिस।

(ङ) स्वाइन रोग

1. अफ्रीकन स्वाईन ज्वर।
2. क्लासीकल स्वाईन ज्वर।
3. निपाह वायरस एनसीफालीटिस।
4. पोरसिन सिसटीसरकोसिस।
5. पोरसिन रिपरोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
6. स्वाइन वेसीकुलर रोग।
7. ट्रांसमिसिबल गैस्ट्राइनटेरीटिस।

(च) एवियन रोग

1. एवीयन क्लेमाइडियोसिस।
2. एवीयन संक्रामक ब्रोंकाइटिस।
3. एवीयन संक्रामक लैरिंगोट्राचीटिस।
4. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम॰ गालीसेप्टीकम)।
5. एवीयन माईकोप्लासमोसिस (एम॰ सायनोवि)।
6. डक वायरस हैपेटाइटिस।
7. फाउल कोलेरा।
8. फाउल टाइफाइड।
9. उच्च पैथोंजनिक एवियन इंफ्लूएंजा और कुक्कुट में निम्न पैथोजनिक एवियन इंफ्लूएंजा।
10. संक्रामक सर्ल रोग (गंबोरो रोग)।
11. मारेक रोग।

12. न्यूकैसल रोग।

13. पुलोरम रोग।

14. टर्की रिनोट्रैकाईटिस।

(छ) लैगोमोर्फ रोग

1. मायोक्सोमाटोसिस।

2. रैबिट हेमोरैजिक रोग।

(ज) मधुमक्खी रोग

1. मधुमक्खी को अकारापीसोसिस।

2. मधुमक्खी का अमेरिकन फाउलब्रूड।

3. मधुमक्खी का यूरोपियन फाउलब्रूड।

4. स्माल हाइव बीटल इनफेस्टेशन (एथीना टुमीडा)।

5. मधुमक्खी का ट्रोपिलाएलप्स इनफैस्टेशन)।

6. मधुमक्खी का वारूसिस।

(झ) मछली रोग

1. एपीजूटिक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस।

2. संक्रामक हैमाटोपोयटिक नैकरोसिस।

3. स्प्रिंग वायरेमिया आफ कार्प।

4. वायरल हैमोरैजिक सैप्टीसीमिया।

5. संक्रामक पैनक्रियटिक नैकरोसिस।

6. संक्रामक सालमन एनीमिया।

7. एपीजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम।

8. बैक्टीरियल किडनी रोग (रेनीबैक्टीरियम साल्मोनीनेरम)।

9. गायरोडैक्टाईलोसिस (गायरोडैक्टाइलोसिस सालारिस)।

10. रेड सी ब्रीम इरीडोवायरल रोग।

(ञ) नीलक्स रोग

1. बोनामिया ओस्ट्रिया से संक्रमण।

2. बोनामिया एक्जीटियोसा से संक्रमण।

3. मार्टेलिया रिफ्रिनजैंस से संक्रमण।

4. माइक्रोसाइटोस मैकीनी से संक्रमण।

5. पर्किनसस मैरीनस से संक्रमण।

6. पर्किनसस आलसेनी से संक्रमण।

7. एक्सनोहालीयोटिस कालीफ्रोर्निनसिस से संक्रमण।

(ट) क्रसटेशियन रोग

1. तौरा सिंड्रोम।

2. व्हाईट स्पॉट रोग।

3. यैलोहेड रोग।

4. टैट्राहीड्रल बाक्यूलोवायरोसिस (बाकलोवायरस पीनियल)।

5. स्फैरीकल बाक्यूलोवायरोसिस (पैनासिस मोनोडोन–टाइप बाकलोवायरस)।

6. संक्रामक हाइपोडर्मल और हाइमैटोपायोटिक नैक्रोसिस।

7. क्रायफिश प्लेग (एफहैनोमायसिस एसटासी)।

(ठ) अन्य रोग

1. कैमलपाक्स।

2. लैशमानियोसिस।

विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 मार्च, 2009]

विमानवहन अधिनियम, 1972 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1972 का 69

बृहत् नाम का संशोधन।

2. विमानवहन अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), के बृहत् नाम में, "उक्त कन्वेंशन को" शब्दों के स्थान पर, "उक्त कन्वेंशन को और 28 मई, 1999 को हस्ताक्षरित मोंट्रियल कन्वेंशन को भी" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(iii) "मोंट्रियल कन्वेंशन" से मोंट्रियल में 28 मई, 1999 को हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय विमानवहन के लिए कतिपय नियमों का एकीकरण करने के लिए कन्वेंशन अभिप्रेत है;

(iv) "उपाबंध" से इस अधिनियम से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है।'।

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कन्वेंशन के उच्च संविदाकारी पक्षकार और उक्त कन्वेंशन के प्रवर्तन की तारीख वह होगी जो उपाबंध के भाग 1 में सम्मिलित है।";

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपाबंध के भाग 1 में किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उससे उसका लोप कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप करने पर, ऐसा उच्च संविदाकारी पक्षकार, उच्च संविदाकारी पक्षकार होगा या उच्च संविदाकारी पक्षकार नहीं रहेगा ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संशोधित कन्वेंशन के उच्च संविदाकारी पक्षकार और उक्त संशोधित कन्वेंशन के प्रवर्तन की तारीख वह होगी जो उपाबंध के भाग 2 में सम्मिलित है।

(2क) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपाबंध के भाग 2 में किसी उच्च संविदाकारी पक्षकार को यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उससे उसका लोप कर सकेगी और यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप करने पर, ऐसा उच्च संविदाकारी पक्षकार, उच्च संविदाकारी पक्षकार होगा या उच्च संविदाकारी पक्षकार नहीं रहेगा ।"।

नई धारा 4क का अंतःस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

मोंट्रियल कन्वेंशन का भारत को लागू होना।

"4क. (1) तृतीय अनुसूची के नियम, जो वाहकों, यात्रियों, परेषकों, परेषितियों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित मोंट्रियल कन्वेंशन के उपबंध हैं, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विमानवहन के संबंध में, जिसको वे नियम लागू होते हैं, वहन करने वाले वायुयान की राष्ट्रिकता को विचार में लाए बिना, भारत में विधि का बल रखेंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, मोंट्रियल कन्वेंशन के राज्य पक्षकार और उक्त मोंट्रियल कन्वेंशन के प्रवर्तन की तारीख वह होगी जो उपाबंध के भाग 3 में सम्मिलित है।

(3) तृतीय अनुसूची में मोंट्रियल कन्वेंशन के किसी राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिर्देश है, जिनका वह पक्षकार है ।

(4) तृतीय अनुसूची में वाहक के अभिकर्ताओं के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत वाहक के सेवकों के प्रतिनिर्देश भी है।

(5) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपाबंध के भाग 3 में किसी राज्य पक्षकार को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उससे उसका लोप कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप करने पर, ऐसा राज्य पक्षकार, राज्य पक्षकार होगा या राज्य पक्षकार नहीं रहेगा।"।

धारा 5 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, "प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, "प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 6क का अंतःस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विशेष आहरण अधिकारों का संपरिवर्तन।

"6क. तृतीय अनुसूची के नियम 21 और नियम 22 में उल्लिखित विशेष आहरण अधिकारों में कोई राशि, किसी वाहक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए, उस तारीख को, जो उक्त तृतीय अनुसूची के नियम 23 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय द्वारा, वाहक द्वारा संदत्त की जाने वाली नुकसानी की राशि अभिनिश्चित की जाती है, प्रचलित विनिमय दर से रुपयों में संपरिवर्तित की जाएगी ।"।

धारा 8 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों और धारा 4क या धारा 5 या धारा 6क के किसी उपबंध को, ऐसे विमानवहन को, जो तृतीय अनुसूची में यथापरिभाषित अंतरराष्ट्रीय विमानवहन नहीं है, और जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, तथापि ऐसे अपवादों, अनुकूलनों और उपांतरणों सहित, यदि कोई हों, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू कर सकेगी ।"।

तृतीय अनुसूची और उपाबंध का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची और उपाबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'तृतीय अनुसूची

(नियम 4क देखिए)

नियम

अध्याय 1

लागू होने का विस्तार

1. (1) ये नियम, वायुयान द्वारा पारिश्रमिक के लिए किए गए व्यक्तियों, यात्री सामान या स्थोरा के सभी अंतरराष्ट्रीय वहन को लागू होंगे । ये, ऐसे वहन को भी, लागू होंगे जब उसे किसी वायुयान परिवहन उपक्रम द्वारा निःशुल्क किया जाता है।

(2) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "यात्री सामान" से जांच किया गया यात्री सामान और जांच न किया गया यात्री सामान, दोनों अभिप्रेत हैं ;

(ख) "दिन" से कलेण्डर दिन अभिप्रेत है न कि कार्य दिन ;

(ग) "निक्षेपागार" से अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अभिप्रेत है ;

(घ) "राज्य पक्षकार" से, मोंट्रियल कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता या अंगीकार करने वाला राज्य अभिप्रेत है, जिसकी अनुसमर्थन या अंगीकार करने की लिखत निक्षेपागार के पास निक्षिप्त की गई है ।

(3) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय वहन" पद से ऐसा कोई वहन अभिप्रेत है जिसमें पक्षकारों के बीच की गई संविदा के अनुसार प्रस्थान का स्थान और गंतव्य स्थान चाहे वहन में यात्रा विराम या कोई यानान्तरण हो या न हो, दो राज्य पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों के भीतर या किसी एक ही राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित है, यदि अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर रुकने का कोई ऐसा स्थान है, जिसके बारे में करार किया गया है, भले ही वह राज्य कोई राज्य पक्षकार न हो। किसी एक ही राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर दो स्थलों के बीच, अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर रुकने के स्थान पर करार किए बिना वहन को, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वहन नहीं समझा जाएगा ।

(4) अनेक उत्तरवर्ती विमानवाहकों द्वारा किया जाने वाला वहन इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक अविभक्त वहन तब समझा जाएगा जब उसे पक्षकारों द्वारा एक संक्रिया के रूप में माना गया हो, चाहे उसके बारे में एक संविदा या संविदाओं की आवलि के रूप में करार किया गया हो और वह अपना अंतरराष्ट्रीय स्वरूप केवल इस कारण से नहीं खो देगा कि एक संविदा या संविदाओं की आवलि का पूर्णतः पालन उसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किया जाना है ।

(5) ये नियम, इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए, अध्याय 5 में यथाउपवर्णित वहन को भी लागू होंगे ।

2. (1) ये नियम, राज्य द्वारा या विधिक रूप से गठित लोक निकायों द्वारा किए गए वहन को लागू होंगे परन्तु यह तब जब यह नियम 1 में अधिकथित शर्तों के अंतर्गत आता हो ।

(2) डाकीय मदों के वहन में, वाहक, केवल वाहकों और डाकीय प्रशासन के बीच संबंधों को लागू नियमों के अनुसार सुसंगत डाकीय प्रशासन के लिए दायी होगा ।

(3) उपनियम (2) में यथाउपबंधित के सिवाय, ये नियम डाकीय मदों के वहन को लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 2

यात्रियों, यात्री सामान और स्थोरा के वहन से संबंधित पक्षकारों के दस्तावेज और कर्त्तव्य

3. (1) यात्रियों के वहन के संबंध में, कोई व्यष्टि या सामूहिक वहन दस्तावेज परिदत्त किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे—

(क) प्रस्थान और गंतव्य स्थानों का उपदर्शन ;

(ख) यदि प्रस्थान और गंतव्य स्थान एक ही राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर हैं और तय किए गए रुकने के एक या अधिक स्थान किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हैं तो ऐसे रुकने के स्थानों में से कम से कम एक का उपदर्शन।

(2) कोई अन्य साधन, जो उपनियम (1) में उपदर्शित सूचना को संरक्षित रखते हैं, उस उपनियम में निर्दिष्ट दस्तावेज के परिदान के स्थान पर रखे जा सकेंगे। यदि किसी ऐसे अन्य साधन का उपयोग किया जाता है तो वाहक इस प्रकार संरक्षित सूचना का एक लिखित कथन यात्रियों को परिदत्त करने की प्रस्थापना करेगा ।

(3) वाहक, जांच किए गए यात्री सामान के प्रत्येक नग के लिए यात्री को यात्री सामान पहचान टैग परिदत्त करेगा।

(4) यात्रियों को इस प्रभाव की लिखित सूचना दी जाएगी कि जहां ये नियम लागू होते हैं, वहां ये मृत्यु या क्षति के संबंध में तथा यात्री सामान के नष्ट होने या खो जाने या नुकसानी के लिए या विलंब के लिए वाहकों के दायित्व को शासित करते हैं और सीमित कर सकते हैं ।

(5) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों का अननुपालन, वहन की संविदा की विद्यमानता या विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा जो फिर भी इन नियमों के अध्यधीन होगा जिसके अंतर्गत वे नियम भी हैं जो दायित्व की सीमा से संबंधित हैं ।

4. (1) स्थोरा वहन के संबंध में, वायुमार्ग पत्र परिदत्त किया जाएगा ।

(2) कोई अन्य साधन, जो किए जाने वाले वहन का अभिलेख संरक्षित करते हैं, किसी वायुमार्ग पत्र के परिदान के स्थान पर रखे जा सकेंगे । यदि ऐसे कोई साधन उपयोग किए जाते हैं, तो वाहक यदि परेषिती द्वारा इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, परेषण की पहचान और ऐसे अन्य साधनों द्वारा संरक्षित अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को अनुज्ञात करते हुए, परेषिती को स्थोरा रसीद परिदत्त की जाएगी।

5. वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) प्रस्थान और गंतव्य स्थानों का उपदर्शन ;

(ख) यदि प्रस्थान और गंतव्य स्थान एक ही राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर हैं और तय किए गए रुकने के एक या अधिक स्थान किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हैं तो ऐसे ठहरने के स्थानों में से कम से कम एक का उपदर्शन;

(ग) परेषण के भार का उपदर्शन ।

6. परेषिती से, यदि सीमाशुल्क, पुलिस और वैसे ही लोक प्राधिकारियों की औपचारिकताओं का पूरा करना आवश्यक है, तो स्थोरा की प्रकृति का उपदर्शन करते हुए एक दस्तावेज परिदत्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी । यह उपबंध वाहक के लिए किसी शुल्क, बाध्यता या उसके परिणामस्वरूप दायित्व का सृजन नहीं करेगा।

7. (1) वायुमार्ग पत्र परेषिती द्वारा तीन मूल भागों में तैयार किया जाएगा । पहले भाग को "वाहक के लिए" चिन्हित किया जाएगा और इसे परेषिती द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । दूसरे भाग को "परेषिती के लिए" चिन्हित किया जाएगा और इसे परेषक और वाहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । तीसरे भाग को वाहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो उसे परेषिती को, स्थोरा के स्वीकार करने के पश्चात् सौंपा जाएगा ।

(2) वाहक और परेषिती के हस्ताक्षर को मुद्रित या स्टांपित किया जा सकेगा।

(3) यदि परेषक के अनुरोध पर, वाहक, वायुमार्ग पत्र तैयार करता है तो वाहक द्वारा प्रतिकूल के सबूत के अधीन रहते हुए परेषिती की ओर से इस प्रकार किया गया समझा जाएगा।

8. जब एक से अधिक पैकेज हों तब,—

(क) वाहक को परेषक से पृथक् वायुमार्ग पत्र तैयार करने की अपेक्षा करने का अधिकार है;

(ख) जब नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है तब परेषक को वाहक से पृथक् स्थोरा रसीदें देने की अपेक्षा करने का अधिकार है।

9. नियम 4, नियम 5, नियम 6, नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों का अननुपालन, वहन की संविदा की विद्यमानता या विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा जो फिर भी इन नियमों के अध्यधीन होगा, जिसके अंतर्गत वे नियम भी हैं, जो दायित्व की सीमा से संबंधित हैं ।

10. (1) परेषक, वायुमार्ग में उसके द्वारा या उसकी ओर से अंतःस्थापित की गई या स्थोरा रसीद में अंतःस्थापन के लिए अथवा नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा संरक्षित अभिलेख में अंतःस्थापन के लिए वाहक द्वारा या उसकी ओर से दी गई स्थोरा से संबंधित विशिष्टियों और विवरणों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। पूर्वगामी उपबंध वहां भी लागू होंगे, जहां परेषिती की ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति वाहक का अभिकर्ता भी है।

(2) परेषक, वाहक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके प्रति वाहक उत्तरदायी है, परेषक द्वारा या उसकी ओर से दी गई विशिष्टियों और विवरणों की अनियमितता, अशुद्धता या अपूर्णता के कारण उठाई गई सभी नुकसानियों के संबंध में उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाहक परेषिती द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके प्रति परेषिती उत्तरदायी है, स्थोरा रसीद में या नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा संरक्षित अभिलेख में, वाहक द्वारा या उसकी ओर से अंतःस्थापित विशिष्टियों और विवरणों की अनियमितता, अशुद्धिता या अपूर्णता के कारण उठाई गई सभी नुकसानियों के संबंध में उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।

11. (1) वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद, संविदा के समापन, स्थोरा के प्रतिग्रहण और उसमें उल्लिखित वहन की शर्तों का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी।

(2) वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद में स्थोरा के भार, विमाओं और पैकिंग के संबंध में कोई विवरण और पैकेजों की संख्या से संबंधित विवरण उसमें कथित तथ्यों के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं, स्थोरा की मात्रा, आयतन और दशा से संबंधित विवरण, जहां तक उनके बारे में वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद में यह कथन किया गया है कि वे उसके द्वारा परेषक की उपस्थिति में जांचे गए हैं या स्थोरा की स्पष्ट दशा से संबंधित हैं, उसके सिवाय, वे दोनों ही वाहक के विरुद्ध साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं।

12. (1) वहन की संविदा के अधीन अपनी सभी बाध्यताओं को कार्यान्वित करने के अपने दायित्व के अधीन रहते हुए, परेषक को, प्रस्थान या गंतव्य के विमानपत्तन पर स्थोरा को वापस लेकर या उसके उतरने पर यात्रा के अनुक्रम में उसे रोककर या गंतव्य स्थान पर या यात्रा के दौरान मूल रूप से अभिहित परेषिती से भिन्न किसी व्यक्ति को परिदान करने की मांग करके या प्रस्थान के विमानपत्तन पर लौटाए जाने की अपेक्षा करके स्थोरा के व्ययन का अधिकार है। परेषक व्ययन के इस अधिकार का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेगा जो वाहक या अन्य परेषकों के प्रतिकूल हो और इस अधिकार के प्रयोग से हुए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा।

(2) यदि परेषक के अनुदेशों को कार्यान्वित करना असंभव है तो वाहक तुरंत परेषक को इस बारे में सूचित करेगा।

(3) यदि वाहक, परेषिती को परिदत्त वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद के किसी भाग को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना स्थोरा के व्ययन के लिए पश्चात्‌वर्ती के अनुदेशों को कार्यान्वित करता है, तो वाहक किसी ऐसी नुकसानी के लिए, जो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को होती है, जिसके विधिपूर्ण कब्जे में वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद का वह भाग है, परेषिती से वसूली करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दायी होगा ।

(4) परेषक को प्रदत्त अधिकार उसी समय समाप्त होता है, जब परेषिती के अधिकार नियम 13 के अनुसार आरंभ हो जाते हैं । फिर भी यदि परेषिती स्थोरा को स्वीकार करने से इंकार करता है या संसूचित नहीं किया जा सकता है तो परेषक व्ययन के अपने अधिकार को प्राप्त कर लेगा ।

13. (1) उसके सिवाय जब परेषक ने नियम 12 के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है, परेषिती गंतव्य स्थान पर स्थोरा के पहुंचने पर वाहक से देय प्रभारों के संदाय पर और वहन की शर्तों का अनुपालन करने पर, उसे स्थोरा का परिदान करने के लिए अपेक्षा करने का हकदार होगा ।

(2) जब तक अन्यथा करार नहीं किया जाता है, वाहक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थोरा के पहुंचने पर यथाशीघ्र परेषिती को सूचना ।

(3) यदि वाहक, स्थोरा की हानि को स्वीकार करता है या यदि स्थोरा उस तारीख के पश्चात्, जिसको उसे पहुंच जाना चाहिए था, सात दिनों के अवसान पर नहीं पहुंचा है तो परेषिती, वाहक के विरुद्ध उन अधिकारों को, प्रवृत्त करने का हकदार होगा जो वहन की संविदा से निकलते हैं ।

14. परेषक और परेषिती क्रमशः नियम 12 और नियम 13 द्वारा उन्हें दिए गए सभी अधिकारों को, प्रत्येक अपने नाम से प्रवृत्त कर सकेंगे चाहे वह अपने हित में या किसी अन्य के हित में कार्य कर रहे हों, परन्तु यह तब जब कि वह वहन की संविदा द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं को कार्यान्वित करता है ।

15. (1) नियम 12, नियम 13 और नियम 14 के उपबंध परेषक और परेषिती, दोनों के एक-दूसरे के साथ संबंधों को, या पर पक्षकार के पारस्परिक संबंधों को, जिनके अधिकार परेषक से या परेषिती से व्युत्पन्न होते हैं, प्रभावित नहीं करेंगे ।

(2) नियम 12, नियम 13 और नियम 14 के उपबंधों में, केवल वायुमार्ग पत्र या स्थोरा रसीद में अभिव्यक्त उपबंधों द्वारा फेरफार किया जाएगा ।

16. (1) परेषक, ऐसी सूचना और ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो परेषिती को स्थोरा को परिदत्त करने से पूर्व सीमाशुल्क, पुलिस और अन्य लोक प्राधिकारियों की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हों । परेषक, जब तक नुकसानी वाहक, उसके सेवकों या अभिकर्ताओं की गलती के कारण न हों, किसी ऐसी सूचना या दस्तावेजों की अनुपस्थिति, अपर्याप्तता या अनियमितता के कारण हुई किसी नुकसानी के लिए वाहक के प्रति दायी होगा ।

(2) वाहक, ऐसी सूचना या दस्तावेजों की शुद्धता या पर्याप्तता के बारे में जांच करने की किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा ।

अध्याय 3

वाहक का दायित्व और नुकसानी के लिए प्रतिकर की सीमा

17. (1) वाहक, किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति की दशा में हुई नुकसानी के लिए केवल इस शर्त पर दायी होगा कि वह दुर्घटना जिससे मृत्यु या क्षति कारित हुई है, वायुयान के फलक पर या तटबंध अथवा गैर-तटबंध के किसी प्रचालन के दौरान हुई हो।

(2) वाहक जांच किए गए सामान के नाश होने या हानि या नुकसानी की दशा में हुए नुकसान के लिए केवल इस शर्त पर दायी होगा कि वह घटना जिससे नाश, हानि या नुकसानी कारित हुई है, वह वायुयान के फलक पर या ऐसी किसी अवधि के दौरान घटित हुई है जिसके भीतर जांच किया गया सामान वाहक के भारसाधन में था । तथापि, वाहक तब और उस सीमा तक दायी नहीं होगा यदि नुकसानी सामान में अन्तर्निहित त्रुटि, क्वालिटी या कमी के परिणामस्वरूप हुई है । जांच न किए गए सामान की दशा में जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक मदें भी हैं, वाहक तभी दायी है यदि नुकसानी उसकी या उसके सेवक या अभिकर्ता के दोष के परिणामस्वरूप हुई हो ।

(3) यदि वाहक जांच किए गए सामान की हानि को स्वीकार करता है या यदि जांच किया गया सामान उस तारीख से इक्कीस दिन की समाप्ति पर नहीं

पहुंचा है जिसको उसे पहुंचना चाहिए था तो यात्री वाहक के विरुद्ध उन अधिकारों को प्रवृत्त करने का हकदार होगा जो वहन की संविदा से निकलते हैं।

18. (1) वाहक स्थोरा पर हुए नाश या हानि या नुकसानी की दशा में हुई नुकसानी के लिए केवल इस शर्त पर दायी होगा कि वह घटना जिससे इस प्रकार नुकसानी कारित हुई है, वायु अभिवहन के दौरान हुई थी ।

(2) तथापि, वाहक तब और उस सीमा तक दायी नहीं होगा, जब वह यह साबित कर देता है कि स्थोरा पर नाश या हानि या नुकसानी निम्नलिखित में से एक या अधिक के परिणामस्वरूप हुई थी :—

(क) उस स्थोरा में अन्तर्निहित त्रुटि, क्वालिटी या कमी ;

(ख) वाहक या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई उस स्थोरा की त्रुटिपूर्ण पैकिंग ;

(ग) युद्ध या सशस्त्र संघर्ष का कोई कार्य ;

(घ) स्थोरा के प्रवेश, निर्गम या अभिवहन के संबंध में किया गया लोक प्राधिकारी का कोई कार्य ।

(3) उपनियम (1) के अर्थान्तर्गत विमानवहन उस अवधि को समाविष्ट करता है, जिसके दौरान स्थोरा वाहक के भारसाधन में है ।

(4) विमानवहन की अवधि किसी वायुपत्तन से बाहर भूमि द्वारा, समुद्र द्वारा या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा निष्पादित किए गए किसी वहन की अवधि से अधिक नहीं होगी । तथापि, यदि ऐसा वहन लदाई, परिदान या जलावतरण के प्रयोजन के लिए वायुयान द्वारा वहन के लिए किसी संविदा के निष्पादन में किया जाता है, तो किसी नुकसानी के बारे में, प्रतिकूल सबूत के अधीन रहते हुए यह अवधारणा की जाती है कि वह ऐसी किसी घटना का परिणाम है, जो विमानवहन के दौरान हुई थी । यदि वाहक, परेषिती की सहमति के बिना वायु द्वारा ऐसे वहन किए जाने के लिए पक्षकारों के बीच हुए करार द्वारा आशयित संपूर्ण वहन या उसके भाग के स्थान पर परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा वहन किए जाने के लिए प्रतिस्थापित करता है तो परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा ऐसा वहन विमानवहन की अवधि के भीतर समझा जाता है ।

19. वाहक यात्रियों, सामान या स्थोरा के विमानवहन में विलंब के कारण हुई नुकसानी के लिए दायी होगा । फिर भी, वाहक विलंब के कारण हुई नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने और उसके सेवकों तथा अभिकर्ताओं ने वे सभी उपाय किए थे जो नुकसानी से बचने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो सकते थे या यह कि उसके लिए या उनके लिए ऐसे उपाय करना असंभव था।

20. यदि वाहक यह साबित कर देता है कि नुकसानी प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति की, जिससे वह अपने अधिकारों को प्राप्त करता या करती है, उपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कृत्य या लोप के कारण हुई थी या उसमें वह सहयोगी थे तो वाहक को दावेदार के प्रति उसके दायित्व से उस सीमा तक पूर्णत: या भागत: माफी दी जाएगी जिस तक ऐसी उपेक्षा या दोषपूर्ण कार्य या लोप के कारण ऐसी नुकसानी हुई थी या उसमें सहायक थी। जब यात्री की मृत्यु या क्षति के कारण प्रतिकर का यात्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता है तब

वाहक उसी प्रकार पूर्णतः या भागतः अपने दायित्व से उस सीमा तक निर्मुक्त हो जाएगा जिस तक वह यह साबित कर देता है कि नुकसानी उस यात्री की उपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कृत्य या लोप के कारण हुई थी या उसमें सहायक थी। यह नियम इन नियमों के दायित्व संबंधी सभी उपबन्धों को जिसके अन्तर्गत नियम 21 के उपनियम (1) के उपबंध भी हैं, लागू होता है ।

21 (1) नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन उद्भूत प्रत्येक यात्री के लिए एक लाख से अनधिक विशेष आहरण अधिकार की नुकसानियों के लिए, वाहक अपने दायित्व को अपवर्जित करने या उसे सीमित करने में समर्थ नहीं होगा ।

(2) वाहक, नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन उद्भूत नुकसानियों के लिए उस सीमा तक दायी नहीं होगा कि वे प्रत्येक यात्री के लिए एक लाख विशेष आहरण अधिकारों से अधिक हैं, यदि वाहक यह साबित कर देता है कि—

(क) ऐसी नुकसानी वाहक या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं की उपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कार्य या लोप के कारण नहीं हुई थी ;

(ख) ऐसी नुकसानी तृतीय पक्षकार की उपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कृत्य या लोप के कारण हुई थी ।

22. (1) व्यक्तियों के वहन में नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट विलंब के कारण हुई नुकसानी की दशा में, प्रत्येक यात्री के लिए वाहक का दायित्व चार हजार एक सौ पचास विशेष आहरण अधिकारों तक सीमित है ।

(2) यात्री सामान के वहन में, नाश, हानि, नुकसानी या विलंब की दशा में वाहक का दायित्व प्रत्येक यात्री के लिए एक हजार विशेष आहरण अधिकार तक सीमित होगा जब तक कि यात्री ने उस समय जब जांच किया गया सामान वाहक को सौंपा गया था, गंतव्य स्थान पर परिदान के हित में विशेष घोषणा न की हो और किसी अनुपूरक रकम का, यदि ऐसा अपेक्षित हो संदाय न कर दिया हो। उस दशा में वाहक घोषित रकम से अनधिक रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि रकम गंतव्य स्थान पर परिदान में यात्री के वास्तविक हित से अधिक है ।

(3) स्थोरा के वहन में नाश, हानि, नुकसानी या विलंब की दशा में वाहक का दायित्व प्रति किलोग्राम सत्रह विशेष आहरण अधिकारों तक की रकम तक सीमित है जब तक कि परेषिती ने उस समय जब पैकेज वाहक को सौंपा गया था, गंतव्य स्थान पर परिदान में हित की विशेष घोषणा न कर दी हो और किसी अनुपूरक रकम का, यदि ऐसा अपेक्षित हो, संदाय न कर दिया हो। उस दशा में, वाहक घोषित रकम से अनधिक रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि रकम गंतव्य स्थान पर परिदान में परेषिती के वास्तविक हित से अधिक है ।

(4) स्थोरा के भाग या उसमें अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के विलंब, नाश, हानि या नुकसानी की दशा में उस रकम का अवधारण करने में विचार किए जाने वाला भार, जिस तक वाहक का दायित्व सीमित है, केवल संबंधित पैकेज या पैकेजों का कुल भार होगा। फिर भी, जब स्थोरा के भाग या उसमें अन्तर्विष्ट किसी वस्तु के विलंब, नाश, हानि या नुकसानी उसी वायुमार्ग के बिल के अन्तर्गत आने वाले अन्य पैकेजों के मूल्य, या उसी रसीद को प्रभावित करता है या यदि वे नियम

4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा संरक्षित उसी अभिलेख द्वारा जारी नहीं किए गए थे तो ऐसे पैकेज या पैकेजों के कुल भार को भी दायित्व की सीमा का अवधारण करने के लिए विचार में रखा जाएगा।

(5) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि यह साबित कर दिया जाता है कि नुकसानी वाहक, उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से या असावधानीपूर्वक और यह जानते हुए कि नुकसान होना संभाव्य है, किए गए किसी कार्य या लोप के परिणामस्वरूप हुआ है :

परन्तु किसी सेवक या अभिकर्ता के ऐसे कार्य या लोप की दशा में यह भी साबित किया जाता है कि ऐसा सेवक या अभिकर्ता अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य कर रहा था ।

(6) नियम 21 और इस नियम में विहित सीमाएं न्यायालय को, उसकी स्वयं की विधि के अनुसार, संपूर्ण न्यायालय खर्च या उसके भाग के अतिरिक्त और वादी द्वारा उपगत मुकदमेबाजी के अन्य व्ययों जिसके अन्तर्गत ब्याज भी है, देने से निवारित नहीं करेगी । पूर्वगामी उपबंध लागू नहीं होंगे यदि अधिनिर्णीत नुकसानियों की रकम, जिसके अन्तर्गत न्यायालय खर्चे और मुकदमे के अन्य व्यय नहीं हैं, उस रकम से अधिक नहीं होती है, जिसका वाहक ने लिखित में वादी को नुकसानी कारित करने की घटना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या कार्रवाई के प्रारंभ से पूर्व, यदि वह पश्चात्‌वर्ती है, प्रस्ताव किया है ।

23. इन नियमों में विशेष आहरण अधिकार के निबन्धनानुसार वर्णित रकमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा यथा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार के प्रतिनिर्देश समझी जाएंगी और राष्ट्रीय मुद्राओं में इसका संपरिवर्तन, न्यायिक कार्यवाहियों की दशा में निर्णय की तारीख को प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा लागू मूल्यांकन की पद्धति के अनुसार उसके प्रचालन और संव्यवहार के लिए किया जाएगा।

24. (1) नियम 25 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, नियम 21, नियम 22 और नियम 23 में विहित दायित्व की सीमाओं का निक्षेपागार द्वारा पांच वर्ष के अन्तरालों पर पुनर्विलोकन किया जाएगा, ऐसा प्रथम पुनर्विलोकन इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात्‌वर्ती पांच वर्ष के अंत में किया जाएगा । मुद्रास्फीति कारक का अवधारण करने में प्रयोग की जाने वाली मुद्रास्फीति दर का मूल्यांकन उन राज्यों के जिनकी मुद्राएं नियम 23 में वर्णित विशेष आहरण अधिकार समाविष्ट करती हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि या कमी की वार्षिक दर के औसत के आधार पर किया जाएगा ।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन का यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रास्फीति कारक दस प्रतिशत से अधिक हो गया है, तो निक्षेपगार दायित्व की सीमाओं के पुनरीक्षण के राज्य पक्षकारों को अधिसूचित करेगा । कोई ऐसा पुनरीक्षण राज्य पक्षकारों को ऐसी अधिसूचना के छह मास पश्चात् प्रभावी हो जाएगा, यदि राज्य पक्षकारों की उसकी अधिसूचना के तीन मास के भीतर राज्य पक्षकारों का बहुमत अपना अननुमोदन रजिस्टर करते हैं तो पुनरीक्षण प्रभावी नहीं होगा और निक्षेपागार इस विषय को राज्य पक्षकारों के अधिवेशन को निर्दिष्ट करेगा। निक्षेपागार किसी पुनरीक्षण के प्रवृत्त होने के बारे में सभी राज्य सरकारों को तुरन्त अधिसूचित करेगा।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया किसी भी समय लागू होगी, परन्तु यह तब जबकि एक तिहाई राज्य पक्षकार उस आशय की और इस शर्त पर इच्छा प्रकट करते हैं कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट मुद्रास्फीति कारक पूर्व पुनरीक्षण से या यदि पहले कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है तो मोंट्रियल कंवेशन के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस प्रतिशत से अधिक हो गया है। उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए पश्चात्वर्ती पुनर्विलोकन इस उपनियम के उपबन्धों के अधीन पुनर्विलोकन की तारीख के पश्चात्वर्ती पांचवें वर्ष के अंत से आरंभ होने वाले पांच वर्ष के अन्तरालों पर किए जाएंगे।

25. वाहक यह अनुबंध कर सकेगा कि वहन की संविदा दायित्व की उस सीमा से भिन्न उच्चतर सीमाओं के अधीन होगी जो इन नियमों में उपबन्धित की गई हैं या जिनके लिए कोई दायित्व की सीमा नहीं है, जो भी हो।

26. ऐसा कोई उपबंध जो वाहक को दायित्व से मुक्त करता है या उससे निम्नतर सीमा नियत करता है जो इन नियमों में अधिकथित है, अकृत और शून्य होगा किन्तु ऐसे प्रत्येक उपबंध की अकृतता में संपूर्ण संविदा की अकृतता अंतर्वलित नहीं है जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहेगी।

27. इन नियमों की कोई बात वाहक को वहन की कोई संविदा करने, इन नियमों में उपलब्ध किसी प्रतिरक्षा को समाप्त करने या ऐसी शर्तें अधिकथित करने से निवारित नहीं करेगी जो इन नियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं।

28. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां वायुयान दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु या क्षति होती है वहां वाहक प्रकृत व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो ऐसे व्यक्ति की तुरन्त आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिकर का दावा करने के हकदार हैं, अविलंब अग्रिम संदाय करेगा। ऐसे अग्रिम संदाय दायित्व की मान्यता को गठित नहीं करेंगे और वाहक द्वारा नुकसानियों के रूप में बाद में संदत्त किन्हीं रकमों के विरुद्ध मुजरा किए जा सकेंगे।

29. तथापि यात्रियों, यात्री सामान और स्थोरा के वहन में नुकसानियों के लिए कोई कार्रवाई चाहे इन नियमों के अधीन या संविदा में या दुष्कृति में या अन्यथा स्थापित की गई हो, केवल दायित्व की ऐसी शर्तों और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए अग्रेषित की जा सकेगी। जो इन नियमों में इस प्रश्न पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वे व्यक्ति जो वाद लाने का प्राधिकार रखते हैं और उनके अपने-अपने क्या अधिकार हैं, उपवर्णित किए गए हैं। ऐसी किसी कार्रवाई में, दंडात्मक, अनुकरणीय या किसी अन्य अप्रतिकरात्मक नुकसानी वसूलनीय नहीं होगी।

30. (1) यदि वाहक के सेवक या अभिकर्ता के विरुद्ध ऐसी नुकसानी से उत्पन्न कोई कार्रवाई की जाती है, जिससे ये नियम संबंधित हैं, तो ऐसा सेवक या अभिकर्ता, यदि वे यह साबित करते हैं कि उन्होंने अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य किया है तो वे दायित्व की ऐसी शर्तों और सीमाओं के लिए स्वयं दावा करने के हकदार होंगे, जिनका वाहक स्वयं इन नियमों के अधीन अवलंब लेने के लिए हकदार हैं।

(2) उस दशा में वाहक, उसके सेवकों और अभिकर्ताओं से वसूलनीय रकमों का योग उक्त सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध स्थोरा के वहन के सिवाय,

लागू नहीं होंगे यदि यह साबित कर दिया जाता है कि नुकसानी सेवक या अभिकर्ता के ऐसे कार्य या लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो नुकसानी कारित करने के आशय से या असावधानीपूर्वक और इस जानकारी के साथ किया गया था कि नुकसानी होनी संभाव्य है।

31. (1) जांच किए गए यात्री सामान या स्थोरा के परिदान के हकदार व्यक्ति द्वारा शिकायत के बिना प्राप्ति इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है कि उसका परिदान अच्छी स्थिति में और वहन के दस्तावेजों के अनुसार या नियम 3 के उपनियम (2) और नियम 4 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा संरक्षित अभिलेख के अनुसार किया गया है ।

(2) नुकसानी की दशा में परिदान के लिए हकदार व्यक्ति नुकसानी का पता लगने के पश्चात् तुरन्त और अधिक से अधिक, जांच किए गए यात्री सामान की दशा में प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर और स्थोरा की दशा में प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर वाहक को शिकायत करेगा। विलंब की दशा में, शिकायत, उस तारीख से अधिक से अधिक इक्कीस दिन के भीतर की जाएगी जिसको यात्री सामान या स्थोरा उसके निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(3) प्रत्येक शिकायत लिखित में की जाएगी और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दी जाएगी या भेजी जाएगी ।

(4) यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई शिकायत नहीं की जाती है तो वाहक के विरुद्ध वाहक द्वारा किए गए कपट के मामले के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

32. दायी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में नुकसानी के लिए कार्रवाई इन नियमों के अनुसार उसकी संपदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की जाएगी ।

33. (1) नुकसानी के लिए कोई कार्रवाई, नुकसानी के दावेदार के विकल्प पर, राज्य पक्षकारों में से किसी एक के राज्यक्षेत्र में, वाहक के अधिवास या उसके कारबार के प्रधान स्थान पर या जहां उसका कारबार का वह स्थान है जिसके माध्यम से संविदा की गई है, न्यायालय के समक्ष या गंतव्य स्थान पर न्यायालय के समक्ष की जाएगी ।

(2) यात्री की मृत्यु या क्षति के परिणामस्वरूप हुई नुकसानी के संबंध में कोई कार्रवाई उपनियम (1) में वर्णित न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय के समक्ष या किसी राज्य पक्षकार के उस राज्यक्षेत्र में, जिसमें दुर्घटना के समय यात्री का प्रधान और स्थायी निवास है और जहां के लिए या से वाहक या तो अपने स्वयं के वायुयान पर वाणिज्यिक करार के अनुसरण में किसी अन्य वाहक के वायुयान पर यात्रियों के वहन के लिए सेवाएं प्रचालित करता है और जिसमें वह वाहक पट्टाधृत परिसरों से या अपने स्वामित्वाधीन परिसर से या ऐसे किसी अन्य वाहक के साथ जिसके साथ उसका वाणिज्यिक करार है, वायुयान द्वारा यात्रियों के वहन का कारबार का संचालन करता है, कार्रवाई की जा सकेगी ।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए,——

(क) "वाणिज्यिक करार" से वायुयान द्वारा यात्रियों के वहन के लिए वाहकों के बीच और उनकी संयुक्त सेवाओं के उपबंध के संबंध में किया गया किसी अभिकरण करार से भिन्न, कोई करार अभिप्रेत है;

(ख) "प्रधान और स्थायी निवास" से दुर्घटना के समय यात्री का एक नियत और स्थायी निवास-स्थान अभिप्रेत है । यात्री की राष्ट्रीयता इस संबंध में अवधारक कारक नहीं होगी ।

(4) प्रक्रिया के प्रश्न न्यायालय की विधि द्वारा शासित होंगे।

34. (1) इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्थोरा के लिए वहन की संविदा के पक्षकार यह अनुबंध कर सकेंगे कि इन नियमों के अधीन वाहक के दायित्व से संबंधित कोई विवाद माध्यस्थम् द्वारा निपटाया जाएगा । ऐसा करार लिखित में होगा ।

(2) माध्यस्थम् कार्यवाहियां दावेदार के विकल्प पर नियम 33 में निर्दिष्ट अधिकारिताओं में से किसी एक के भीतर होगी ।

(3) मध्यस्थ या माध्यस्थम् अधिकरण इन नियमों के उपबन्धों को लागू करेगा।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंध प्रत्येक माध्यस्थम् खंड या करार के भाग समझे जाएंगे और ऐसे खंड या करार का कोई निबन्धन, जो उससे असंगत है, अकृत और शून्य होगा ।

35. (1) नुकसानियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा यदि कोई कार्रवाई दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं की जाती है, जिसकी गणना गंतव्य स्थान पर पहुंचने की तारीख से या उस तारीख से जिसको वायुयान पहुंचना चाहिए था या उस तारीख से जिसको वहन समाप्त हुआ होगा, की जाएगी ।

(2) उस अवधि की संगणना करने की पद्धति, मामले से संबंधित न्यायालय की विधि द्वारा अवधारित की जाएगी ।

36. (1) विभिन्न उत्तरवर्ती वाहकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले और नियम 1 के उपनियम (4) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आने वाले वहन की दशा में प्रत्येक वाहक, जो यात्रियों, यात्री सामान या स्थोरा को स्वीकार करता है, इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन होगा और जहां तक संविदा वहन के उस भाग से संबद्ध है जो उसके पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जाता है, उसे वहन की संविदा के पक्षकारों में से एक समझा जाएगा।

(2) इस प्रकृति के वहन की दशा में, प्रतिकर के लिए हकदार यात्री या कोई व्यक्ति केवल उस वाहक के विरुद्ध कार्रवाई करने का हकदार होगा, जिसने उस वहन का निष्पादन किया है जिसके दौरान दुर्घटना या विलंब हुआ है, वहां के सिवाय प्रथम वाहक ने, जहां स्पष्ट करार द्वारा संपूर्ण यात्रा के लिए दायित्व को स्वीकार किया है ।

(3) यात्री सामान या स्थोरा के संबंध में यात्री या परेषिती को प्रथम वाहक के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा और यात्री या परेषिती, जो परिदान का हकदार है, को अन्तिम वाहक के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा और इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उस वाहक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा जिसने ऐसे वहन का निष्पादन किया है जिसके दौरान विलंब, नाश, हानि या नुकसानी हुई । ये वाहक संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से यात्री या परेषिती या परेषक के प्रति दायी होंगे ।

37. इन नियमों की कोई बात, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जो नुकसानी के लिए दायी है ।

अध्याय 4

संयुक्त वहन

38. (1) भागत: वायुयान द्वारा और भागत: वहन के किसी अन्य ढंग द्वारा निष्पादित संयुक्त वहन की दशा, में इन नियमों के उपबंध नियम 18 के उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केवल विमानवहन को लागू होंगे, परन्तु यह तब जब विमानवहन नियम 1 के अर्थान्तर्गत आता हो ।

(2) इन नियमों की कोई बात संयुक्त वहन की दशा में पक्षकारों को वहन के अन्य ढंगों से संबंधित विमानवहन की शर्तों के दस्तावेज में अन्तःस्थापन करने से निवारित नहीं करेगी, परन्तु यह तब जब इन नियमों के उपबंधों का विमानवहन के संबंध में अनुपालन किया जाता हो ।

अध्याय 5

संविदाकारी वाहक से भिन्न व्यक्ति द्वारा निष्पादित विमानवहन

39. इस अध्याय के उपबन्ध तब लागू होंगे जब कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् संविदाकारी वाहक कहा गया है) प्रधान के रूप में इन नियमों के अधीन किसी यात्री या परेषिती के साथ या यात्री या परेषिती की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति के साथ वहन की संविदा करता है और कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वास्तविक वाहक कहा गया है) संविदाकारी वाहक से प्राधिकार के कारण वहन का संपूर्ण या भागत: किन्तु उस भाग के संबंध में नहीं, जो इन नियमों के अर्थान्तर्गत एक उत्तरवर्ती वाहक है । ऐसा प्राधिकारी उसके विरुद्ध सबूत के अभाव में प्राधिकारी समझा जाएगा।

40. यदि कोई वास्तविक वाहक ऐसे वहन का पूर्णतः या भागत: निष्पादन करता है जो नियम 39 में निर्दिष्ट संविदा के अनुसार इन नियमों द्वारा शासित होता है, संविदाकारी वाहक और वास्तविक वाहक, दोनों, इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे, पूर्ववर्ती संविदा में अनुध्यात संपूर्ण वहन के लिए और पश्चात्वर्ती एकमात्र उस वहन के लिए जिसे वह निष्पादित करता है, होंगे ।

41. (1) वास्तविक वाहक और उसके सेवकों और उसके अभिकर्ताओं, जो अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य कर रहे हैं, के कृत्यों और लोपों को वास्तविक वाहक द्वारा निष्पादित किए गए वहन के संबंध में संविदाकारी वाहक के लिए भी समझा जाएगा ।

(2) संविदाकारी वाहक और उसके सेवकों और अभिकर्ताओं, जो अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य कर रहे हैं, के कृत्यों और लोपों को वास्तविक वाहक द्वारा निष्पादित किए गए वहन के संबंध में वास्तविक वाहक के लिए भी समझा जाएगा । फिर भी ऐसा कोई कृत्य और लोप वास्तविक वाहक को नियम 21, नियम 22, नियम 23 और नियम 24 में निर्दिष्ट रकम से अधिक रकम के

दायित्वाधीन नहीं करेगा। कोई विशेष करार जिसके अधीन संविदाकारी वाहक इन नियमों के उपबंधों द्वारा अधिरोपित न की गई बाध्यताओं को स्वीकार करता है या इन नियमों के अधीन उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों या प्रतिरक्षाओं का कोई अधित्यजन और नियम 22 में अनुध्यात गंतव्य स्थान पर परिदान में हित की कोई विशेष घोषणा वास्तविक वाहक को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि उसके द्वारा सहमति न दे दी गई हो ।

42. इन नियमों के उपबंधों के अधीन वाहक को किए जाने वाला कोई परिवाद या दिए जाने वाले अनुदेश का वही प्रभाव होगा चाहे वे संविदाकारी वाहक या वास्तविक वाहक को संबोधित किए गए हों या नहीं । फिर भी, नियम 12 में निर्दिष्ट अनुदेश केवल तभी प्रभावी होंगे यदि वे संविदाकारी वाहक को संबोधित हों ।

43. वास्तविक वाहक द्वारा निष्पादित वहन के संबंध में उस वाहक या संविदाकारी वाहक का कोई सेवक या अभिकर्ता, यदि वे यह साबित कर देते हैं कि उन्होंने अपने नियोजन की परिधि के भीतर कार्य किया है तो वे स्वयं के लिए दायित्व की उन शर्तों और सीमाओं को प्राप्त करने के हकदार होंगे जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन उस वाहक को लागू होते हैं जिसके वे सेवक या अभिकर्ता हैं, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि उन्होंने ऐसी रीति में कार्य किया है जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार दायित्वों की सीमाओं का अवलंब लेने से निवारित करते हैं ।

44. वास्तविक वाहक द्वारा निष्पादित वहन के संबंध में, उस वाहक और संविदाकारी वाहक और उनके नियोजन की परिधि के भीतर कार्यरत उनके सेवकों और अभिकर्ताओं से वसूलनीय रकमों का योग उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगा जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन संविदाकारी वाहक या वास्तविक वाहक के संबंध में अधिनिर्णीत की गई हो, किन्तु ऊपर वर्णित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को लागू सीमा से अधिक रकम के लिए दायी नहीं होगा ।

45. वास्तविक वाहक द्वारा निष्पादित वहन के संबंध में नुकसानी के लिए कोई कार्रवाई, परिवादी के विकल्प पर, वाहक या संविदाकारी वाहक के विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध एक साथ या पृथक् रूप से की जा सकेगी । यदि कार्रवाई इन वाहकों में से केवल एक के विरुद्ध की जाती है तो उस वाहक को कार्यवाहियों में अन्य वाहक को सम्मिलित कराने की अपेक्षा करने की, प्रक्रिया और उसके प्रभाव मामले के न्यायालय की विधि द्वारा शासित होते हैं ।

46. नियम 45 में अनुध्यात नुकसानी के लिए कोई कार्रवाई, परिवादी के विकल्प पर, राज्य पक्षकारों में से किसी एक के राज्यक्षेत्र में या तो उस न्यायालय के समक्ष, जिसमें नियम 33 के अधीन यथा उपबन्धित संविदाकारी वाहक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी या उस न्यायालय के समक्ष ज़िसकी अधिकारिता उस स्थान पर है, जहां वास्तविक वाहक का अधिवास या उसके कारबार का मूल स्थान है, की जा सकेगी ।

47. इस अध्याय के अधीन संविदाकारी वाहक या वास्तविक वाहक को मुक्त करने के लिए या उस सीमा से कम सीमा नियत करने के लिए, जो इस अध्याय के अनुसार लागू होता है, आशयित कोई संविदात्मक उपबंध अकृत और शून्य होगा किन्तु ऐसे किसी उपबंध की अकृतता में संपूर्ण संविदा की अकृतता अंतर्वलित नहीं है, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहेगी ।

48. नियम 45 में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अध्याय की कोई बात वाहकों के बीच उनके अधिकारों और बाध्यताओं को, जिनके अन्तर्गत अवलंब या क्षतिपूर्ति का कोई अधिकार भी है, प्रभावित नहीं करेगी ।

अध्याय 6

साधारण और अन्तिम उपबन्ध

49. वहन की संविदा में अन्तर्विष्ट कोई खंड और उस नुकसानी के होने से पूर्व किए गए सभी विशेष करार, जिसके द्वारा पक्षकार इन नियमों द्वारा अधिकथित, नियमों का उल्लंघन करने के लिए तात्पर्यित हैं, चाहे वे लागू किए जाने वाली विधि का विनिश्चय करके या अधिकारिता के संबंध में नियमों में परिवर्तन करके हों, अकृत और शून्य होंगे ।

50. राज्य पक्षकार अपने वाहकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने दायित्व को समाविष्ट करते हुए समुचित बीमा कराएं। किसी वाहक से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी कि वह इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने दायित्व को समाविष्ट करने वाला समुचित बीमा कराते हैं ।

51. वहन के दस्तावेजीकरण से संबंधित नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 7 और नियम 8 के उपबंध किसी वाहक के कारबार की सामान्य परिधि से बाहर असाधारण परिस्थितियों में निष्पादित वहन की दशा में लागू नहीं होंगे ।

52. इस अनुसूची में प्रयुक्त "दिनों" पद से कलैंडर दिन अभिप्रेत है न कि कार्य दिवस।

भारत का राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, खण्ड XLIV, संख्यांक 4, दिनांक 16 सितम्बर, 2008 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्रः—

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
729	अन्तिम	0102 20 10	0102 10 20
730	17, 26	घरेलु,	घरेलू
735	20	हिप्पाग्लोसस,	हिप्पोग्लोसस
735	21	"हिप्पोग्लोसस" का लोप करें।	
740	अन्तिम	आहार..... या आकार	आकार.....या आकार
744	10	0501 10 10	0502 10 10
744	11	0501 10 20	0502 10 20
744	20	हितमशीतित	हिमशीतित
745	34	और मिति	और तिमि
746	38	या 3	या अध्याय 3
752	6	पाथीचक	हाथीचक
756	13	अन्तर्गज	अन्तर्गत
764	17	1003 10	1003 00 10
765	35	धन्य	धान्य
770	3	कुसंम बीज :	कुसुंम बीज :
771	40	प्रजातियां वंश)	प्रजातियां)
771	43	सरसाप्लिला	सरसापरिल्ला
774	24	आयललोरेजिन्स	ओलियोरेजिन्स
791	33	मछलियां	मछली या
795	16	के बिना शीतत	के बिना, शीतित
800	23	एल्कोहल	ऐल्कोहल
808	37	और दर्ग	और दग्ध
813	27	मकेब्म	मैकेडम
816	23	---	=
816	25	=	—
817	7	मैग्निशियम	मैग्निशियम
820	12	2615 10	2615 10 00
825	16	अभिसप्त	अभिप्राप्त
841	14	मैंगानाइट्स	मैंगनाइट्स
847	39	(एथिलथेल क्लोइड)	(एथिल क्लोराइड)
854	5	सल्फेनेटित	सल्फोनेटित
869	42	फिनामल	फिनायल
883	3	कक्की	कव्की
884	39	"कि.ग्रा. 30% 20%" का लोप करें।	
885	19	दग्ध	दुग्ध
887	5.1	डाईहाड्रोजन	डाईहाइड्रोजन
888		"कैल्सियम" के स्थान पर "कैल्शियम" पढ़ें।	
891	13	"कि०ग्रा० 30% 20%" का लोप करें।	
891		"वायलट" के स्थान पर "वायलेट" पढ़ें।	
892	10	"कि०ग्रा० 30% —" का लोप करें।	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.